


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए
राज्य के वित्त

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2012




विषय सूची

विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
अध्याय-1: राज्य सरकार के वित्त		
वर्ष 2011-12 के दौरान चालू राजकोषीय लेन-देन का सारांश	1.1	1
बजट आकलन एवं वास्तविक	1.2	3
राज्य के संसाधन	1.3	5
राजस्व प्राप्तियां	1.4	7
संसाधनों का उपयोग	1.5	11
व्यय की गुणवत्ता	1.6	23
सरकारी व्यय एवं निवेश का विश्लेषण	1.7	25
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.8	28
ऋण धारणीयता	1.9	29
राजकोषीय असंतुलन	1.10	31
निष्कर्ष	1.11	35
सिफारिशें	1.12	36
अध्याय-2: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	37
विनियोजन लेखे का सारांश	2.2	37
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	38
विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना	2.4	44
व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन	2.5	45
चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम	2.6	45
निष्कर्ष	2.7	49
सिफारिशें	2.8	50
अध्याय-3: वित्तीय विवरण		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	51
दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि	3.2	52
मुख्य उच्चत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	3.3	53
बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का संचालन	3.4	54
निष्कर्ष	3.5	54
सिफारिशें	3.6	55


परिशिष्ट			
परिशिष्ट संख्या	विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट-1	<u>राज्य रूपरेखा</u>		
	क: सामान्य आंकड़े	-	57
	ख: वित्तीय आंकड़े	-	57
परिशिष्ट-1.1	भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप	-	58
	भाग-ख: वित्त लेखों की रूपरेखा	-	59
परिशिष्ट-1.2	भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति	-	60
	भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005	-	62
परिशिष्ट-1.3	सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	1.4, 1.5.3, 1.7.4 तथा 1.8.2	63
परिशिष्ट-1.4	भाग-क: वर्ष 2011-12 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1	66
	भाग-ख: 31 मार्च 2012 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1 तथा 1.8.1	69
परिशिष्ट-1.5	2011-12 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.3.2	71
परिशिष्ट-1.6	पंचायती राज संस्थानों को सुपुर्द कार्य	1.5.6.2	73
	पंचायती राज संस्थानों को अब तक सुपुर्द नहीं किए गए कार्य		
परिशिष्ट-1.7	शहरी स्थानीय निकायों को सुपुर्द कार्य	1.5.7.5	74
	शहरी स्थानीय निकायों को अब तक सुपुर्द नहीं किए गए कार्य		
परिशिष्ट-2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां बचतें प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के तीन मामलों में 20 प्रतिशत से अधिक थी	2.3.1	75
परिशिष्ट-2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक था	2.3.3	77
परिशिष्ट-2.3	विगत वर्षों के प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता	2.3.6	78
परिशिष्ट-2.4	2011-12 के दौरान प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता	2.3.7	79
परिशिष्ट-2.5	मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.8	80

परिशिष्ट संख्या	विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट-2.6	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए	2.3.8	81
परिशिष्ट-2.7	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3.9	82
परिशिष्ट-2.8	वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.11	84
परिशिष्ट-2.9	वर्ष के दौरान शत प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.11	86
परिशिष्ट-2.10	31 मार्च 2012 को ₹10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.11	88
परिशिष्ट-2.11	वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण (₹50 लाख अथवा इससे अधिक)	2.3.12	89
परिशिष्ट-2.12	व्यय का तीव्र प्रवाह	2.3.14	90
परिशिष्ट-2.13	(i) 2007-12 के लिए सार आकस्मिक बिलों तथा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा (ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभाग-वार स्थिति	2.4.1	91
परिशिष्ट-2.14	31 मार्च 2012 को प्रतिकूल/नकारात्मक शेष को दर्शाने वाली विवरणी	2.5	92
परिशिष्ट-3.1	31 मार्च 2012 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	3.1	93
परिशिष्ट-3.2	दुर्विनियोजन, गबन आदि के मामलों का विभागवार/अवधिवार ब्यौरा	3.2	97
परिशिष्ट-3.3	चोरी, दुर्विनियोजन/सरकारी माल की हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार ब्यौरा	3.2	98
परिशिष्ट-3.4	गत तीन वर्षों की मुख्य उच्चत शीर्षों के अन्तर्गत उच्चत शेष की स्थिति	3.3	99
परिशिष्ट-3.5	लघु शीर्ष (₹5.00 करोड़ से अधिक) 800- 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों का विवरण	3.4	100
परिशिष्ट-4	शब्दावली	4	101




प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है।
2. इस प्रतिवेदन के **अध्याय-1** में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखे की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं।
3. इस प्रतिवेदन के **अध्याय-2** में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के विनियोग लेखे की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा अभियुक्तियां समाविष्ट हैं।
4. **अध्याय-3** चालू वर्ष के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजस्व एवं सामान्य सेक्टरों से सम्बन्धित विभागों में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों सहित विहंगावलोकन तथा राज्य सरकार की अनुपालना की स्थिति को उपलब्ध करवाता है।



कार्यकारी सारांश



कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन को स्वतंत्र रूप से निर्धारण करने के लिए लाया गया है। इस प्रतिवेदन का लक्ष्य, जो वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है, सरकार की स्कीमों/कार्यक्रमों के वित्तीय प्रबन्धन/कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विभागों के निष्पादन पर राज्य सरकार को समय पर इनपुट प्रदान करना है। विश्लेषण को एक परिपेक्ष्य देने के लिए प्राप्तियों की तुलना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 जिसे 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया तथा 2011-12 के बजट आकलन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से करने हेतु प्रयास किए गए हैं।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधान के छः वर्षों से अधिक अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकार के वित्त पर टिप्पणियां करते रहे हैं तथा पहले ही छः प्रतिवेदन प्रकाशित किये जा चुके हैं। चूंकि ये टिप्पणियां सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का भाग है, यह अनुभव किया गया कि राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुपालना एवं निष्पादन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विस्तृत स्वरूप में अलक्षणीय रहे। इस सुविचारित परन्तु समस्त समावेशित सूचना का स्पष्ट परिणाम यह रहा कि इन निष्कर्षों के वित्तीय प्रबन्धन भाग की ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया गया। एक बार फिर केन्द्र-स्तर तक राज्य के वित्त को लाने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए राज्य सरकार के वित्त पर एकाकी प्रतिवेदन को इस चुनौती के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रत्युत्तर माना गया है। तदनुसार, प्रतिवेदन वर्ष 2009 से आगे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने “राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन” नामक शीर्षक से एक पृथक खण्ड प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। यह इस प्रयास का चतुर्थ संस्करण है।

प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा उपलब्ध करवाई गई है। प्रतिवेदन की रचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2012 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करता है। यह वचनबद्ध व्यय, उधार प्रतिरूप की प्रवृत्तियों में ऑफ बजट रूट के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे के अतिरिक्त अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय 2 विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा ढंग, जिसमें सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा आबंटित संसाधनों को व्यवस्थित किया गया, प्रस्तुत करता है।

अध्याय 3 विभिन्न सूचना अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली की हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुपालना की एक वस्तुसूची है। दुर्विनियोजन/हानि के मामले जो सरकारी विभागों में नियंत्रण की अपर्याप्ता को दर्शाता है, भी इस अध्याय में वर्णित है।

लेखापरीक्षा परिणाम एवं सिफारिशें

राजकोषीय शुद्धि पथ: हिमाचल प्रदेश उन आरम्भिक राज्यों में एक है जिसने वर्ष 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम पास किया तथा पुनः 2011 में इसे संशोधित किया। हिमाचल प्रदेश राज्य में 2007-08 में राजस्व आधिक्य था लेकिन यह प्रवृत्ति कायम नहीं रही तथा 2008-09 में राजस्व घाटे में बदल गया जो 2010-11 तक पुनः बढ़ा। 2010-11 में ₹1235 करोड़ का राजस्व घाटा अन्ततः चालू वर्ष 2011-12 के दौरान ₹645 करोड़ के राजस्व आधिक्य में बदल गया। चालू वर्ष 2011-12 के लिए ₹1633 करोड़ का राजकोषीय घाटा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.59 प्रतिशत है, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा बनाए गए मानकीय निर्धारण से नीचे है।

राज्य ने 2011-12 के दौरान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन अधिनियम/तेरहवें वित्त आयोग में यथा निर्धारित सात लक्ष्यों में से पांच एवं छः प्राप्त कर लिये थे। कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण में सुधार करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भारत सरकार से निधियां उधार लेने के उपचार को कम किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को अंतरित निधियां: भारत सरकार से प्रत्यक्ष रूप से निधियों की प्राप्ति/अंतरण का अनुश्रवण करने के लिए कोई भी एजेन्सी नहीं है और इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा राज्य सरकार के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए इन निधियों की उपयोगिता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

निधियों का उचित लेखाकरण सुनिश्चित करने हेतु तंत्र: भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों का उचित लेखाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए और अद्यतन सूचना राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारिताओं में हिमाचल प्रदेश सरकार के निवेश पर औसत प्राप्ति 2.46 प्रतिशत (परिच्छेद- 1.7.2) थी जबकि सरकार ने केन्द्रीय सरकार/वित्तीय संस्थाओं से इस उधारी पर 8.49 प्रतिशत औसत ब्याज अदायगी की। सरकार को कम्पनियों/निगमों, जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिफलों से सम्पन्न तथा तर्कसंगत हो यदि उच्च लागत उधारों को चेनलाईज्ड किया जाना मूल्यवान हो, की पहचान करते हुए निवेशों में धन के लिए बेहतर मूल्य को सुनिश्चित करना चाहिए। निवेशों में धन के लिए बेहतर मूल्य को सुनिश्चित करने हेतु सरकार को उपयुक्त कदम लेने पर विचार करना चाहिए।

अपूर्ण परियोजनाओं हेतु कार्य योजना: सरकार को सभी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए एक प्रभावी त्वरित योजना तैयार करनी चाहिए ताकि लोग समय पर परिकल्पित लाभों को प्राप्त कर सकें।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण: वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रिया अत्यधिक व्यय तथा बिना प्रावधान के व्यय, बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों का आहरण तथा निधियों का अनावश्यक आहरण के कारण उपयुक्त नहीं रही। कई मामलों में प्रत्याशित बचतों (बजट के उपयोग में कमी) को या तो अभ्यर्पित नहीं किया गया था अथवा वर्ष के अंत में अभ्यर्पित किया गया जिससे इन निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु कोई गुंजाइश नहीं रही। कई विभागों द्वारा आवश्यकता से अधिक निधियों का आहरण, उचित स्पष्टीकरण के बिना पुनर्विनियोजन करना तथा निधियों के प्रावधान के बिना व्यय करने के द्वारा वित्तीय नियमों की अवहेलना की गई। वर्ष के अंत में निधियों को जारी करना तथा सारगर्भित निधियों का अभ्यर्पण एक विचार का विषय है, क्योंकि निधियों को फलदायक रूप से उपयोग नहीं किया जा सका। सार आकस्मिक बिलों को लम्बे समयावधि से समायोजित नहीं किया गया जिससे दुर्विनियोजन के जोखिम का संदेह बना रहता है।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि :

- सभी विभागों को व्यय के रूझानों एवं निधियों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक बजट आकलन प्रस्तुत करने चाहिए ताकि बड़ी बचतों/आधिक्य से बचा जा सके।
- सभी विभागों को आबंटनों पर हुए व्यय की बड़ी गहनता के साथ निगरानी करनी चाहिए और अनुदानों से ऊपर होने वाले व्यय आधिक्य को कड़ाई के साथ रोकना चाहिए।
- वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को बचतों का पहले से ही निर्धारण करने एवं निर्धारित तिथि तक उनके अभ्यर्पण को सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट निर्देश जारी करने चाहिए ताकि निधियों का आवश्यकता वाले अन्य विभागों द्वारा प्रभावी उपयोग किया जा सके।
- सार आकस्मिक बिलों पर लिए गए अग्रिमों का समायोजन विद्यमान नियमानुसार अनुबद्ध अवधि के भीतर करने हेतु विभागों में एक अनुश्रावणिक प्रणाली हो।


वित्तीय विवरण: विभिन्न अनुदानग्राही संस्थाओं को दिए गए ऋण एवं अनुदान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब से स्पष्ट है कि विभागों द्वारा विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना असंतोषजनक थी। चोरी, हानि तथा दुर्विनियोजन इसके उदाहरण थे।

सरकार को सुनिश्चित करने पर विचार करना चाहिए:

- अनुदानग्राही संस्थाओं को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समय पर प्रस्तुतीकरण;
- हानि और दुर्विनियोजन के ऐसे सभी मामलों को रोकने के लिए शीघ्र विभागीय जांच करना एवं सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना;
- व्यय एवं अन्य वित्तीय प्रतिवेदनों की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत जोड़ने के स्थान पर लेखों में पृथक से दर्शाना।

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त



अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यवार वर्गीकरण में हिमाचल प्रदेश को एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य की श्रेणी में डाला गया है। जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण के रूप में मिलता है वहीं हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार स्वरूप वित्तीय सहायता का अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाता है।

इसके बावजूद विगत दशक में राज्य में पर्याप्त आर्थिक वृद्धि देखी गई है तथा वर्ष 2002-03 से 2011-12 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की मिश्रित वृद्धि दर लगभग 15 प्रतिशत रही है (परिशिष्ट-1)। वर्ष 2001-11 के दौरान राज्य की जनसंख्या 13 प्रतिशत तक बढ़ी है तथा राज्य में वर्ष 2011 तथा 2012 में प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि 12 प्रतिशत रही है।

यह अध्याय हिमाचल प्रदेश सरकार के चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्त का विस्तृत परिदृश्य उपलब्ध करवाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। राज्य के प्रमुख राजकोषीय पूर्णयोगों में एक बड़ा बदलाव था कि वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व अधिशेष, राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2011-12 में पुनः यह राजस्व अधिशेष (₹645 करोड़) में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटा ₹1,633 करोड़ राज्य के घरेलू सकल उत्पाद का 2.59 प्रतिशत था जोकि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गए मानकीय मूल्य निर्धारण से काफी कम है।

1.1 वर्ष 2011-12 के दौरान चालू राजकोषीय लेन-देन का सारांश

तालिका-1.1 विगत वर्ष (2010-11) की तुलना में चालू वर्ष (2011-12) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सारांश प्रस्तुत करती है जबकि परिशिष्ट-1.4 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति सहित प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका-1.1
चालू वर्ष के राजकोषीय परिचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण				
विभिन्न मदें	2010-11	2011-12	विभिन्न मदें	2010-11	2011-12		कुल
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेत्तर	योजनागत	
प्रवर्ग-क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	12,711	14,543 ¹	राजस्व व्यय	13,946	12,197	1,701	13,898
कर राजस्व	3,643	4,108	सामान्य सेवाएं	5,279	5,655	35	5,690
कर-भिन्न राजस्व	1,695	1,915	सामाजिक सेवाएं	4,979	4,209	938	5,147
संघीय करों/शुल्कों का भाग	1,715	1,999	आर्थिक सेवाएं	3,682	2,321	728	3,049
भारत सरकार से अनुदान	5,658	6,521	सहायता अनुदान एवं अंशदान	6	12	--	12

¹ बुक समायोजन के रूप में ₹32.43 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

विभिन्न मदें	2010-11	2011-12	विभिन्न मदें	2010-11	2011-12		
	कुल	कुल		कुल	गैर योजनागत	योजनागत	कुल
प्रवर्ग-ख: पूंजीगत							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	646	--	पूंजीगत परिव्यय	1,789	46	1,764	1,810
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	73	25	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	227	15	478	493
लोक ऋण प्राप्तियां	2,411	1,984	लोक ऋण की चुकौती	870	--	1,128	1,128
आकस्मिकता निधि	--	--	आकस्मिकता निधि	--	--	--	--
लोक लेखा प्राप्तियां	8,507	9,237	लोक लेखा संवितरण	7,162	--	--	8,526
अथ रोकड़ शेष	281	635	अन्त रोकड़ शेष	635	--	--	569
योग	24,629	26,424	योग	24,629			26,424


विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:-

- विगत वर्ष की तुलना में **राजस्व प्राप्ति** में ₹1,832 करोड़ (14.41 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि कर-राजस्व (₹465 करोड़), कर-भिन्न राजस्व (₹220 करोड़), संघीय करों/शुल्कों का भाग (₹284 करोड़) तथा सहायता अनुदानों (₹863 करोड़) में हुई वृद्धि का शुद्ध परिणाम था।
- विशेष दर्जा प्राप्त राज्य होने से राजस्व प्राप्तियों का 44.84 प्रतिशत भारत सरकार से अनुदानों के रूप में आता है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में राजस्व प्राप्तियां 14.41 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि राजस्व व्यय 0.34 प्रतिशत तक घट गया।
- **राजस्व व्यय** में विगत वर्ष की तुलना में ₹48 करोड़ (0.34 प्रतिशत) तक की कमी हुई। यह कमी आयोजनेत्तर व्यय (₹97 करोड़) में कमी तथा योजना व्यय (₹49 करोड़) में वृद्धि का शुद्ध परिणाम था। सामान्य सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय, सामाजिक सेवाओं और सहायता अनुदानों में क्रमशः ₹411 करोड़, ₹168 करोड़ और ₹6 करोड़ तक की वृद्धि हुई जबकि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय ₹633 करोड़ तक घटा।
- **पूंजीगत व्यय** में विगत वर्ष की तुलना में ₹21 करोड़ (1.16 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। यह वृद्धि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वृद्धि (₹260 करोड़) तथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत कमी (₹239 करोड़) के कारण थी जबकि सामान्य सेवाओं के अंतर्गत व्यय स्थिर रहा।
- ऋण एवं अग्रिमों की वसूली ₹48 करोड़ (66 प्रतिशत) तक घटी जबकि संवितरण में ₹266 करोड़ (117.18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- लोक ऋण की प्राप्तियों में ₹427 करोड़ (17.71 प्रतिशत) कमी हुई जबकि लोक ऋण के अंतर्गत संवितरण में ₹258 करोड़ (29.65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।
- पूरे वर्ष के दौरान लोक लेखा प्राप्तियां एवं संवितरण में क्रमशः ₹730 करोड़ (8.58 प्रतिशत) तथा ₹1364 करोड़ (19.04 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- अथ नगद शेष ₹354 करोड़ तक बढ़ा जबकि अन्तशेष नगद में ₹66 करोड़ तक की कमी आई।

1.2 बजट आकलन एवं वास्तविक

कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए बजट आकलन तथा वास्तविक चार्ट-1.1 में नीचे दिये गये हैं।

चार्ट-1.1: चयनित राजकोषीय पैरामीटर: वास्तविकों की तुलना में बजट आकलन



स्रोत: प्राप्ति व व्यय (दिसम्बर 2011) तथा वित्त लेखों की समीक्षा

जैसा कि चार्ट-1.1 देखने से पता चलता है कि विभिन्न पैरामीटरों के मामलों में बजट आकलनों तथा वास्तविकों के मध्य भिन्नताएं थी। राजस्व प्राप्तियों में ₹449 करोड़ तक की (3.18 प्रतिशत) की वृद्धि तथा राजस्व व्यय में ₹144 करोड़ तक की (1.02 प्रतिशत) की कमी के परिणामस्वरूप बजट आकलनों के प्रति राजस्व अधिशेष ₹594 करोड़ रहा। राजकोषीय घाटे में ₹3 करोड़ तक की वृद्धि हुई जबकि प्राथमिक अधिशेष ₹23 करोड़ तक घटा। वर्ष 2011-12 के दौरान अनुमानित कर-भिन्न राजस्व के ₹1995 करोड़ के प्रति वास्तविक कर-भिन्न राजस्व की वसूली ₹80 करोड़ (4 प्रतिशत) तक कम रही। चालू वर्ष के दौरान आकलित ब्याज भुगतान ₹2151 करोड़ के प्रति वास्तविक भुगतान ₹2130 करोड़ किया गया।

2011-12 हेतु उपलब्धियों की तुलना में हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2011² में निर्धारित चयनित परिवर्तनों हेतु निर्धारित मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में किये गये प्रक्षेपणों के संदर्भ में वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य का प्रदर्शन नीचे तालिका-1.1क में सारांशित किया गया है:

² 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित

तालिका-1.1क
चयनित परिवर्तनों हेतु मूल राजकोषीय लक्ष्य

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पूर्वानुमान	(राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम)/ तेरहवें वित्त आयोग में प्रक्षेपण	निम्नवत् में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रक्षेपण मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी	वास्तविक	वास्तविक पर प्रतिशत भिन्नता	
				तेरहवें वित्त आयोग	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी
कर राजस्व	3,543	4,040	4,108	*	*
कर-भिन्न राजस्व	1,278	1,995	1,915	*	4.01
गैर-योजनागत राजस्व व्यय	8,744	12,572	12,197	39.49	*
पूंजीगत व्यय	---	1,498	1,810	--	--
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (-) अधिशेष (+)	0.0 (2011-12)	(+)0.36	(+) 4.44	*	*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-) 3 (2011-12)	(-)2.70	(-) 2.59	*	*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण	47 (2011-12 तक)	44	31	*	*
राज्य के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया गारंटियां	40 प्रतिशत से कम	25	26	*	1

* लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया।

- राज्य ने ₹645 करोड़ राजस्व अधिशेष की उपलब्धि हासिल की जोकि तेरहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी द्वारा निर्धारित राजस्व अधिशेष लक्ष्य का क्रमशः 4.44 प्रतिशत था।
- राज्य ने तेरहवें वित्त आयोग एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी द्वारा निर्धारित घाटे के लक्ष्य को भी बनाए रखा है।

बजट भाषण 2011-12 में की गई वचनबद्धताएं

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में वर्ष 2011-12 में राजकोषीय समेकनार्थ निम्नांकित वचनबद्धता की थी:

- कुल राजस्व व्यय ₹14,042 करोड़ तथा कुल व्यय ₹16,708 करोड़ आकलित किया गया था;
- कुल अपेक्षित पूंजीगत प्राप्तियां ₹2,077 करोड़ थी तथा ऋण चुकौतियों सहित कुल पूंजीगत व्यय ₹2,666 करोड़ आकलित किया गया था;
- कुल आकलित ब्याज भुगतान ₹2,151 करोड़ था तथा पेंशन भुगतान व्यय ₹2,210 करोड़ था;
- राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत अपेक्षित था जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य को राजस्व अधिशेष में ₹51 करोड़ बचे रहने की अपेक्षा थी।

तथापि, वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर राजस्व व्यय तथा कुल व्यय क्रमशः ₹13,898 करोड़ तथा ₹16,201 करोड़ पर था जो बजटीय परिलक्ष्यों की तुलना में क्रमशः ₹144 करोड़ तथा ₹507 करोड़ कम था।


पूंजीगत प्राप्तियां ₹2,009 करोड़ रही जो आकलनों से ₹68 करोड़ कम थी। पेंशन व्यय में बजट से ₹7 करोड़ तक की वृद्धि तथा यह ₹2,217 करोड़ रहा। इस प्रकार, इस सम्बन्ध में किए गए बजटीय पूर्वानुमानों के अनुसार इन प्रत्याशाओं को वांछित स्तर तक प्राप्त नहीं किया गया।

1.3 राज्य के संसाधन


1.3.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां और लोक लेखा प्राप्तियां कुल प्राप्तियों के तीन प्रवाह हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्य अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान निहित है। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं जैसे कि विनिवेश से प्राप्तियां, ऋण तथा अग्रिम की वसूलियां, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए उधार) से ऋण प्राप्ति और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम। प्राप्तियों का एक अन्य क्षेत्र लोक लेखे से उपार्जन है। **तालिका-1.1** चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसाकि इसके वार्षिक वित्त लेखे (**परिशिष्ट-1.1**) में अभिलिखित है जबकि **चार्ट-1.2** वर्ष 2007-12 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। **चार्ट-1.3** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को दर्शाता है।

चार्ट-1.2: प्राप्तियों की प्रवृत्तियां



चार्ट-1.3: 2011-12 के दौरान प्राप्तियों का संयोजन



उपरोक्त चार्ट प्रदर्शित करते हैं कि वित्त वर्ष की अपेक्षा 2011-12 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में ₹24,348 करोड़ से ₹25,789 करोड़ की 6 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इसमें से 56 प्रतिशत (₹14,543 करोड़) राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त हुए, शेष 44 प्रतिशत उधारों से प्राप्त हुए। राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश 2007-11 के दौरान लगभग स्थिर रहा परन्तु चालू वर्ष के दौरान यह 4 प्रतिशत तक बढ़ा। दूसरी ओर पूंजीगत प्राप्तियां (बाजार उधार तथा एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां) लोक लेखा प्राप्तियों सहित 2007-12 के दौरान कुल प्राप्तियों के 44 और 49 प्रतिशत के मध्य थी।

राजस्व प्राप्तियां 2007-08 में ₹9,142 करोड़ से 59 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2011-12 में ₹14,543 करोड़ हो गई जबकि ऋण पूंजीगत प्राप्तियां जो 2007-08 में ₹1,875 करोड़ थी स्थिरतापूर्वक बढ़कर 2011-12 में ₹2,009 करोड़ हो गई। लोक लेखा प्राप्तियां 2007-08 में ₹6,223 करोड़ से स्थिरतापूर्वक बढ़कर 2011-12 में ₹9,237 करोड़ हो गई जो कुल प्राप्तियों का 35 से 37 प्रतिशत के मध्य थी।

1.3.2 भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियां

केन्द्रीय सरकार विवेचनात्मक रूप से पहचानित सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों³ को प्रत्यक्ष रूप से काफी बड़ी मात्रा में निधियों का अंतरण कर रही है। चूंकि इन निधियों को राज्य बजट/राज्य कोष प्रणाली के माध्यम से नहीं भेजा जाता है, वार्षिक वित्त लेखे इन निधियों के प्रवाह को चित्रित नहीं करते हैं तथा उस सीमा तक राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय तथा उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय परिवर्तनों/पैरामीटरों का कम आकलन किया जाता है। 2011-12 के दौरान भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (परिशिष्ट-1.5 में विवरणित) को प्रत्यक्ष रूप से ₹1,416 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। मुख्य कार्यक्रमों/स्कीमों को दी गई महत्वपूर्ण राशियों को नीचे तालिका-1.2 में प्रस्तुत किया गया है:

³ परिशिष्ट-4 में दी गई शब्दावली देखें।

तालिका-1.2

भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियां
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	311.38
2.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	प्रमुख अभियन्ता	310.30
3.	अस्पताल एवं औषधालय (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत)	हि0प्र0 में आयुष संस्थानों के विकास हेतु संस्था	174.07
4.	सर्व शिक्षा अभियान	मिशन निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	141.93
5.	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	67.78
		योग	1,005.46


स्रोत: वित्त लेखे

तालिका-1.2 प्रदर्शित करती है कि ₹311.38 करोड़ (अंतरित की गई कुल निधियों का 21.99 प्रतिशत) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के लिए, ₹141.93 करोड़ (10 प्रतिशत) सर्व शिक्षा अभियान के लिए और ₹310.30 करोड़ (21.91 प्रतिशत) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए दिये गये थे। इस प्रकार, वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से ₹1,416 करोड़ के अंतरण से राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹25,789 करोड़ से बढ़कर ₹27,205 करोड़ हो गई। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों के अनुश्रवणार्थ कोई भी एजेंसी नहीं है और न ही कोई तत्काल आंकड़े उपलब्ध हैं जिनसे पता चल पाए कि मुख्य स्कीमों और अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों, जो राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है तथा भारत सरकार द्वारा इसका सीधा निधियन हो रहा है, पर एक विशेष वर्ष में वास्तविक रूप में कितना व्यय हो चुका है।


1.4 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे की विवरणी-11 राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देती है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वकीय कर व कर-भिन्न प्राप्तियां, केन्द्रीय कर अंतरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं। 2007-12 की अवधि हेतु राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संयोजन को परिशिष्ट-1.3 में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट-1.4 तथा 1.5 में भी चित्रित किया गया है।

चार्ट-1.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां



चार्ट-1.5: 2007-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संयोजन



राजस्व प्राप्तियां 13 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2007-08 में ₹9,142 करोड़ से 2011-12 में ₹14,543 करोड़ तक स्थिरतापूर्वक बढ़ी, किन्तु वर्ष 2011-12 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कर-भिन्न राजस्व के अंश में विगत वर्ष की अपेक्षा 13 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई जबकि भारत सरकार से सहायता अनुदान में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 41 प्रतिशत राज्य के स्वकीय संसाधनों से प्राप्त हुआ है जिसमें कर एवं कर-भिन्न शामिल हैं, शेष 59 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरणों द्वारा अंशदान किया गया जिसमें संघीय कर एवं शुल्क (14 प्रतिशत) का राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (45 प्रतिशत) शामिल है।

केन्द्रीय कर अंतरण: केन्द्रीय कर अंतरण में 2010-11 में ₹1,715 करोड़ से 2011-12 में ₹1,999 करोड़ तक ₹284 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 14 प्रतिशत संस्थापित हुआ। वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹116 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय कर (₹45 करोड़), सीमा शुल्क (₹47 करोड़) व सेवा कर (₹67 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

सहायता अनुदान: भारत सरकार से सहायता अनुदान में वृद्धि 2010-11 में ₹5,658 करोड़ से 2011-12 में ₹6,521 करोड़ तक होने से ₹863 करोड़ (15 प्रतिशत) रही।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां नीचे तालिका-1.3 में प्रदर्शित की गई हैं:

तालिका-1.3
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़)	9,142	9,308	10,346	12,711	14,543
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.68	1.82	11.15	22.86	14.41
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	26.91	22.44	22.03	23.24	23.05
उत्प्लावकता अनुपात ⁴					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व उत्प्लावकता	1.36	0.08	0.84	1.39	0.94
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राज्य की स्वकीय कर उत्प्लावकता	2.16	0.27	0.68	1.37	0.84

* 2004-05 के आधार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2007-10 के दौरान कर-भिन्न राजस्व व राजस्व प्राप्तियों के सहायता अनुदान अनुपात में कमी के कारण 2007-08 में 16.68 प्रतिशत से 2009-10 में 11.15 प्रतिशत

⁴ परिशिष्ट-4 में दी गई शब्दावली देखें।

तथा 2008-09 में 1.82 प्रतिशत की तीव्र गिरावट सहित वृद्धि दर में स्थिर गिरावट रही। यद्यपि, 2008-11 के दौरान इसने वृद्धि-प्रवृत्ति प्रदर्शित की तथा 1.82 प्रतिशत से बढ़कर 22.86 प्रतिशत हो गई परन्तु 2011-12 के दौरान यह पुनः घटकर 14.41 प्रतिशत हो गई। चालू वर्ष के दौरान विद्युत (₹116.12 करोड़) तथा सहकारिता (₹7.29 करोड़) पर कर तथा शुल्क प्राप्तियां कम रही। इसके अतिरिक्त, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वकीय कर का उत्प्लावकता अनुपात वर्ष 2008-09 में 0.27 से बढ़कर 2010-11 में 1.37 हो गया, परन्तु 2011-12 के दौरान 0.84 प्रतिशत तक घट गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राज्य के स्वकीय कर उत्प्लावकता 2007-09 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के कारण राजस्व उत्प्लावकता की अपेक्षा उच्चतर थी और 2009-10 से 2011-12 तक यह क्रमशः 0.16, 0.02 व 0.10 कम रही।

1.4.1 राज्य के स्वकीय संसाधन

केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्यांश की गणना वित्तायोग की सिफारिशों, केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण तथा योजनागत स्कीमों आदि हेतु केन्द्रीय सहायता के आधार पर की जाती है, अतिरिक्त संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण इसके स्वकीय कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से राजस्व से समाविष्ट इसके स्वकीय संसाधनों के अनुसार किया जाना चाहिए।

कर राजस्व

राज्य का कर राजस्व 2007-08 में ₹1,958 करोड़ से 2011-12 में ₹4,108 करोड़ तक 21 प्रतिशत वार्षिक औसत दर से बढ़ा। 2011-12 के दौरान राज्य के स्वकीय कर में मुख्य अंशदान बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹2,477 करोड़-कर राजस्व का 60 प्रतिशत), राज्य आबकारी (₹707 करोड़-कर राजस्व का 17 प्रतिशत), विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹185 करोड़-कर राजस्व का 5 प्रतिशत), वाहन कर (₹176 करोड़-कर राजस्व का 4 प्रतिशत), स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस (₹155 करोड़-कर राजस्व का 4 प्रतिशत) तथा माल व यात्री कर (₹94 करोड़-कर राजस्व का 2 प्रतिशत) से है। बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा राज्य आबकारी के संग्रहण में विगत वर्ष की अपेक्षा 2011-12 में क्रमशः ₹376 करोड़ तथा ₹145 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व विगत वर्ष के दौरान ₹1,695 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹1,915 करोड़ (13 प्रतिशत) हो गया। 2011-12 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता विद्युत क्षेत्र: ₹1,146 करोड़ (कर-भिन्न राजस्व का 60 प्रतिशत) तथा ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ: ₹201 करोड़ (कर-भिन्न राजस्व का 10 प्रतिशत) रहे और इसने विगत वर्ष (2010-11) की अपेक्षा विद्युत क्षेत्र तथा ब्याज, लाभांश एवं लाभ में क्रमशः ₹52 करोड़ तथा ₹67 करोड़ की बढ़ोतरी दर्शाई।

मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों ₹1,995 करोड़ की तुलना में राज्य के कर-भिन्न राजस्व (₹1,915 करोड़) की वास्तविक वसूली आंशिक रूप से ₹80 करोड़ तक कम थी। कर राजस्व व कर-भिन्न राजस्व तेरहवें वित्तायोग में किए गए प्रक्षेपणों (₹3,543 करोड़ तथा ₹1,278 करोड़) की अपेक्षा क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत तक उच्चतर था। माल की आपूर्ति एवं

सेवाओं में लागत वसूली (राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां) का चालू स्तर निम्नांकित तालिका-1.4 में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका-1.4
लागत वसूली का चालू स्तर

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विभाग	2007-08			2011-12		
		प्राप्ति	व्यय	प्रतिशतता	प्राप्ति	व्यय	प्रतिशतता
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7.71	470.55	1.64	8.73	826.49	1.06
2.	लघु सिंचाई	0.45	269.11	0.17	0.62	382.14	0.16
3.	माध्यमिक शिक्षा	3.01	484.89	0.62	3.56	966.39	0.37
4.	विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	3.20	146.03	2.19	3.59	247.94	1.45
5.	विद्युत	1,414.52	303.49	466.08	1,145.70	357.38	320.58
6.	पथ परिवहन	0.33	95.68	0.34	0.67	121.52	0.55
स्रोत:	वित्त लेखे।						

राज्य के मुख्य विभागों हेतु व्यय-प्राप्ति अनुपात यह दिखाता है कि उपरोक्त सभी विभागों में 2007-08 तथा 2011-12 के मध्य स्थिति खराब रही क्योंकि व्यय में प्रबल वृद्धि हुई जबकि प्राप्ति में विद्युत को छोड़कर केवल आंशिक वृद्धि हुई।

1.4.2 कर के अपवंचन तथा प्रत्यर्पण के कारण राजस्व हानि

कर का अपवंचन

वर्ष के दौरान कटौती किए गए कर के अपवंचन के मामले, पूर्ण किए गए निर्धारणों तथा लम्बित मामलों का ब्यौरा निम्नवत् है:

तालिका-1.5
कर का अपवंचन

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2011 को लंबित मामले	वर्ष के दौरान उजागर मामले	31 मार्च 2012 तक योग	मामलों की संख्या जिनकी निर्धारण/जांच पूरी कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2012 तक लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग राशि (₹ लाख)	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	110	25319	25429	25316	1041.94	113
2.	राज्य आबकारी	4	42	46	43	2.76	3
3.	यात्री एवं माल पर कर	296	1680	1976	1683	68.12	293
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	19	313	332	305	22.57	27
	योग	429	27354	27783	27347	1135.39	436

अतः 436 मामले निपटान के लिए लंबित पड़े थे। अतएव इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए कार्रवाई की जानी आवश्यक है।

प्रत्यर्पण

वर्ष 2011-12 के आरम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण मामलों, प्राप्त दावों, अनुमत प्रत्यर्पणों तथा वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर लम्बित मामलों की संख्या का ब्यौरा नीचे तालिका-1.6 में दिया गया है:

तालिका-1.6
प्रत्यर्पण मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	37	7.28	02	0.11
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	52	10.80	18	0.11
3	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	36	6.40	18	0.18
4	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	53	11.68	02	0.04

संग्रहण लागत

वर्ष 2011-12 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि कर ₹5.16 करोड़, राज्य आबकारी ₹2.58 करोड़, वाहन, माल व यात्री कर ₹26.83 करोड़ तथा स्टॉम्प शुल्क व पंजीकरण फीस ₹1.14 करोड़ के संग्रहण पर व्यय था। सकल संग्रहण के प्रति व्यय की प्रतिशतता क्रमशः 0.21, 0.36, 9.92 व 0.74 थी। राज्य में सकल संग्रहण के प्रति व्यय की प्रतिशतता वाहन, माल व यात्री कर के मामले को छोड़कर, अखिल भारतीय औसत से नीचे रही जो वर्ष 2011-12 हेतु संग्रहण की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से 6.21 प्रतिशत उच्चतर थी। अखिल भारतीय औसत प्राप्ति हेतु पूर्वोक्त व्यय को कम करने के लिए प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है।


1.5 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्व रखता है क्योंकि मुख्य व्यय का उत्तरदायित्व उनको सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय जुटाने में बजटीय प्रतिबन्ध है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धि तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत, विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों के निर्दिष्ट व्यय पर नहीं है। व्यय के आवंटन का विश्लेषण नीचे विवेचित किया गया है।

1.5.1 व्यय वृद्धि एवं संयोजन

चार्ट-1.6 पांच वर्षों (2007-12) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के सम्बन्ध में इसका संयोजन क्रमशः चार्ट-1.7 तथा 1.8 में चित्रित किया गया है।

चार्ट-1.6: कुल व्यय: प्रवृत्तियाँ एवं संयोजन



- राज्य का कुल व्यय 2007-08 में ₹9,720 करोड़ से 2011-12 में ₹16,201 करोड़ तक 14 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ गया। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान वृद्धि मात्र ₹239 करोड़ (2 प्रतिशत) थी। कुल व्यय में वृद्धि ऋणों व अग्रिमों तथा पूंजीगत व्यय में क्रमशः ₹266 करोड़ तथा ₹21 करोड़ की वृद्धि के कारण थी जबकि राजस्व व्यय में ₹48 करोड़ की कमी हुई।
- राजस्व व्यय:** यद्यपि 2007-08 से 2011-12 तक राजस्व व्यय में 14 प्रतिशत वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई, तथापि चालू वर्ष के दौरान यह ₹48 करोड़ (0.34 प्रतिशत) से ₹13,898 करोड़ तक घट गया। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय सामाजिक सेवाओं में ₹168 करोड़ तक बढ़ गया, जबकि आर्थिक सेवाओं में यह ₹633 करोड़ तक घटा। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख सेवाएं जिनमें कम व्यय किया गया, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास व शहरी विकास (₹126 करोड़) तथा सामाजिक कल्याण और पोषण (₹81 करोड़) और आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उर्जा (₹646 करोड़) और परिवहन (₹56 करोड़) थे।
- पूंजीगत व्यय:** पूंजीगत व्यय 2007-08 में ₹1,414 करोड़ से 47 प्रतिशत तक बढ़कर 2008-09 में ₹2,079 करोड़ हो गया किन्तु विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान ₹136 करोड़ (7 प्रतिशत) तथा ₹154 करोड़ (8 प्रतिशत) कम हुआ। 2011-12 में पूंजीगत निवेश में विगत वर्ष की तुलना में ₹1,789 करोड़ से ₹1,810 करोड़ बढ़कर ₹21 करोड़ (1 प्रतिशत) की आंशिक वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय के प्राथमिकीकरण हेतु वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में विशिष्ट मानकों का कोई उल्लेख नहीं किया गया


है। आर्थिक क्षेत्र में परिवहन (₹222 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹15 करोड़) तथा विद्युत परियोजनाएं (₹47 करोड़) लाभार्थी क्षेत्र थे जहां पूंजीगत व्यय किया गया था।

- ऋणों एवं अग्रिमों ने कुल व्यय का ₹493 करोड़ (3.04 प्रतिशत) संगठित किया जो कि विद्युत परियोजनाओं को दिए गए ऋणों (₹281 करोड़) के कारण विगत वर्ष की अपेक्षा ₹266 करोड़ अधिक था।


1.5.2 कार्यकलापों द्वारा कुल व्यय की प्रवृत्तियां

कार्यकलापों के सम्बन्ध में कुल व्यय को ब्याज भुगतान, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं, सहायता अनुदान तथा ऋणों एवं अग्रिमों सहित सामान्य सेवाओं पर संघटित व्यय के रूप में माना जाएगा। कुल व्यय में इन घटकों के प्रासंगिक अंश को क्रमशः चार्ट-1.7 व 1.8 में इंगित किया गया है।

चार्ट-1.7: कुल व्यय: इसके घटकों के अंश की प्रवृत्तियां



चार्ट-1.8: कुल व्यय: 'क्रियाकलापों' से प्रवृत्तियां



व्यय के इन घटकों के प्रासंगिक अंश की गति से प्रदर्शित हुआ कि व्यय के सभी घटकों में अंतर्वर्षीय विभिन्नताएं थीं। सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतानों सहित), जिसे अविकासात्मक के रूप में माना जाता है, लगातार 2007-08 में 35.88 प्रतिशत से 2010-11 में 33.53 प्रतिशत तक घट गया परन्तु

2011-12 में 35.57 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर विकासात्मक व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवा पर लगातार 2011-12 में 61.32 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। सामान्य सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं का भाग मुख्यतः सामान्य शिक्षा (₹303 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹111 करोड़) और लोक निर्माण विभाग (₹67 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण था। आर्थिक सेवाओं पर व्यय प्रमुख रूप से ऊर्जा (₹646 करोड़) एवं परिवहन (₹56 करोड़) में घटा, लेकिन कृषि व सम्बद्ध क्रियाकलापों में आंशिक वृद्धि (₹34 करोड़) हुई।

1.5.3 राजस्व व्यय का प्रभाव

राजस्व व्यय का कुल व्यय में सर्वाधिक भाग होता है। इसे सेवाओं तथा भुगतानों को चालू स्तर पर रखने, विगत दायित्वों हेतु खर्च किया जाता है तथा इस प्रकार यह राज्य की अधोसंरचना एवं सेवा नेटवर्क के लिए किसी प्रकार की वृद्धि में परिणत नहीं होता। समग्र राजस्व व्यय इसकी वृद्धि दर को सम्मिलित करते हुए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व प्राप्तियों के प्रति राजस्व व्यय का अनुपात तथा इसकी उत्प्लावकता को **परिशिष्ट-1.3** में इंगित किया गया है। गैर-योजनागत राजस्व व्यय 2007-08 में ₹7,090 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में 14 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर ₹12,197 करोड़ और योजनागत राजस्व व्यय 2008-09 में ₹877 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹1,701 करोड़ (94 प्रतिशत) हो गया।

योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय के अनुसार 2011-12 के दौरान कुल व्यय के विखण्डन से उद्घाटित हुआ कि गैर-योजनागत व्यय का प्रमुख भाग ₹12,258 करोड़ (कुल व्यय का 76 प्रतिशत) था जबकि शेष ₹3,943 करोड़ (24 प्रतिशत) योजनागत व्यय के रूप में था।

राजस्व व्यय 2010-11 में ₹13,946 करोड़ से 2011-12 में ₹13,898 करोड़ तक 0.34 प्रतिशत घट गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय ने 2007-12 की अवधि में 14 प्रतिशत की औसत दर से अंतर्वर्षीय विभिन्नता दिखाई है तथा लगातार सर्वाधिक अनुपात में अंश जारी रहा जो राजस्व व्यय के 86-91 प्रतिशत के मध्य परिवर्ती था। चालू वर्ष के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय में ₹97 करोड़ की कमी मुख्यतः शिक्षा (₹303 करोड़), पेंशन (₹111 करोड़) तथा स्थानीय निकायों को सहायता (₹132 करोड़) में कमी के कारण थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति गैर-योजनागत राजस्व व्यय के अनुपात में 2007-12 के दौरान 19.33 प्रतिशत और 22.48 प्रतिशत के मध्य अन्तर्वर्षीय भिन्नता प्रदर्शित हुई। गैर-योजनागत राजस्व व्यय के प्रति राजस्व व्यय की उत्प्लावकता 2007-08 में 0.70 प्रतिशत से 2008-09 में 0.67 प्रतिशत कम हो गई किन्तु 2009-10 में 1.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें आगे 2010-11 व 2011-12 के दौरान क्रमशः 1.04 तथा (-) 0.43 प्रतिशत की कमी हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में इसमें 2008-09 में 7.59 से 2011-12 में (-) 0.02 की कमी हुई। अन्य शब्दों में राजस्व प्राप्ति में प्रति एक प्रतिशत वृद्धि हेतु 2011-12 में गैर-योजनागत राजस्व व्यय एक प्रतिशत अर्थात् 0.43 प्रतिशत से भी कम घट गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (₹12,197 करोड़) तेरहवें वित्तयोग (₹8,744 करोड़) द्वारा 2011-12 में किये गये मानकीय निर्धारण से ₹3,453 करोड़ तक अधिक रहा।

दूसरी ओर योजनागत राजस्व व्यय में 2007-08 में ऋणात्मक (9.28 प्रतिशत) तथा 2008-09 के दौरान (27.04 प्रतिशत) परिवर्ती उतार-चढ़ाव प्रदर्शित हुआ जो 2009-10 में 41.16 प्रतिशत तक बढ़ गया और इसके बाद विगत वर्षों की तुलना में 2010-11 में 33.44 प्रतिशत व 2011-12 के दौरान 2.97 प्रतिशत तक लगातार घट गया।

1.5.4 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे में राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा उपदान का मुख्यतया समावेश होता है। तालिका-1.7 तथा चार्ट-1.9 इन घटकों पर क्रमशः 2007-12 एवं 2009-12 के दौरान व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं।


तालिका-1.7
वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट आकलन	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी, जिसमें से	3,577 (39)	3,940 (42)	4,788 (46)	5,951 (47)	6,044	6,215 (43)
गैर-योजनागत शीर्ष	3,173 (35)	3,813 (41)	4,645 (45)	5,784 (46)		5,981 (41)
योजनागत शीर्ष*	404 (4)	127 (1)	143 (1)	167 (1)		234 (2)
ब्याज अदायगियां	1,703 (17)	1,894 (20)	1,956 (19)	1,950 (15)	2,151	2,130 (15)
पेंशन पर व्यय	949 (10)	1,154 (12)	1,348 (13)	2,105 (17)	2,210	2,217 (15)
उपदान	328 (4)	369 (4)	403 (4)	439 (3)	423	465 (3)
योग	6,557	7,357	8,495	10,445		11,027

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय
लघु कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं
* केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत योजना शीर्ष में प्रदत्त वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।

चार्ट-1.9: 2009-12 के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश
(लेबलों में मूल्य ₹ करोड़)



● **वेतन और मजदूरी**

2011-12 के दौरान अकेले वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 43 प्रतिशत से अधिक था। इसमें 2010-11 में ₹5,951 करोड़ से 2011-12 में ₹6,215 करोड़ तक की लगभग चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर-योजनागत शीर्ष के अंतर्गत 2011-12 के दौरान वेतन व्यय विगत वर्ष की अपेक्षा ₹197 करोड़ (तीन प्रतिशत) तक बढ़ गया जबकि योजनागत शीर्ष पर वेतन व्यय विगत वर्ष की अपेक्षा ₹67 करोड़ (40 प्रतिशत) तक बढ़ गया। गैर-योजनागत वेतन व्यय 2007-12 के दौरान वेतन पर कुल व्यय का 89 तथा 97 प्रतिशत के मध्य था। वेतन व्यय (₹6,055 करोड़) चालू वर्ष के दौरान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹5,882 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों से ₹173 करोड़ कम हुआ जिसमें राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

● **पेंशन भुगतान**

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2007-08 में ₹949 करोड़ से 2011-12 में ₹2,217 करोड़ तथा विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹112 करोड़ तक बढ़ गया जिसमें विगत वर्ष की अपेक्षा पांच प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। पेंशन भुगतानों में 2011-12 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 15 प्रतिशत लेखाबद्ध था। चालू वर्ष हेतु पेंशन भुगतानों पर वास्तविक व्यय तेरहवें वित्तायोग (₹1,590 करोड़) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹2,210 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों से बढ़ गया।

● **ब्याज भुगतान**

ब्याज भुगतानों में 2007-08 में ₹1,703 करोड़ से 2011-12 में ₹2,130 करोड़ तक 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा चालू वर्ष के दौरान ₹180 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। उधारों का मुख्य स्रोत पांच से 13.99 प्रतिशत तक की परिवर्ती ब्याज दरों पर बाजार ऋण है। ब्याज भुगतान चालू वर्ष के लिए तेरहवें वित्तायोग के प्रक्षेपणों (₹1,899 करोड़) से अधिक था परन्तु मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹2,151 करोड़) से कम थी।

● **उपदान**

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि के लिए उपदानों का भुगतान कर रही है। उपदान 2007-08 में ₹328 करोड़ से 2011-12 में ₹465 करोड़ तक 42 प्रतिशत तथा विगत वर्ष की अपेक्षा 6 प्रतिशत तक बढ़ गये तथा राजस्व प्राप्तियों एवं कुल व्यय प्रत्येक का लगभग 3 प्रतिशत संघटित था। उपदानों के मुख्य घटक खाद्य एवं आपूर्ति वस्तुएं (₹106 करोड़); परिवहन (₹90 करोड़); विद्युत (₹140 करोड़); बागवानी (₹59 करोड़) तथा कृषि (₹51 करोड़) थे। उपदान 2011-12 में ₹465 करोड़ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹423 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों की तुलना में अधिक था।

1.5.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

विगत वर्षों से प्रासंगिक चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य को अनुदानों एवं ऋणों के रूप में प्रदान की गई सहायता की प्रमात्रा तालिका-1.8 में दर्शाई गई है।

तालिका-1.8
स्थानीय निकायों, आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान	176.49	203.49	231.14	311.25	314.89
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	70.66	82.46	115.92	92.26	122.94
जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थान	134.13	188.45	217.92	256.28	263.95
विकास एजेंसियां	37.74	44.45	48.61	52.14	46.72
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	0.10	4.85	41.25	48.11	69.70
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	26.41	28.23	31.78	41.09	85.87
पशुपालन	5.10	4.93	6.35	25.25	22.91
उद्योग	6.40	13.69	10.43	10.80	18.15
कृषि	1.20	1.56	2.96	1.03	8.90
पर्यटन	0.00	0.45	0.03	0.75	7.06
मत्स्य	0.24	0.42	0.23	0.14	6.89
कला एवं संस्कृति	1.63	2.09	2.34	2.80	2.23
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1.39	1.17	0.98	1.98	4.20
सहकारिता	1.30	1.42	1.70	1.40	2.06
अन्य	3.98	4.59	6.45	4.11	4.62
योग	466.77	582.25	718.09	849.39	981.09
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	5.63	6.17	6.44	6.09	7.06

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दिए गए अनुदानों में 2007-12 वर्षों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। यह विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹131.70 करोड़ (16 प्रतिशत) तक बढ़ गए। राजस्व व्यय में अनुदानों के अंश की 2007-12 की अवधि के दौरान 5.63 प्रतिशत तथा 7.06 प्रतिशत के मध्य बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। 2011-12 के दौरान कुछ घटकों के अंतर्गत तीव्र वृद्धि मुख्यतः नगर निगम व नगर पालिका (₹31 करोड़) एवं अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थानों (₹22 करोड़) को अधिक अनुदान जारी करने के कारण थी।

1.5.6 पंचायती राज संस्थाएं

1.5.6.1 परिचय

संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा एक ऐसी प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया जिसकी समरूप संरचना हो, नियमित चुनाव हों और वित्त आयोग आदि द्वारा निधियों का नियमित प्रवाह हो इत्यादि। पंचायती राज संस्थाओं से आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने एवं उन्हें कार्यान्वित करने की अपेक्षा की गई जिन्हें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके अनुरूप, सरकार के तीसरे स्तर के रूप में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 पारित किया और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, लेखापरीक्षा, निर्माण, कराधान एवं भत्ते) नियम, 2002 बनाया। राज्य में 12 जिला परिषदें, 77 पंचायत समितियां एवं 3243 ग्राम पंचायतें हैं।

1.5.6.2 कार्यों का निक्षेपण

• कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण

राज्य सरकार द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों में से 26 कार्य (परिशिष्ट-1.6) (जुलाई 1996) न्यस्त किये। शेष तीन कार्य ग्रामीण विद्युतीकरण, व्यस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक क्रिया कलाप हस्तांतरित नहीं किए गए। पंचायती राज निदेशक ने बताया (अगस्त 2012) कि शेष कार्यों के अन्तरण से सम्बन्धित मामला सम्बद्ध विभागों के साथ प्रक्रियाधीन था।

1.5.6.3 कार्य निर्वाहकों का निक्षेपण

हस्तांतरित कार्यों को अपेक्षित कार्य निर्वाहकों के निक्षेपण द्वारा सम्मिलित होना था और राज्य सरकार को निक्षेपित कार्यों के संस्थानों एवं कार्य निर्वाहकों को पंचायती राज संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी बनाने हेतु अपेक्षित प्रशासनिक ढांचा एवं सहायता उपलब्ध करानी थी। निदेशक (पंचायती राज) ने कहा (अगस्त 2012) कि सम्पूर्ण प्रशासनिक ढांचा जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं की निक्षेपित मानवीय शक्ति उसे लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाती है।

1.5.6.4 निधियों का निक्षेपण

राज्य सरकार ने विभागों में निधियों का निक्षेपण नहीं किया है। परिणामस्वरूप सम्बद्ध विभाग योजनाओं के संचालन के लिए अलग से बजट हेतु सतत रहे।

1.5.6.5 निधियों का स्रोत

तालिका-1.9 तथा चार्ट-1.10 में पिछले तीन वर्षों की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति दर्शाई गई है:

तालिका-1.9
पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्राप्तियां					व्यय			आधिक्य(+)/ बचत (-)
	अन्य निकाय	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल	
2009-10	0.00	69.87	58.57	0.00	128.44	79.67	48.77	128.44	0.00
2010-11	0.00	71.65	82.79	0.00	154.44	95.69	58.75	154.44	0.00
2011-12	0.00	72.87	113.15	1.00	187.02	133.09	53.93	187.02	0.00
योग	0.00	214.39	254.51	1.00	469.90	308.45	161.45	469.90	0.00

स्रोत: निदेशक पंचायती राज

टिप्पणी: ग्राम पंचायतें एक स्वतंत्र निकाय हैं तथा अपने स्तर पर प्राप्तियों को खर्च करने में सक्षम हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल प्राप्तियां ₹469.90 करोड़ थी जिन्हें तत्सम्बन्धी वर्षों के दौरान खर्च किया गया।

चार्ट-1.10: 2009-12 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं का राजस्व स्रोत



2009-12 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं की निधियों का प्रमुख स्रोत राज्य सरकार (45.62%) एवं केन्द्रीय सरकार के अनुदान (54.16%) थे। अन्य राजस्व (0.21%) केन्द्रीय एवं राज्य अनुदानों की तुलना में अल्प था।

1.5.6.6 लेखा व्यवस्था

पंचायती राज संस्थाएं अपने लेखे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 1997 द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में रखते हैं। भारत सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के वित्त का डाटाबेस विकसित करने के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध करवाए गये थे। छ: जिलों में डाटाबेस विकसित किया जा चुका था तथा शेष छ: जिलों में कार्य प्रगति पर था।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तर के लेखों के रखरखाव पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण की सिफारिश की थी। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2009 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक आदर्श लेखीय संरचना की सिफारिश की गई। निदेशक, पंचायती राज द्वारा बताया गया (अगस्त 2012) कि पंचायती राज संस्थाओं के लेखे पंचायती राज संस्था लेखा सॉफ्टवेयर पर संधारित किये जा रहे थे।

1.5.6.7 लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 का भाग-118 का उप-भाग (I) पंचायती राज निदेशक के नियंत्रण में पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा आय व व्यय पर उचित वित्तीय नियंत्रण रखने की दृष्टि से करवाने हेतु एक अलग एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा अभिकरण का प्रावधान करता है। अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के दौरान की गई अन्तरिम लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नवत् थी:

तालिका-1.10
अन्तरिम लेखापरीक्षा की स्थिति

(संख्या में)

क्रमांक	संस्थान का नाम	कुल इकाई	लेखापरीक्षा की जाने हेतु इकाइयां	लेखापरीक्षा की गई इकाइयां	इकाइयां जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई	कमी की प्रतिशतता
1.	जिला परिषद	12	06	05	01	17
2.	पंचायत समितियां	77	56	30	26	46
3.	ग्राम पंचायतें	3243	1940	1053	887	46

स्रोत: निदेशक पंचायती राज संस्थान

पंचायती राज संस्थानों, जिनका वित्त पोषण महत्वपूर्ण रूप से संघ और/या राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, की लेखापरीक्षा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्य, शक्तियां

एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत जहां भी लागू हो, संचालित किया जाता है। राज्य सरकार ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को पंचायती राज संस्थानों की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी पी सी) अधिनियम, 1971 के भाग 20 (1) के तहत तकनीकी दिशा-निर्देश एवं सहायता व्यवस्थाओं के अन्तर्गत करने हेतु भी न्यस्त किया है। इस प्रकार की लेखापरीक्षा के संचालन से उद्भूत लेखापरीक्षा जांच परिणाम राज्य सरकार को लेखा एवं लेखापरीक्षा नियमन, 2007 के तहत नियम 155 के अंतर्गत वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के रूप में सम्प्रेषित किया जाता है।

1.5.6.8 लेखापरीक्षा व्याप्ति

वर्ष 2011-12 के दौरान 8 जिला परिषदों, 22 पंचायत समितियों और 96 ग्राम पंचायतों के लेखों की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की गई। नीचे दी गई तालिका-1.11 में दिये गये विवरण के अनुसार 2005-12 के दौरान 11,005 पैरों से युक्त 1644 निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित पंचायती राज संस्थानों को जारी किए गए, जिनमें से 49 पैरों का समायोजन किया जा सका तथा 1644 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 10,956 पैरा लम्बित थे (मार्च 2012)।

तालिका-1.11

(संख्या में)

क्रमांक	निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पैरा		जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों के सम्बन्ध में जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पैरा		31.03.2012 तक जारी किए गए कुल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पैरा		समायोजित हो चुके निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पैरा		31-03-2012 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पैरा	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरा	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरा	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरा	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरा	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरा
1.	2005-08	528	2539	0	0	528	2539	0	0	528	2539
2.	2008-09	320	2596	0	0	320	2596	0	38	320	2558
3.	2009-10	336	2431	0	0	336	2431	0	04	336	2427
4.	2010-11	334	2396	0	0	334	2396	0	07	334	2389
5.	2011-12	96	790	30	253	126	1043	0	0	126	1043
	योग	1,614	10,752	30	253	1,644	11,005	0	49	1,644	10,956

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों और पैरों की बढ़ती प्रवृत्ति लेखापरीक्षा अवलोकन की अनुपालना न करने को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही का हास हुआ है।

1.5.7 शहरी स्थानीय निकाय

1.5.7.1 परिचय

74वें संवैधानिक संशोधन ने शक्तियों के विकेन्द्रीकरण और संविधान की बाहरवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के निधियों एवं कार्यकारणियों सहित शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अनुवर्ती, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों एवं जिम्मेदारियों के अंतरण के लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 एवं हिमाचल प्रदेश नगर अधिनियम, 1994 को पारित किया। यद्यपि इन अधिनियमों से पूर्व कुछ अपरिहार्य और स्वाधीन कार्य जैसे मार्गों, गलियों, पथ-प्रकाश, स्वच्छता आदि शहरी स्थानीय निकायों के पास थे।

11वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि नियंत्रक व महालेखापरीक्षक को शहरी स्थानीय निकायों के लिए बजट की तैयारी और लेखों के रख रखाव के लिए प्रारूप निर्धारित करने चाहिए तथा लेखों के अनुरक्षण और उनकी लेखा परीक्षा के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए। तदनुसार, राज्य सरकार ने अक्टूबर 2008 में अधिसूचना जारी करके तकनीकी निर्देशण एवं पर्यवेक्षण मापदण्ड के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के सुपुर्द कर दी थी।

1.5.7.2 निधियों का स्रोत एवं आबंटन

विभिन्न विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकाय मुख्यतः भारत सरकार और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार अनुदानों कुल कर राजस्व की शुद्ध प्राप्तियों के समर्पण के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा करों, किरायों, शुल्क, लाईसेंस को जारी करने आदि के रूप में भी राजस्व जुटाया जाता है।

वर्ष 2009-12 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों को जारी की गई निधियों की स्थिति तालिका-1.2 में नीचे दी गई है:

तालिका-1.12
राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियां			किया गया व्यय
	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	कुल	
2009-10	63.82	46.35	110.17	110.17
2010-11	85.19	0.62	85.81	85.81
2011-12	109.90	0.55	110.45	110.45

स्रोत: निदेशक शहरी स्थानीय निकाय

नगर निगमों, नगर समितियों और नगर परिषदों के मध्य अनुदानों का आबंटन कुल जनसंख्या और इनके द्वारा अपने संसाधनों से अर्जित राजस्व के आधार पर किया जाता है।

1.5.7.3 लेखापरीक्षा व्यवस्था

11वें वित्त आयोग की सिफारिशों यह अनुबद्ध करती हैं कि शहरी स्थानीय निकायों के लेखों के उचित रख-रखाव पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण तथा उनकी लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जिम्मेदार रहेगा।

शहरी स्थानीय निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा की जाती है। शहरी स्थानीय निकाय जो मुख्य रूप से संघ और/या राज्य सरकार की समेकित निधि से वित्त पोषित किए जाते हैं, उनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कार्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971, के भाग 14 के अंतर्गत जहां भी लागू हो, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थानों की लेखापरीक्षा तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी पी सी) अधिनियम, 1971 के भाग 20 (1) के तहत सुपुर्द किया है। इस प्रकार की लेखापरीक्षाओं के संचालन से उद्भूदित लेखापरीक्षा परिणामों से राज्य सरकार को लेखा व लेखापरीक्षा नियमन, 2007 के तहत नियम 155 के अन्तर्गत वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के रूप में सम्प्रेषित किया जाता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान नगर निगम शिमला, नौ नगर परिषदों⁵ और पांच नगर पंचायतों⁶ का लेखापरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त चम्बा जिले के तीन शहरी स्थानीय निकायों में से दो की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि नाम की राज्य योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

⁵ चम्बा, डलहौजी, धर्मशाला, घुमारवीं, नगरोटा बगवां, श्री नैना देवीजी, पालमपुर, ठियोग एवं ऊना

⁶ ज्वालामुखी, नादौन, सन्तोखगढ़, सुजानपुर टीहरा एवं तलाई

वर्ष 2011-12 तक जारी, समायोजित एवं बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं पैरों की स्थिति निम्नवत् तालिका-1.13 में दी गई है:

तालिका-1.13
लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों/पैरों की स्थिति

(संख्या में)

जारी करने का वर्ष	जारी निरीक्षण प्रतिवेदन/पैरे		31.03.2011 को स्थिति		निरीक्षण प्रतिवेदन/ 2011-12 के दौरान समायोजित पैरे		लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन/पैरा	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरे	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरे	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरे	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैरे
2008-09 तक	70	724	69	600	-	137	69	463
2009-10	16	222	16	213	0	0	16	213
2010-11	15	157	15	157	0	0	15	157
2011-12	15	194	0	0	0	30	15	164
योग	116	1,297	100	970	0	167	115	997

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं पैरों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अभियुक्तियों पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही का हास हुआ है।

1.5.7.4 लेखा प्रबन्धन

शहरी स्थानीय निकायों के लेखे शहरी विकास विभाग के निदेशक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (अप्रैल 2009) के अनुरूप यदिदस्तावेजों के आधार पर बनाए जाते हैं। राज्य अधिनियमों/नियमों में स्पष्ट प्रावधान न होने से शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखों के प्रमाणीकरण हेतु कोई स्वतंत्र अभिकरण अस्तित्व में नहीं था। प्रमाणीकरण के प्रावधानों की अनुपस्थिति में अन्तिम लेखों की प्रमाणिकता प्रदान नहीं की जा सकी तथा शहरी स्थानीय निकायों के लेखों के सही एवं सत्यनिष्ठ दृष्टि पर लेखापरीक्षा मत नहीं दिये जा सके।

1.5.7.5 कार्यों का निक्षेपण

शहरी स्थानीय निकायों के लिए संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों (परिशिष्ट-1.7) को राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित करना अपेक्षित था। राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा अनुसूची में वर्णित 18 कार्यों में से केवल 16 कार्यों को शहरी स्थानीय निकायों को न्यस्त किया (अगस्त 1994)। दो कार्यों (i) अग्निशमन सेवाएं एवं (ii) भू-उपयोग तथा भवन निर्माण नियमन का हस्तांतरण अधिनियम के अन्तर्गत आदेशाधीन होने के बावजूद हस्तांतरित नहीं किए गए। अग्निशमन सेवा कार्य शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए एक केन्द्रीकृत सुविधा है और इस कार्य को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। शहरी विकास विभाग के निदेशक ने बताया (अगस्त 2012) कि इन कार्यों के हस्तांतरण में कोई परिवर्तन नहीं था।

1.5.7.6 कायकारिया का निक्षेपण

शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण अर्थपूर्ण नहीं हो सकता जब तक इसके लिए अपेक्षित कार्यकारियों का निक्षेपण नहीं किया जाता। इसलिए राज्य सरकार को संस्थाओं एवं कार्यकारियों को समर्पित कार्यों के सम्बन्ध में शहरी स्थानीय निकायों के प्रति उत्तरदायित्व बनाने के लिए अपेक्षित

प्रशासनिक ढांचा एवं सहायता उपलब्ध करनी थी। शहरी विकास विभाग के निदेशक ने बताया (अगस्त 2012) कि यह मामला सरकार के विचाराधीन था।

● **कार्य निर्वाहकों का अपर्याप्त निक्षेपण**

यह देखने में आया है कि राज्य सरकार ने निक्षेपित कार्यों के लिए अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या को सुनिश्चित नहीं किया क्योंकि 25 नगर निगमों में विभिन्न वर्गों के 1934 स्वीकृत पदों की तुलना में 1505 व्यक्ति उपलब्ध थे जिसके परिणामस्वरूप 429 (22 प्रतिशत) की कमी रही और 24 नगर परिषदों में 537 स्वीकृत पदों की तुलना में उपलब्ध व्यक्ति मात्र 321 थे जिसके परिणामस्वरूप सितम्बर 2011 तक 216 पदों की (40 प्रतिशत) कमी रही। इस प्रकार शहरी स्थानीय निकायों में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या हस्तांतरित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त नहीं थी।

1.5.7.7 निधियों का निक्षेपण

समर्पित कार्यों का उचित ढंग से निष्पादन करने हेतु इन संस्थाओं को उपयुक्त निधियों/संसाधनों की आवश्यकता है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को निर्दिष्ट किये गये कार्यों का निष्पादन प्रभावशाली ढंग से करने योग्य बनाने हेतु निपट निधियों को जारी करना अपेक्षित था। शहरी विकास विभाग के निदेशक ने बताया (अगस्त 2012) कि निधियों को जारी करने का मामला सरकार के विचाराधीन था। निधियों के जारी न होने के कारण निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन नहीं हो सका। सरकार को निधियों के जारी करने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन प्रभावशाली ढंग से किया जा सके।

1.6 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया इस पर व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलु अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान); व्यय उपयोग की दक्षता तथा प्रभावशीलता (सेवाओं के चयन हेतु परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का मूल्यांकन) सम्मिलित है।

1.6.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

चालू वर्ष के दौरान विकास व्यय*, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण तालिका-1.14 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-1.14

2008-09 व 2011-12 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय/ कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र व्यय/कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/कुल व्यय
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2008-09	27.98	65.56	35.90	17.91
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2011-12	25.68	64.32	34.10	11.17

राजकोषीय प्राथमिकता का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यय की विशेष श्रेणी को दी गई प्राथमिकता से है। वर्ष 2011-12 में हिमाचल प्रदेश के व्यय ढांचे का मिलान वर्ष 2008-09 के साथ करने से पाया गया कि:

- 2008-09 की तुलना में कुल व्यय पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात दो प्रतिशत घट गया।

* परिशिष्ट-4 में दी गई शब्दावली देखें।

- विकास व्यय कुल व्यय के अनुपात के रूप में 1.24 प्रतिशत तक घटा। व्यय में कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाओं पर थी क्योंकि सामाजिक क्षेत्र व्यय का अनुपात दो प्रतिशत तक घट गया।
- पूंजीगत व्यय का अनुपात सात प्रतिशत तक घट गया।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विकासात्मक व्यय को उचित प्राथमिकता दी गई थी। तथापि, जब तक वित्तीय परिव्यय को प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में स्पष्ट नहीं कर दिया जाता तब तक परिणाम का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

1.6.2 व्यय उपयोग की दक्षता

सामाजिक क्षेत्र में कुल व्यय की अपेक्षा पूंजीगत व्यय के अनुपात में 2007-08 में 0.18 से 2011-12 में 0.06 की गिरावट आई। सामान्य शिक्षा के मामले में कुल व्यय की अपेक्षा पूंजीगत व्यय के अनुपात 2007-08 में 0.08 से 2011-12 में 0.01 की कमी हुई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 2007-08 में 0.07 से 2011-12 में 0.04 तक तथा जलापूर्ति, स्वच्छता तथा आवास एवं शहरी विकास में 0.41 से 0.26 तक की कमी आई जिसका अर्थ 2011-12 में पूंजीगत व्यय को कम प्राथमिकता दी गई थी।

तालिका-1.15

चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2007-08			2011-12		
	कुल व्यय के प्रति पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में निर्मांकित का अंश वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण	कुल व्यय के प्रति पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में निर्मांकित का अंश वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
सामाजिक सेवाएं						
सामान्य शिक्षा	0.08	0.86	--	0.01	0.84	--
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.07	0.82	--	0.04	0.83	--
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास व शहरी विकास	0.41	0.43	0.57	0.26	0.54	0.69
सामाजिक सेवाओं पर कुल औसत अनुपात	0.18	0.75	0.13	0.06	0.80	0.10
आर्थिक सेवाएं						
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	0.06	0.51	0.01	0.06	0.50	0.01
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.53	0.75	0.55	0.55	0.77	0.54
ऊर्जा (विद्युत)	0.43	0.01	--	0.58	0.03	--
परिवहन	0.36	0.77	0.53	0.39	0.60	0.69
आर्थिक सेवाओं पर कुल औसत अनुपात	0.32	0.58	0.27	0.33	0.54	0.34
सामाजिक सेवाओं-आर्थिक सेवाओं का कुल औसत अनुपात	0.24	0.68	0.19	0.18	0.70	0.19
स्रोत: वित्त लेखे तथा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय						

1.6.3 व्यय की प्रभावशीलता अर्थात् आगमन-निगमन-परिणाम सम्बन्ध

सरकारी स्रोतों से उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार (परिशिष्ट-1) हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे तथा साक्षरता दर से सम्बन्धित लोगों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है। तथापि, लोक व्यय में प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु राज्य को अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रदाय तंत्र को सुधारने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से सरकारी व्यय की गुणवत्ता, प्रसार तथा प्रभाव के अनुसार परिणामों हेतु व्यय को सम्बद्ध करने की अपेक्षा की जाती है।

1.6.4 नई पेंशन योजना में प्रव्रजन

तेरहवें वित्त आयोग के परिच्छेद 7.122 के अनुसार भारत सरकार ने सरकारी सेवा में आने वाले नव प्रवेशकों के लिए एक स्पष्ट अंशदायी नई पेंशन प्रणाली 1 अप्रैल 2004 से आरम्भ की। अन्तरिम पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नई पेंशन प्रणाली के संस्थागत ढांचे की स्थापना की गई। नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड का चयन केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण एवं लेखा एजेंसी के रूप में हुआ जबकि तीन पेंशन निधि प्रबन्धकों, एक अभिरक्षक एवं एक न्यासित बैंक को भी नियुक्त किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान कर्मचारियों के डाटाबेस तैयार करने हेतु तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत ₹ एक करोड़ आबंटित किए गए।

राज्य सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड एवं नई पेंशन योजना न्यास के साथ क्रमशः दिसम्बर 2009 तथा मार्च 2010 में समझौते किए। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने तीन निधि प्रबन्धकों को नियुक्त किया तथा बैंक ऑफ इंडिया को न्यासी बैंक बनाया। कर्मचारियों एवं पेंशनरों का डाटाबैंक तैयार कर लिया गया था। वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान क्रमशः ₹131.07 करोड़ एवं ₹145.15 करोड़ कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के अंश के रूप में न्यासित बैंक को अंतरित किए जा चुके थे। तथापि अप्रैल 2009 से अक्टूबर 2012 तक के लेगेसी डाटा को न्यासित बैंक को हस्तांतरित नहीं किया गया था तथा यह समायोजनाधीन था जिसे अब शीघ्र ही समायोजित एवं हस्तांतरित किया जाए।

1.7 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन पूर्व ढांचे में राज्य से अपने राजकोषीय घाटे (एवं उधार) को न केवल न्यून स्तर पर रखने की अपेक्षा की जाती है बल्कि इसके पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) आवश्यकताओं को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन में राज्य सरकार को इसके निवेशों पर पर्याप्त आय अर्जित करने के लिए उपायों को तथा इसकी उधार निधियों की लागत को वसूल करने की आवश्यकता है बजाए इसके कि अन्तर्निहित उपदान के रूप में इसके बजट से उसको वहन किया जाए तथा वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों तथा अन्य पूंजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

1.7.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2012 तक अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बन्ध में विभागवार सूचना तालिका-1.16 में दी गई है।

तालिका-1.16

अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	31.03.2012 को संचित वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि
1.	2.	3.	4.	5.	6 (5-3)
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	8	37.88	74.36*	63.49	25.61
भवन एवं सड़क (लोक निर्माण)	3	62.68	--	40.67	--
विद्युत [#]	2	481.05	1040.64	826.03	344.98
योग	13	581.61	1115.00	930.19	370.59

स्रोत: वित्त लेखे एवं #विभागीय आंकड़े

* सात योजनाओं के संशोधित मूल्य उपलब्ध हैं।

सभी अपूर्ण परियोजनाओं जिनकी संशोधित लागतें उपलब्ध हैं, के सम्बन्ध में ₹371 करोड़ की अधिक लागत आई। विलम्ब के कारणों के विश्लेषण से उद्घाटित हुआ कि विलम्ब छः वर्षों तक हुआ। ये परियोजनाएं भूमि विवादों, निधियों की कमी, न्यायालय से सम्बन्धित मामलों, विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों, सुरंग कार्य को रद्द करना आदि कारणों से अपूर्ण पड़ी हुई थीं।

लम्बित मामलों का हल निकालने तथा अधिक समय व लागत को रोकने हेतु आगे शीघ्रता से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि अभिप्रेत लाभार्थियों को परिकल्पित लाभ शीघ्रातिशीघ्र मिले, प्रयास करने की आवश्यकता है।

1.7.2 निवेश एवं प्रतिफल

राज्य सरकार द्वारा निवेशों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। 31 मार्च 2012 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹2,448 करोड़ का निवेश किया था (तालिका-1.17)। इस निवेश पर विगत पांच वर्षों में 2.46 प्रतिशत की औसत आय थी, जबकि सरकार ने 2007-12 के दौरान अपने उधारों पर 8.49 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया।

तालिका-1.17
निवेश प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधार लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	औसत 2007-12
वर्ष के अंत में निवेश	2,033	2,369	2,663	2,864	2,448	--
प्रतिफल	0.52	89.58	73.49	64.11	85.65	--
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.03	3.78	2.76	2.24	3.50	2.46
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.09	9.19	8.59	7.78	7.80	8.49
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	9.06	5.41	5.83	5.54	4.30	6.03

स्रोत: वित्त लेखे

मुख्य निवेश छः सांविधिक निगमों/बोर्डों (₹908.64 करोड़), 21 सरकारी कम्पनियों (₹396.60 करोड़) तथा एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम (₹1068.14 करोड़) में किया गया। सरकारी कम्पनियों में मुख्य प्राप्तकर्ता जिन्होंने 31 मार्च 2012 तक संचित हानियां उठाई वे हिमाचल सड़क परिवहन निगम (₹80.65 करोड़), हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (₹1.42 करोड़), हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (₹1.62 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम लिमिटेड (₹2.24 करोड़), हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्तपोषण एवं विकास निगम (₹0.43 करोड़) और हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम (₹2.42 करोड़) थे।

निवेशों पर 2011-12 में सरकार को ₹85.65 करोड़ का प्रतिफल प्राप्त हुआ जो कि 2010-11 में प्राप्त प्रतिफल से ₹21.54 करोड़ ज्यादा था। 2007-12 के दौरान निवेश पर औसत प्रतिफल 2.46 प्रतिशत था, जबकि इस दौरान उधारों पर ब्याज भुगतान की औसत दर 8.49 प्रतिशत थी। ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच 4.30 प्रतिशत का अन्तर था।

1.7.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार संस्थाओं/संगठनों जैसे शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति, पशुपालन आदि को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी।

तालिका-1.18 31 मार्च 2012 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रदर्शित करती है।

तालिका-1.18
राज्य सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2009-10	2010-11	2011-12
अथ शेष	293	329	483
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	70	227	493
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	34	73	25
अंत शेष	329	483	951
<i>जिसमें से</i> बकाया शेष जिनके लिए शर्तें एवं निबन्धन निर्धारित किए गए हैं	--	--	--
निवल वृद्धि	36	154	468
ब्याज प्राप्तियां	11	11	21
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	3.5	2.28	2.21
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियां	9.0	8.22	8.06
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अंतर (प्रतिशत)	(-) 5.5	(-)5.94	(-) 5.85

31 मार्च 2012 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹951 करोड़ थी। अग्रिम में दिये गये ₹493 करोड़ के प्रति चालू वर्ष के दौरान केवल ₹25 करोड़ लौटाये गये, जिससे विगत वर्ष की अपेक्षा चुकौती में ₹48 करोड़ की कमी हुई। 2011-12 के दौरान ऋणों के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में विद्युत परियोजनाएं (₹473.56 करोड़) और कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप (₹7 करोड़) थे। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किये जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अंतर था। 2009-12 के दौरान कमी लगभग स्थिर थी। 2011-12 के दौरान बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्तियों की 2.21 प्रतिशत आय प्राप्त की। तथापि, इस अवधि के दौरान इसने उधारों पर आठ प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया।

1.7.4 रोकड़ शेष तथा उसका निवेश

तालिका-1.19 वर्ष के दौरान रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेशों को दर्शाती है।

तालिका-1.19
रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2011 तक	31 मार्च 2012 तक	वृद्धि (+)/कमी (-)
रोकड़ शेष	634.86	568.72	(-) 66.14
रोकड़ शेषों से निवेश			
क. भारत सरकार के खजाना बिल	906.53	948.67	42.14
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियां	4,935.51	5,063.00	127.49
चिह्नित शेषों से निवेश का निधिवार विखंडन	--	--	--
वसूल किया गया ब्याज	49.60	55.83	(+) 6.23

राज्य सरकार के रोकड़ शेष चालू वर्ष की समाप्ति पर 2010-11 में ₹634.86 करोड़ से 2011-12 में ₹568.72 करोड़ होने पर ₹66.14 करोड़ तक घट गये। राज्य सरकार ने भारत सरकार खजाना बिलों में ₹948.67 करोड़ तथा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में ₹5,063 करोड़ का निवेश किया और 2011-12 के

दौरान ₹55.83 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। राज्य सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दैनिक नकदी शेष का अनुरक्षण करने में समर्थ थी और इसने अर्थोपाय अग्रिमों का लाभ नहीं उठाया (परिशिष्ट-1.3)।

चालू वर्ष के दौरान रोकड़ शेष में कमी पूर्ति के लिए सरकारी खजाना बिल ₹26,739.57 करोड़ का 174 अवसरों पर निवेश किया गया और 246 अवसरों पर ₹26,697.43 करोड़ रिडिस्काउंट किए गये।

1.8 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.8.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय में से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट-1.4 (भाग-ख)** 31 मार्च 2012 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2011 को उनकी तदनुसूची स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

1.8.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.3** में प्रदर्शित किया गया है। तथापि, विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन **तालिका-1.20** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-1.20
राजकोषीय देयताएं-मूल पैरामीटर

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़)	19,419	21,819	23,713	26,415	28,228
वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.46	12.36	8.68	11.39	6.86
निम्न के प्रति राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद* (प्रतिशत)	57.17	52.60	50.48	48.29	44.74
राजस्व प्रप्तियां (प्रतिशत)	212.42	234.41	229.20	207.81	194.10

* आधार वर्ष 2004-05 पर संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2007-08 में ₹19,419 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹28,228 करोड़ हो गई। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। समेकित निधि देयता (₹19,511 करोड़) में बाजार ऋण (₹10,147 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹947 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹8,417 करोड़ जिनमें भारत सरकार के एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष सुरक्षा पर ₹5,063 करोड़ शामिल हैं) सम्मिलित हैं।

लोक लेखा देयताओं (₹8,717 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹6,738 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसा कि निक्षेप (₹1,758 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹221 करोड़) शामिल हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर सात प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2007-08 में 57.17 प्रतिशत से निरन्तर रूप से घट कर

2011-12 में 44.74 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं 2011-12 के अंत में राजस्व प्राप्तियों के 1.94 गुणा पर स्थिर थी। राज्य सरकार द्वारा बाजार ऋणों व अन्य ऋणों तथा ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए बारहवें वित्तयोग द्वारा यथा सिफारिश एक समेकित निक्षेप निधि को स्थापित किया जाना अपेक्षित था। राज्य सरकार ने अभी तक निक्षेप निधि को स्थापित नहीं किया है।

1.8.3 गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा गारंटियां दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों की बकाया गारंटियां जैसा कि वित्त लेखे की विवरणी 9 में दर्शाया गया है, तालिका-1.21 में नीचे दी गई है।

तालिका-1.21
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटियां	2009-10	2010-11	2011-12
गारंटीकृत अधिकतम राशि	4,361	6,232	6,208
गारंटियों की बकाया राशि	1,949	3,910	3,316
वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटीकृत अधिकतम राशि की प्रतिशतता	42	49	43

राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अंतर्गत ऐसी सीमाएं निर्धारित करने जिनके अन्तर्गत सरकार राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी दे सकती है, के संदर्भ में कोई कानून पारित नहीं किया गया है। तथापि, मार्च 2011 में संशोधित हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि कुल बकाया गारंटियों को चालू वर्ष से पूर्व वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। चूंकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से राज्य सरकार द्वारा दी गई बकाया गारंटियां 2010-11 तक अधिनियम में निर्धारित की गई सीमा में थी। विभिन्न निगमों तथा अन्य द्वारा उठाए गये ऋणों पर बकाया गारंटियां 2011-12 की समाप्ति पर ₹3,316 करोड़ थी जो विगत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 26 प्रतिशत थी तथा ये गारंटियां राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के संशोधन द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की अनुमत सीमा में थी। गारंटियों के मुख्य प्राप्तकर्ता, जिनके प्रति राशियां 31 मार्च 2012 को बकाया थी, छः सांविधिक बोर्ड/निगम (₹2,937 करोड़), सात सरकारी कम्पनियां (₹141 करोड़), एक सहकारी बैंक (₹230 करोड़) तथा दो स्थानीय/स्वायत्त निकाय (₹8 करोड़) थे। वर्ष के दौरान कोई गारंटी लागू नहीं की गई। दी गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी विमोचन निधि को स्थापित किया जाना अपेक्षित था जैसा कि बारहवें वित्तयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी किसी भी निधि को स्थापित नहीं किया है।

1.9 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त विभिन्न सूचकों, जो राज्य की ऋण धारणीयता⁷ को निश्चित करते हैं, का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह संवर्ग ऋण स्थिरीकरण⁸; ऋण-रहित

⁷ परिशिष्ट-4 में दी गई शब्दावली देखें।

⁸ परिशिष्ट-4 में दी गई शब्दावली देखें।

⁹ परिशिष्ट-4 में दी गई शब्दावली देखें।

प्राप्तियों¹⁰ की पर्याप्तता; उधार निधियों¹¹ की निवल उपलब्धता; ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के प्रति ब्याज भुगतानों द्वारा परिमित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार राज्य सरकार की ऋण धारणीयता का निर्धारण करता है। तालिका-1.22 वर्ष 2009-10 से आरम्भ तीन वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है।

तालिका-1.22
ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवृत्तियां


(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के सूचक	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार+ प्राथमिक घाटा)	178	1,462	2,481
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	(-) 506	252	899
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	341	752	(-)317
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.189	0.153	0.146
राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (वर्षों में)*			
0 – 1	869.69 (5.08)	952.61(5)	1,496.44 (8)
1 – 3	2,444.40(14.29)	3,121.30(17)	3,408.68 (17)
3 – 5	3,238.28(18.92)	3,346.47(18)	2,853.82 (15)
5 – 7	2,568.84(15.01)	3,087.09(16)	4,291.81 (22)
7 तथा इससे ऊपर	7,991.73(46.70)	8,146.89(44)	7,459.94 (38)

लघु कोष्ठकों के आंकड़े प्रतिशतता को सूचित करते हैं

उपरोक्त तालिका-1.22 से प्रकट होता है कि प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार वर्ष 2009-10: ₹178 करोड़, 2010-11: ₹1,462 करोड़ और 2011-12: ₹2,481 करोड़ धनात्मक था। राज्य सरकार की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि कुल लोक ऋण का 40 प्रतिशत (₹7,759 करोड़) आगामी पांच वर्षों में चुकौती योग्य है, जबकि शेष 60 प्रतिशत ऋण (₹11,752 करोड़) की पांच वर्षों से अधिक अवधि में अदायगी की जानी अपेक्षित है। 31 मार्च 2012 को सात वर्षों और अधिक की परिपक्वता अवधि के अन्तर्गत लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा चार्ट-1.11 में प्रदर्शित है:

चार्ट-1.11: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

¹⁰ परिशिष्ट-4 में दी गई शब्दावली देखें।

¹¹ परिशिष्ट-4 में दी गई शब्दावली देखें।

अपने व्यय देयताओं का निर्वहण करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ा क्योंकि विगत पांच वर्षों में से किसी भी वर्ष में राजकोषीय अधिशेष उपलब्ध नहीं था। 31 मार्च 2012 को लोक ऋण के लम्बित स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा यह प्रदर्शित करती है कि लोक ऋण का 38.23 प्रतिशत सात वर्षों व अधिक की परिपक्वता अवधि के अन्तर्गत था।


1.10 राजकोषीय असंतुलन

तीन मूल राजकोषीय पैरामीटर-राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा-विशेष अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखों में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अन्तराल को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त, जिस ढंग से घाटे का वित्त प्रबन्धन किया जाता है तथा जुटाए गये संसाधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी वित्तीय स्थिति के महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह प्रवर्ग इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, मात्रा तथा वित्तीय व्यवस्था के तरीके को प्रदर्शित करता है तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रदर्शित करता है।


1.10.1 घाटे की प्रवृत्तियां

चार्ट-1.12 तथा 1.13 2007-12 की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं:

चार्ट-1.12: घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)



चार्ट-1.13: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियां
(सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में आंकड़े)



चार्ट-1.12 तथा 1.13 से उद्घाटित होता है कि समस्त राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक लेखाओं में 2008-11 के दौरान भारी घाटे की स्थिति देखने को मिली। वर्ष के दौरान राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.59 प्रतिशत था जो कि तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों (3 प्रतिशत) के अन्दर था। 2007-08 में राजस्व अधिशेष स्थिति से राज्य को 2009-10 में ₹130 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ जो आगे बढ़कर 2010-11 में ₹1,235 करोड़ हो गया जो 850 प्रतिशत की वृद्धि को इंगित करता है, लेकिन चालू वर्ष में राज्य अर्थ व्यवस्था ने ₹645 करोड़ (152 प्रतिशत) का राजस्व अधिशेष अर्जित किया। चालू वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष के पीछे पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹1,832 करोड़ (14.41 प्रतिशत) की वृद्धि और राजस्व व्यय में ₹48 करोड़ (0.34 प्रतिशत) की कमी प्रमुख कारण रही। कर-भिन्न राजस्व में ₹220 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि कर राजस्व में ₹465 करोड़ तक वृद्धि हुई, संचयी करों/शुल्कों के भाग में ₹284 करोड़ की वृद्धि थी तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में विगत वर्ष की तुलना में ₹863 करोड़ की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹1,832 करोड़ की शुद्ध वृद्धि लेखाबद्ध हुई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटा 2010-11 में ₹2,532 करोड़ से 2011-12 के दौरान ₹1,633 करोड़ तक होने से ₹899 करोड़ की कमी हुई। 2010-11 में प्राथमिक घाटे में कमी ₹582 करोड़ हुई और 2011-12 में 185 प्रतिशत की कमी प्रदर्शित करते हुए ₹497 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। ब्याज अदायगियों में ₹180 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.59 प्रतिशत था जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों (3 प्रतिशत) के अन्तर्गत था।

1.10.2 राजकोषीय घाटा एवं उसकी वित्तीय व्यवस्था के घटक

राजकोषीय घाटा की वित्तीय व्यवस्था में संयोजनात्मक अंतरण हुआ है जैसा कि तालिका-1.23 में प्रतिबिम्बित किया गया है।

तालिका-1.23
राजकोषीय घाटा एवं उसकी वित्तीय व्यवस्था के घटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय घाटे का अपघटन						
1	राजस्व घाटा	(+) 850 (2.64)	(-) 130 (-0.31)	(-) 805 (-1.71)	(-)1,235 (-2.26)	(+) 645 (1.02)
2	पूंजीगत व्यय	1,414 (4.39)	2,079 (5.61)	1,943 (4.14)	1,789 (3.27)	1,810 (2.87)
3	निवल ऋण व अग्रिम	(-)12 (0.04)	69 (0.19)	36 (0.09)	154 (0.29)	468 (0.74)
राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था *						
1	बाजार ऋण	1,322	1,752	1,177	389	922
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 5	(-) 44	13	(-)23	(-) 13
3	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	134	60	396	650	127
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-) 599	(-) 406	78	526	(-) 180
5	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	540	515	546	888	636
6	निक्षेप एवं अग्रिम	(-) 366	217	265	333	178
7	उच्चत एवं विविध	2	53	117	137	(-) 119
8	प्रेषण	50	(-) 2	75	48	(-) 127
9	अन्य	(-) 526	151	117	(-)416	(+) 209
10	समग्र अधिशेष/घाटा	(-) 552	(-) 2,278	(-) 2,784	(-)2,532	(-) 1,633
कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।						
* वर्ष के दौरान संवितरणों/बहिर्गमनों से सम्बन्धित ये सभी निवल आंकड़े हैं।						

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका-1.23 से पता चलता है कि राज्य की राजकोषीय स्थिति 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भारी घाटे में फंस गई। 2011-12 के दौरान ₹1,633 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार से उधारों (₹922 करोड़), लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि (₹636 करोड़), एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों (₹127 करोड़) और निक्षेप एवं अग्रिम (₹178 करोड़) के कारण था। 2011-12 के दौरान बाजार उधारों तथा लघु बचतों, भविष्य निधि आदि ने मिलकर घाटे का 95 प्रतिशत अंशदान किया जो भविष्य में ब्याज भार में वृद्धि करेगा।

1.10.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात तथा राजस्व व पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को दर्शाता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे के प्रति अनुपात उस सीमा को सूचित करता है जिसके लिए चालू उपभोग हेतु उधार निधियों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात भी सूचित करता है कि राज्य का

परिसम्पत्ति आधार भी लगातार संकुचित हो रहा था तथा उधारों का भाग (राजकोषीय देयताएं) किसी परिसम्पत्ति का समर्थन नहीं रखता था। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका-1.24) उस सीमा को सूचित करेगा जिसके लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि के सम्बन्ध में घाटा हो रहा है जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता का सुधार करने में वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.24
प्राथमिक घाटा/अधिशेष-कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय (3+4+5)	प्राथमिक राजस्व अधिशेष (2-3)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (2-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2007-08	9,168	6,589	1,414	14	8,017	2,579	1,151
2008-09	9,329	7,544	2,079	90	9,713	1,785	(-) 384
2009-10	10,380	9,195	1,943	70	11,208	1,185	(-) 828
2010-11	13,430	11,996	1,789	227	14,012	1,434	(-) 582
2011-12	14,568	11,768	1,810	493	14,071	2,800	(+) 497

- वर्ष 2007-08 से आगे राज्य की गैर-ऋण प्राप्ति प्राथमिक राजस्व व्यय से उच्चतर थी जो इस व्यय हेतु पर्याप्त थी। वर्ष 2007-08 से प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में गैर-ऋण प्राप्ति 2007-08 में ₹2,579 करोड़ से निरन्तर गिरकर 2009-10 में ₹1,185 करोड़ हो गई परन्तु 2010-11 में ₹1,434 करोड़ तथा चालू वर्ष 2011-12 में ₹2,800 करोड़ की निरन्तर वृद्धि दर्ज की।
- कुल प्राथमिक व्यय में 2007-12 की अवधि के दौरान ₹8,017 करोड़ से ₹14,071 करोड़ होने से ₹6,054 करोड़ की वृद्धि हुई जो प्राथमिक राजस्व व्यय में 2007-08 में ₹6,589 करोड़ से 2011-12 में ₹11,768 करोड़ होने पर ₹5,179 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय में 2007-08 में ₹1,414 करोड़ से 2011-12 में ₹1,810 करोड़ होने पर ₹396 करोड़ की वृद्धि के कारण थी जो गत वर्ष की अपेक्षा एक प्रतिशत बढ़ा।
- वर्ष 2007-08 की अवधि के दौरान राज्य के पास प्राथमिक अधिशेष था किन्तु यह 2008-09 में ₹384 करोड़ के घाटे में चला गया जो पुनः 2009-10 में बढ़कर ₹828 करोड़ हो गया परन्तु 2010-11 के दौरान सुधार हुआ है और यह ₹582 करोड़ रहा जो 2011-12 के दौरान ₹497 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2011-12 के दौरान प्राथमिक अधिशेष प्रमुखतः बीते वर्ष की तुलना में कर-भिन्न राजस्व में ₹220 करोड़ (12.98 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण वृद्धि और ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में ₹266 करोड़ (117 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण रहा।

1.11 निष्कर्ष

राज्य की राजकोषीय स्थिति मूल राजकोषीय पैरामीटरों अर्थात् राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा के सन्दर्भ में अवलोकित की जाती है। वर्ष के दौरान गत वर्ष के राजस्व घाटे की अपेक्षा राजस्व अधिशेष अर्जित किया। पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹14,543 करोड़) 14 प्रतिशत (₹1,832 करोड़) बढ़ी जबकि राजस्व व्यय में ₹48 करोड़ (0.34 प्रतिशत) की कमी हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 के दौरान दर्ज ₹1,235 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में राजस्व अधिशेष ₹645 करोड़¹² हुआ। परिणामस्वरूप राजस्व लेखे तेरहवें वित्त आयोग और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन अधिनियम में किये गये प्रक्षेपणों के अनुरूप हैं।

राजस्व अधिशेष में वृद्धि जिसमें पूंजीगत व्यय में वृद्धि तथा निवल ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में वृद्धि को जोड़ने के परिणामस्वरूप 2011-12 में ₹1,633 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ। पिछले वर्ष के ₹582 करोड़ का प्राथमिक घाटा इस वर्ष के ₹497 करोड़ का अधिशेष दर्शाता है। वर्ष 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा 2.59 प्रतिशत राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम के तीन प्रतिशत के लक्ष्य के अन्दर था।

वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 86 प्रतिशत संघटित हुआ जबकि गैर-योजनागत राजस्व व्यय राजस्व व्यय का 88 प्रतिशत संघटित हुआ। योजनागत राजस्व व्यय में पूर्व वर्ष की तुलना में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पूर्व वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में एक प्रतिशत (₹1,810 करोड़) की वृद्धि हुई। सरकारी निवेश पर प्रतिफल की निम्न दर और ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज मूल्य की अपर्याप्त वसूली चिन्तनीय विषय है। बजट प्राक्कलन (₹6,044 करोड़) में किए गए प्रक्षेपणों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान वेतन व्यय अधिक रहा।

वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार ने बजट के माध्यम के बिना राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों में प्रत्यक्ष रूप से ₹1,416 करोड़ अंतरित किए। इन निधियों के अन्तर्गत किए जाने वाले व्यय का अनुश्रवण करने के लिए एक भी एजेंसी नहीं है।

चालू वर्ष के अंत तक गत वर्ष की तुलना में राजकोषीय दायित्व सात प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹28, 228 करोड़ रहा और जोकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 45 प्रतिशत रहा।

¹² बुक समायोजन के रूप में ₹32.43 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

संविधान की 11वीं व 12वीं अनुसूची में वर्णित 29 व 18 कार्यों में से राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 26 व 16 कार्य पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के सुपुर्द किए गए। शहरी स्थानीय निकायों में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या भी निक्षेपित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त नहीं थी। 31 मार्च 2012 को 13 अपूर्ण परियोजनाएं थी जिनमें ₹930 करोड़ अवरूद्ध थे। समय और लागत वृद्धि को रोकने के लिए तथा लाभार्थियों के उद्भावी लाभों के निवर्तन/अस्वीकृति से बचने के लिए अपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

1.12 सिफारिशें

सरकार को:

- सभी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि लोगों को परिकल्पित लाभ समय से प्राप्त हो;
- निवेश में धन का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों के बारे में विचार करना चाहिए।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

1875

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों के निर्दिष्टानुसार विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा अधिकृत की तुलना में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखे वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए ये वित्त लेखे के सम्पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित करने के लिए देखा जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तव में विनियोजन अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अनुमोदन के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आई बजट एवं व्यय प्रबन्धन तथा बजट नियमावली के उल्लंघन से सम्बन्धित कमियों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2 विनियोजन लेखे का सारांश

वर्ष 2011-2012 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-2.1 में नीचे दी गई है:

तालिका-2.1
मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत					
I राजस्व	13307.83	248.39	13556.22	13475.37	(-) 80.85
II पूंजीगत	1535.51	407.44	1942.95	1870.50	(-) 72.45
III ऋण एवं अग्रिम	207.22	156.05	363.27	492.98	(+) 129.71
कुल दत्तमत	15050.56	811.88	15862.44	15838.85	(-) 23.59
प्रभारित					
IV राजस्व	2184.24	5.26	2189.50	2165.05	(-) 24.45
V पूंजीगत	--	4.89	4.89	4.89	--
VI लोक ऋण-चुकोती	960.84	138.40	1099.24	1127.72	(+) 28.48
कुल प्रभारित	3145.08	148.55	3293.63	3297.66	(+) 4.03
आकस्मिकता निधि को विनियोजन (यदि कोई हो)					
	--	--	--	--	--
सकल जोड़	18195.64	960.43	19156.07	19136.51	(-) 19.56

* निधियों के उपयोग में कमी

स्रोत: विनियोजन लेखे

वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत पूंजीकृत ₹19.56 करोड़ की समग्र बचत/अप्रयुक्त राशि, राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत दो अनुदानों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत चार अनुदानों व एक विनियोजन में ₹752.51 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत 30 अनुदानों व छः विनियोजनों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत 21 अनुदानों में ₹772.07 करोड़ की बचत के फलस्वरूप था।

वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के प्रति ₹25 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण बचतें भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन (राजस्व-दत्तमत), पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन (राजस्व-दत्तमत), शिक्षा (राजस्व-दत्तमत), वन एवं वन्य प्राणी (राजस्व-दत्तमत), ग्रामीण विकास (राजस्व-दत्तमत), जनजातीय विकास (राजस्व-दत्तमत) तथा लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन (पूंजीगत-दत्तमत) में पाई गई। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के प्रति आवंटनों की तुलना में महत्वपूर्ण अधिक व्यय लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन (राजस्व-दत्तमत), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व-दत्तमत), योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (पूंजीगत-दत्तमत), विद्युत विकास (पूंजीगत-दत्तमत) एवं वित्त (पूंजीगत-प्रभार) में पाया गया।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश द्वारा सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों से 713 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में बचतों/आधिक्यों के लिए कारण मांगे गये थे (जुलाई 2012)। इसमें से 330 उप-शीर्षों (बचत: 164 उप-शीर्षों; आधिक्य: 166 उप-शीर्षों) के सम्बन्ध में विभिन्नता हेतु स्पष्टीकरण सितम्बर 2012 तक प्रतीक्षित थे।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 व्यय की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से पता चलता है कि 38 मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ तक बढ़ गई तथा तीन मामलों में कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक रही (परिशिष्ट-2.1)। ₹772.07 करोड़ की कुल बचतों में से चार अनुदानों से सम्बन्धित मात्र चार मामलों में ₹396.96 करोड़ (51 प्रतिशत) की खासी बचत हुई जहां बचत प्रत्येक मामले में ₹50 करोड़ से अधिक थी जैसा कि तालिका-2.2 में नीचे इंगित है:

तालिका-2.2

₹50 करोड़ से अधिक की बचतों सहित अनुदानों/विनियोजनों की सूची

(₹ हजार में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल	अनुपूरक	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व-दत्तमत						
1.	05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	4145088	41569	4186657	3531117	655540 अथवा ₹65.56 करोड़
2.	08-शिक्षा	29194082	11	29194093	27142999	2051094 अथवा ₹205.11 करोड़
3.	20-ग्रामीण विकास	3859055	1	3859056	3108325	750731 अथवा ₹75.07 करोड़
पूंजीगत-दत्तमत						
4.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	3835400	1025960	4861360	4349143	512217 अथवा ₹51.22 करोड़
	योग	41033625	1067541	42101166	38131584	3969582 अथवा ₹396.96 करोड़

स्रोत: विनियोजन लेखे

बचतों के लिए कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

2.3.2 स्थायी/निरंतर बचतें

तीन मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की स्थायी/निरंतर बचतें थी; विवरण तालिका-2.3 में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.3

2007-12 के दौरान स्थायी/निरंतर बचतों के साथ अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान की संख्या व नाम	बचत की राशि				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व-दत्तमत						
1.	03-न्याय प्रशासन	1.47	3.66	2.84	16.51	15.96
2.	15-योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	8.83	15.06	9.99	7.78	9.43
पूँजीगत-दत्तमत						
3	29-वित्त	14.76	2.32	4.19	1.84	1.67

यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है। सरकार से सभी अनुदानों के स्थायी/निरंतर बचतों के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

2.3.3 अधिक व्यय

5 मामलों में ₹5266.35 करोड़ का कुल व्यय अनुमोदित प्रावधानों से प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान (तीन मामले) के 20 प्रतिशत से अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹752.46 करोड़ का अधिक व्यय हुआ (परिशिष्ट-2.2)। विभागों से अधिक व्यय के लिए कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

निम्नलिखित दो मामलों में गत पांच वर्षों में निरन्तर अधिक व्यय पाया गया जैसा कि तालिका-2.4 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2.4

2007-12 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय को इंगित करने वाली अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	अधिक व्यय की राशि				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व-दत्तमत						
1.	10-लोक निर्माण-सड़के, पुल एवं भवन	126.38	134.46	215.36	219.60	221.99
2.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	275.92	340.76	236.55	586.72	350.71

निरन्तर अधिक व्यय प्रदर्शित करता है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे। इस प्रकार एक सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के लिए इन शीर्षों के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता का निर्धारण अधिक व्यय के ऐसे दृष्टान्तों की पुनरावृत्ति से बचने हेतु अधिक यथार्थवादी होना चाहिए।

2.3.4 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार निधियों के प्रावधान के बिना स्कीम/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि 12 मामलों में मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में बिना किसी प्रावधान तथा इस आशय के बिना किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के ₹526.10 करोड़ का व्यय किया गया जैसा कि तालिका-2.5 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-2.5
2011-12 के दौरान बिना प्रावधान के किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या व नाम	बिना प्रावधान के व्यय राशि	टिप्पणियां
03-न्याय प्रशासन			
1.	2070/00/105/01	0.10	कारण प्रतीक्षित थे
05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन			
2.	2245/02/101/01	25.41	कारण प्रतीक्षित थे
3.	2245/02/107/01	7.68	
4.	2245/02/108/01	1.07	
07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन			
5.	2070/106/04	0.19	कारण प्रतीक्षित थे
19-सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण			
6.	2235/60/200/11	0.75	कारण प्रतीक्षित थे
29-वित्त			
7.	2049/01/122/01	475.72	कारण प्रतीक्षित थे
8.	7610/00/201/01	0.04	
9.	7610/00/201/03	0.10	
10.	7610/00/202/01 एवं 04	0.07	
31-जनजातीय विकास			
11.	2215/01/796/04, 05 एवं 06	8.31	कारण प्रतीक्षित थे
12.	2702/80/796/08, 09 एवं 10	6.66	
	योग	526.10	

2.3.5 बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण

हिमाचल प्रदेश खजाना नियमावली के नियम 5.71 (सी)(5) अनुबद्ध करता है कि खजाने से धन का आहरण नहीं किया जाएगा, जब तक तत्काल वितरणार्थ आवश्यक न हो। निम्नवत् मामलों के सम्बन्ध में आहरित राशियां न तो निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु खर्च की गईं और न ही वित्तीय वर्ष 2011-12 के समापन से पूर्व खजाना में प्रत्यर्पित की गईं:

2.3.5.1 अप्रयुक्त राशियां

मुख्य चिकित्सा अधिकारी किन्नौर द्वारा (मार्च 2003-मार्च 2012) ₹1.08 करोड़ की राशि 10 कार्यों¹ के निष्पादन हेतु आहरित की गईं लेकिन कार्यकारी एजेन्सी (लोक निर्माण विभाग) द्वारा मई 2012 तक भूमि की उपलब्धता न होने के कारण राशि अप्रयुक्त रही।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी द्वारा (दिसम्बर 2009-जनवरी 2011) 9 कार्यों² के निष्पादन हेतु ₹1.65 करोड़ आहरित किये गये, लेकिन कार्यकारी एजेन्सी (लोक निर्माण विभाग) द्वारा राशि मार्च 2012 तक, औपचारिकताओं के पूरा न होने (पांच मामलों) और भूमि की उपलब्धता न होने (चार मामलों) के कारण अप्रयुक्त रही।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर स्थित नाहन द्वारा (मार्च 2009-मार्च 2011) ₹2.95 करोड़ 20 कार्यों³ के

¹ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (1): ₹0.08 करोड़; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (4): ₹0.65 करोड़; क्षेत्रीय अस्पताल (2): ₹0.22 करोड़; एवं आवासीय रिहायश (3) ₹0.13 करोड़

² स्टॉफ क्वार्टर्स (7): ₹1.45 करोड़ एवं स्वास्थ्य उप-केन्द्रों का निर्माण (2): ₹0.20 करोड़

³ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (2): ₹0.35 करोड़; स्वास्थ्य उप-केन्द्र (12): ₹0.92 करोड़; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (5): ₹0.93 करोड़ एवं क्षेत्रीय अस्पताल (1): ₹0.75 करोड़

निष्पादन हेतु आहरित किये गये, लेकिन कार्यकारी एजेन्सी (लोक निर्माण विभाग) द्वारा फरवरी 2012 तक भूमि की अनुपलब्धता (सात मामले), निविदा/कार्य प्रदान करने को अन्तिम रूप न दिया जाना (पांच मामलों), संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन/वित्तीय संस्वीकृति का प्राप्त न होना (पांच मामलों) संशोधित नक्शे का अनुमोदन प्राप्त न होना (एक मामले) तथा पुराने कार्यस्थल का खण्डकरण न होने (दो मामलों) के कारण राशि अप्रयुक्त रही।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना द्वारा (फरवरी 2010-जून 2011) तीन कार्यों⁴ के निष्पादन हेतु ₹1.55 करोड़ आहरित किये गये, लेकिन जून 2012 तक भूमि की उपलब्धता न होने के कारण राशि कार्यकारी एजेन्सी (लोक निर्माण विभाग) के पास अप्रयुक्त रही।

2.3.5.2 अनावश्यक निधि आहरण

पांच मण्डलों⁵ के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ है (अगस्त 2011-जनवरी 2012) कि इन मण्डलों द्वारा 37 निक्षेप कार्यों⁶ के निष्पादनार्थ जनवरी 2003 व नवम्बर 2010 के मध्य विभिन्न विभागों/एजेन्सियों से प्राप्त ₹2.60 करोड़ स्पष्ट कार्यस्थल की अनुपलब्धता और उपयुक्त कार्यस्थल को अन्तिम रूप न दिये जाने जैसे कारणों से कार्यों के आरम्भ न होने के कारण अप्रयुक्त रहे। स्पष्ट है कि सम्बन्धित मण्डलों द्वारा विभिन्न विभागों/एजेन्सियों से निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत निधि पूर्व अपेक्षित औपचारिकताओं तथा स्वीकृत आधारभूत संरचना के कार्य के निष्पादन हेतु भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना प्राप्त की गई जो कि उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के विपरीत था। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं ने इन तथ्यों को (अगस्त 2011-जनवरी 2012) स्वीकारा।

2.3.6 विगत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को राज्य विधानसभा से अनुदान/विनियोजन के अतिरिक्त आधिक्य को नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय नियमनार्थ कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परन्तु व्यय के आधिक्य का नियमन लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। तथापि, 2008-2011 वर्षों हेतु ₹3681.96 करोड़ की राशि के व्यय आधिक्य का नियमन अभी किया जाना था (परिशिष्ट-2.3)। नियमन के लिए लम्बित आधिक्य व्यय की वर्षवार राशि नीचे सारांशित की गई है:

तालिका-2.6

विगत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निम्नांकित की संख्या		प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य राशि	नियमन स्थिति
	अनुदान	विनियोजन		
2008-09	11	3	556.52	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेज दी गईं। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
2009-10	19	1	887.80	वित्त विभाग से स्वयंमेव उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
2010-11	19	2	2237.64	07 जुलाई, 2012 से चर्चा के लिए नियत है। वित्त विभाग से स्वयंमेव उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
योग			3681.96	

⁴ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (2): ₹1.37 करोड़ एवं स्वास्थ्य उप-केन्द्र (1): ₹0.18 करोड़

⁵ अर्को: ₹0.47 करोड़; चौपाल: ₹0.20 करोड़; निरमण्ड: ₹0.78 करोड़; टौणी देवी: ₹0.35 करोड़ और उदयपुर: ₹0.80 करोड़

⁶ विद्यालय भवनों/विज्ञान प्रयोगशालाओं/छात्रवास भवनों/खेल परिसरों/चार दीवारी निर्माण: 12; सड़कों/पुलों/पैदल पथ पारों का निर्माण: 10; अस्पतालों में एच एस सी/औषधालयों/धोबीघाटों तथा अस्पताल के चारों ओर दीवार का निर्माण: 7; आई टी आई भवन/अम्बेदकर भवन/बस स्टैण्ड/टाईप-III क्वार्टर: 5; और इन्डोर स्टेडियम/व्यायामशाला: 3

2.3.7 वर्ष 2011-12 के दौरान प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

वर्ष 2011-12 के दौरान विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत अनुदान/विनियोजन की तुलना में छः अनुदानों तथा एक विनियोजन में कुल ₹752.51 करोड़ का अधिक व्यय किया गया (परिशिष्ट-2.4)। संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत अधिक व्यय का विनियमन करना अपेक्षित है।

2.3.8 अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान सात मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹50 लाख से अधिक, प्राप्त समग्र ₹41.16 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर से ऊपर नहीं आया (परिशिष्ट-2.5)। तीन मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) प्राप्त ₹390.83 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान ₹179.76 करोड़ (परिशिष्ट-2.6) के कुल अनावृत्त आधिक्य व्यय को छोड़ते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ। अनावृत्त आधिक्य में से ₹112.23 करोड़ (62 प्रतिशत) अकेले अनुदान क्रम-23-विद्युत विकास पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग द्वारा खर्च किये गए।

2.3.9 निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई से जहां बचतें प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, अनुदान में निधियों का अंतरण है। अविवेकी पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके फलस्वरूप 198 उप-शीर्षों में ₹10 लाख से अधिक की बचतें/आधिक्य हुआ। इनमें से 50 उप-शीर्षों में आधिक्य/बचत ₹ दो करोड़ से अधिक की थी (परिशिष्ट-2.7)।

तीन मामलों में पाई गई ₹100 करोड़ और इससे अधिक की पर्याप्त बचतें/आधिक्य जहां पुनर्विनियोजन किया गया था, सूचित करता है कि सम्बन्धित स्कीमों के अंतर्गत 2011-12 के बजट में आकलित व योजनाबद्ध के अनुसार खर्च नहीं किया जा सका।

2.3.10 अस्पष्ट पुनर्विनियोजन

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 13.3 (ख) के अनुसार अतिरिक्त व्यय तथा बचतों हेतु कारणों को पुनर्विनियोजन विवरणी में इस तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यदि "यात्रा भत्तों" के अन्तर्गत आधिक्य होते हैं तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों अतिरिक्त यात्रा भत्ते का अनुमान नहीं लगाया जा सका तथा इसकी लागत को वहन करने हेतु प्रावधान नहीं किया गया और यह क्यों आवश्यक था। तथापि, वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन के आदेशों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 899 मदों जहां पुनर्विनियोजन मांगा गया था, (विनियोजन लेखे/आदेशों में बताई गई 3,915 मदों में से 23 प्रतिशत) के सम्बन्ध में ऐसे पुनर्विनियोजन हेतु दिए गए कारण जैसे "प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन", "दैनिक भोगी स्टॉफ की अधिक/कम नियुक्ति", "स्टॉफ द्वारा अधिक/कम दौरा करना" तथा "किराया, दरों व कर बिलों की अधिक/कम प्राप्ति" सामान्य प्रकृति के थे।

2.3.11 पर्याप्त अभ्यर्पण

स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न करने अथवा धीमे कार्यान्वयन से 50 उप-शीर्षों (परिशिष्ट-2.8) के सम्बन्ध में पर्याप्त अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पण किया गया) किया गया। इन 50 स्कीमों में ₹328.77 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹233.18 करोड़

(71 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 19 स्कीमों (₹71.05 करोड़) में शत प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित था (परिशिष्ट-2.9)।

इसके अतिरिक्त, 18 मामलों में जिसमें प्रत्येक मामले में अभ्यर्पण ₹10 करोड़ से अधिक था 31 मार्च 2012 को ₹734.01 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था (परिशिष्ट-2.10)।

मार्च 2012 के अन्तिम दिन निधियों का अभ्यर्पण अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है जो आवश्यकता वाले क्षेत्रों में अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियों की अप्रयुक्ति की ओर अग्रसर करता है।

2.3.12 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अभ्यर्पण आदेश की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि नौ मामलों में अभ्यर्पित की गई राशि (प्रत्येक मामले में ₹50 लाख अथवा अधिक) सम्बन्धित शीर्षों के प्रति पंजीकृत वास्तविक बचतों से अधिक थी जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी अथवा अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को इंगित करता है। इन मामलों में पाई गई ₹155.70 करोड़ की पंजीकृत बचतों के प्रति अभ्यर्पित राशि ₹406.39 करोड़ थी जिसके फलस्वरूप ₹250.69 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ (परिशिष्ट-2.11)। सम्बद्ध विभागों से बचतों से अधिक अभ्यर्पण के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

2.3.13 प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण न करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बचतें, जब कभी प्रत्याशित हों, व्यय करने वाले विभाग द्वारा 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित की जानी चाहिए। तथापि, यह देखा गया है कि निम्नलिखित अनुदानों में ₹271.33 करोड़ की कुल बचतों में से केवल ₹192.41 करोड़ अभ्यर्पित की गई। वित्त विभाग को ₹78.92 करोड़ (29 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं किया गया जैसा कि तालिका-2.7 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका-2.7

अभ्यर्पित नहीं किया गया ₹ एक करोड़ और उससे अधिक की बचत से सम्बन्धित मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
1.	05-भू-राजस्व जिला प्रशासन	65.55	62.54	3.01
2.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	51.22	--	51.22
3.	12-बागवानी	10.75	8.80	1.95
4.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन	6.42	2.57	3.85
5.	16-वन एवं वन्य प्राणी	48.36	45.01	3.35
6.	20-ग्रामीण विकास	75.07	72.76	2.31
7.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	13.96	0.73	13.23
योग		271.33	192.41	78.92

2.3.14 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन मास में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए। इसके विपरीत, 24 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में (परिशिष्ट 2.12) ₹10 करोड़ से अधिक का व्यय तथा वर्ष हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत से भी अधिक मार्च 2012 माह

में खर्च किया गया। मुख्य शीर्षों का विवरण जहां व्यय 50 प्रतिशत से अधिक या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान किया गया, तालिका-2.8 में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.8
वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2012 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	2225	84.97	53.99	64	43.77	52
2.	3604	11.97	10.43	87	10.43	87
3.	4216	17.46	11.70	67	11.70	67
4.	4700	58.56	31.03	53	12.07	21
5.	4702	151.60	92.12	61	92.12	61
6.	4801	206.50	200.00	97	42.25	20
	योग	531.06	399.27	75	212.34	40

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2011-12 के दौरान पूर्वोक्त मुख्य शीर्षों के प्रति खर्च किए गए कुल व्यय का 75 प्रतिशत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त चार मामलों में कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय अकेले मार्च 2012 माह में किया गया। सशक्त वित्तीय प्रबन्धन हेतु व्यय की समरूप गति को बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार, वित्तीय नियमन की प्रवृत्ति के विपरीत वर्ष के अंत में विभाग द्वारा खर्च की गई पर्याप्त राशि व्यय पर प्रभावी नियंत्रण की कमी तथा निकृष्ट वित्त प्रबन्धन का सूचक था।

2.4 विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना

2.4.1 बिलों के प्रस्तुतीकरण में लम्बन

हिमाचल प्रदेश खजाना नियमावली के नियम 5.74 और 5.75 के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल में प्रमाणित करना होता है कि उस बिल की तिथि से एक मास से अधिक समय से आहरित आकस्मिक बिलों के सम्बन्ध में विस्तृत बिलों को कोषाधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उसी वित्तीय वर्ष जिसमें यह आहरित किए गए हैं, के दौरान अग्रिम को समायोजित करवाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का है। 32 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा मार्च 2012 तक सार आकस्मिक बिलों पर आहरित ₹35.44 करोड़ में से 31 जुलाई 2012 तक प्राप्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की कुल राशि ₹12.68 करोड़ थी जिसके फलस्वरूप ₹22.76 करोड़ के बकाया शेष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा में समायोजन हेतु लंबित थे। वर्षवार एवं विभागवार ब्यौरा परिशिष्ट-2.13 में दिया गया है।

यह देखा गया कि अधिकांश सार आकस्मिक बिलों का औषधियों/वाहनों की खरीद, पेट्रोल, तेल व स्नेहक पर व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु आहरण किया जा रहा था। बकाया सार आकस्मिक बिलों का समायोजन न होने का कारण सम्बन्धित विभागों के विभिन्न कार्यकर्ताओं से वाउचरों/व्यय के विस्तृत लेखों की प्राप्ति न होना था।

सार आकस्मिक बिलों के आहरण पश्चात् दीर्घावधियों हेतु विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का समायोजन न होने से दुर्विनियोजन का जोखिम बना रहता है और इनका ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किए जाने की आवश्यकता है।

2.5 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखों को समेकित निधि को डेबिट द्वारा सृजित किया जाता है और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों को शेष के माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए।

महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2011-12 के आरम्भ में 14 जिलाकोषों के 132 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन किया जा रहा था। 31 मार्च 2012 को इन लेखों में पड़े शेष की स्थिति निम्नवत् है:

- वर्ष के दौरान ₹73.90 करोड़ (₹5.73 लाख के ऋणात्मक शेष वाले नौ व्यक्तिगत निक्षेप लेखों सहित) के शेष वाले 59 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- चालू वर्ष के दौरान ₹1.04 करोड़ (₹0.16 लाख के ऋणात्मक शेष वाले एक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा सहित) की राशि से अन्तर्ग्रस्त 73 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में नहीं थे। इनमें से ₹3.01 लाख के शेष वाले 10 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे पांच वर्षों से अधिक से परिचालन में नहीं थे।
- व्यक्तिगत निक्षेप लेखे सामान्य रूप से क्रेडिट शेष के साथ बन्द होने चाहिए क्योंकि निक्षेप के प्रति भुगतान प्राप्त निक्षेपों से बढ़ना नहीं चाहिए। दस मामलों (परिशिष्ट-2.14) में ₹5.89 लाख के प्रतिकूल शेष थे जिनकी जांच तथा संशोधन किया जाना अपेक्षित था।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में निधियों को रखने की प्रथा निधियों के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ाती है और इसे रोकने की आवश्यकता है।

2.6 चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम

एक अनुदान⁷ (अनुदान संख्या-13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता) की समीक्षा (जुलाई-अगस्त 2012) के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु उद्घाटित हुए:

2.6.1 बजट एवं व्यय

2011-12 के दौरान अनुदान के अंतर्गत आबंटित निधियों एवं किये गये व्यय की पूर्ण स्थिति तालिका-2.9 में नीचे दी गई है:

तालिका-2.9

(₹ करोड़ में)

	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य (+) / बचतें (-)
राजस्व संवर्ग	1134.34	1485.05	(+) 350.71
पूँजीगत संवर्ग	371.71	351.52	(-) 20.19
योग	1506.05	1836.57	(+) 330.52

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

⁷ मुख्य शीर्षों 2059-लोक निर्माण, 2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता, 2216-आवास, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई एवं 2711-राजस्व संवर्ग के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण तथा निकास और 4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4705-कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय तथा 4711-पूँजीगत संवर्ग में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय सहित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान ₹1506.05 करोड़ (राजस्व संवर्ग: ₹1134.34 करोड़ एवं पूंजीगत संवर्ग: ₹371.71 करोड़) के प्रति ₹1836.57 करोड़ (राजस्व संवर्ग: ₹1485.05 करोड़ एवं पूंजीगत संवर्ग: ₹351.52 करोड़) का व्यय किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप राजस्व संवर्ग के अंतर्गत ₹350.71 करोड़ के आधिक्य व्यय तथा पूंजीगत संवर्ग के अंतर्गत ₹20.19 करोड़ की बचत हुई जैसा कि आगे वर्णित परिच्छेद में चर्चा की गई है।

2.6.2 अवास्तविक आकलन के कारण बजट प्रावधान में आधिक्य

2011-12 के दौरान पांच मुख्य शीर्षों के अंतर्गत (तालिका-2.10) ₹1133.66 करोड़ के प्रावधान के प्रति ₹1484.37 करोड़ का व्यय हुआ। जिसके परिणामस्वरूप ₹350.71 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। यह देखा गया है कि यह भारी बढ़त मुख्य शीर्ष-2215 के अंतर्गत उच्चत शीर्षों में इकट्ठे हुए ₹250.13 करोड़ (स्टॉक उच्चत: ₹90.84 करोड़ तथा विविध लोक निर्माण अग्रिम: ₹159.29 करोड़) के कारण हुई। यह अवास्तविक आकलन एवं अकुशल योजना को दर्शाता है। राजस्व संवर्ग के दत्तमत प्रावधान पर आधिक्य व्यय ₹350.71 करोड़ का नियमितकरण अपेक्षित है। प्रावधान के प्रति आधिक्य व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

तालिका-2.10

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	कुल प्रावधान पर आधिक्य(+)/ बचत(-)
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	जोड़		
राजस्व संवर्ग (दत्तमत)							
1.	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	779.49	--	12.87	792.36	1091.44	299.08
2.	2700-मुख्य सिंचाई	9.67	--	8.03	17.70	29.80	12.10
3.	2701-मध्यम सिंचाई	6.61	--	0.24	6.85	6.47	(-) 0.38
4.	2702-लघु सिंचाई	333.33	--	(-) 16.84	316.49	318.64	2.15
5.	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं निकास	4.56	--	(-) 4.30	0.26	38.02	37.76
	योग	1133.66	--	--	1133.66	1484.37	350.71

स्रोत: महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश

2.6.3 अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

विभाग द्वारा चार मुख्य शीर्षों (तालिका-2.10) के अंतर्गत ₹350.71 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता के प्रति कोई अनुपूरक प्रावधान प्राप्त नहीं किया गया। यह अवास्तविक आकलन को दर्शाता है। मुख्य अभियन्ता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग से अनुपूरक प्रावधान प्राप्त न करने के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

2.6.4 बिना प्रावधान के किया गया व्यय

बजट नियमावली के अनुसार योजना/सेवा पर निधियों के प्रावधान के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी देखा गया कि 11 मामलों, जिनको तालिका-2.11 में दर्शाया गया है, में बिना मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में बिना प्रावधान के तथा बिना पुनर्विनियोजित आदेशों के ₹60.41 करोड़ का व्यय किया गया।

तालिका-2.11

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	प्रावधानों पर आधिक्य
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
1.	2711-01-799-01	3.00	--	(-) 3.00	--	35.65	35.65
2.	2711-01-799-02	0.60	--	(-) 0.60	--	1.05	1.05
3.	2711-01-799-03	0.70	--	(-) 0.70	--	1.06	1.06
4.	4701-01-799-01	--	--	--	--	0.45	0.45
5.	4701-01-799-02	--	--	--	--	0.15	0.15
6.	4701-03-799-03	--	--	--	--	0.04	0.04
7.	4701-15-799-02	--	--	--	--	0.05	0.05
8.	4701-15-799-03	--	--	--	--	0.05	0.05
9.	4702-00-799-01	--	--	--	--	16.79	16.79
10.	4702-00-799-02	--	--	--	--	1.79	1.79
11.	4702-00-799-03	--	--	--	--	3.33	3.33
	योग	4.30	--	(-) 4.30	--	60.41	60.41

स्रोत: महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश

वित्त विभाग से बिना प्रावधान के किये गये व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

2.6.5 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

2011-12 के दौरान मुख्य शीर्ष (2701-मध्यम सिंचाई) के अन्तर्गत ₹0.24 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹6.47 करोड़ का व्यय मूल प्रावधान ₹6.61 करोड़ के स्तर पर नहीं पहुंच पाया अंततः ₹0.38 करोड़ की बचत के रूप में परिलक्षित हुआ। इसके अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन प्राप्त करते हुए मुख्य शीर्ष 2711-बाढ़ नियंत्रण एवं निकास के अन्तर्गत ₹4.30 करोड़ का अविवेकपूर्ण आहरण किया गया क्योंकि 2011-12 के दौरान मूल प्रावधान ₹4.56 करोड़ के प्रति ₹33.46 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ (तालिका-2.12)।

तालिका-2.12

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	कुल प्रावधान पर आधिक्य (+) / बचत (-)	मूल प्रावधान और व्यय में अन्तर
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग			
1.	2701-मध्यम सिंचाई	6.61	--	0.24	6.85	6.47	(-) 0.38	(-) 0.14
	योग (i)	6.61	--	0.24	6.85	6.47	(-) 0.38	(-) 0.14
2.	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं निकास	4.56	--	(-) 4.30	0.26	38.02	37.76	33.46
	योग (ii)	4.56	--	(-) 4.30	0.26	38.02	37.76	33.46

स्रोत: महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश

इस तरह से निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन एक कमजोर वित्त प्रबन्धन को दर्शाता है।

2.6.6 अभ्यर्पणों का आधिक्य

वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदान के पूंजीगत संवर्ग के अन्तर्गत ₹371.71 करोड़ के प्रावधान के प्रति ₹351.52 करोड़ का व्यय किया गया (तालिका-2.9)। तथापि विभाग ने (मार्च 2012) ₹20.19 करोड़ की बचत के प्रति ₹43.04 करोड़ का अनुचित अभ्यर्पण किया। ₹22.85 करोड़ का आधिक्य अभ्यर्पण कमजोर वित्त व्यवस्था प्रतिबिम्बित करता है। इस प्रकार, निधियों के आधिक्य अभ्यर्पण के कारण ₹22.85 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ (तालिका-2.13)। मुख्य अभियन्ता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग से अभ्यर्पणों के आधिक्य के कारण एवं उनका नियमन प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

तालिका-2.13

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	कुल प्रावधान पर आधिक्य
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
पूंजीगत संवर्ग (दत्तमत)							
1.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	117.00	--	--	117.00	117.12	0.12
2.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	26.25	--	32.30	58.55	58.56	0.01
3.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	56.23	--	(-) 10.49	45.74	46.52	0.78
4.	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	90.23	--	(-) 8.96	81.27	103.21	21.94
	योग	289.71	--	12.85	302.56	325.41	22.85

2.6.7 व्यय का तीव्र प्रवाह

राज्य सरकार ने होने वाले व्यय के प्रतिशत का निर्धारण तिमाही-वार किया है (सितम्बर 1995)। जहां तक अनुदान क्रम-13 का सम्बन्ध है, 2011-12 के दौरान निर्धारित तिमाहीवार व्यय का सुनियोजन नहीं किया गया जिसका वर्णन निम्न तालिका में किया गया है:

तालिका-2.14

(₹ करोड़ में)

माह	व्यय	तिमाही	तिमाही के दौरान व्यय के लिए निर्धारित मानक (प्रतिशत)	तिमाही में किया गया व्यय	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
4/2011	12.74	पहली	20	296.76	16
5/2011	188.72				
6/2011	95.30				
7/2011	119.61	दूसरी	25	299.55	16
8/2011	89.60				
9/2011	90.34				
10/2011	102.22	तीसरी	30	396.91	22
11/2011	114.43				
12/2011	180.26				
1/2012	149.45	चौथी	25	843.35	46
2/2012	202.25				
3/2012	491.65				
योग	1836.57			1836.57	

स्रोत: महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है कि विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के प्रति सशक्त न होने के कारण 46 प्रतिशत व्यय का तीव्र प्रवाह वित्त वर्ष 2011-12 की अन्तिम तिमाही में देखने को मिला और अकेले मार्च 2012 माह में यह अनुदान के कुल व्यय का 27 प्रतिशत (₹1836.57 करोड़) था। यह मात्र

आबंटन योजना और निधियों के उपयोग में कमी को ही नहीं दर्शाता बल्कि व्यय नियंत्रण प्रणाली के अभाव को भी दर्शाता है।

वर्ष के अन्त में व्यय के तीव्र प्रवाह से व्यय निष्फल, निरर्थक व अप्रवीण योजना को परिणित हो सकता है। विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां तक व्यवहारिक हो निधियों का व्यय निर्धारित मानकों के अनुसार पूरे वर्ष समरूप होना चाहिए ताकि वित्त वर्ष के अन्त में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचा जा सके।

2.6.8 बिना प्रावधान के साख पत्र

वर्ष 2011-12 के दौरान वित्त विभाग द्वारा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियन्ता को मुख्य शीर्ष 2215-01-102-03 एसओओ एन-एसओई-70-ऊर्जा शुल्क (योजना) के अन्तर्गत बिना किसी बजट प्रावधान के ऊर्जा शुल्क से सम्बन्धित खर्चों हेतु ₹18.87 करोड़ का साख पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत (मार्च 2012) किया गया। चूंकि अनुदान के अन्तर्गत व्यय राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत कुल विनियोजन से अधिक हो गया, वित्त विभाग द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को बिना किसी निधि प्रावधान के साख पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत करने की कार्रवाई राज्य वित्त नियमावली के नियम 37(3) के विरुद्ध थी। बिना बजट प्रावधानों के साख पत्र जारी करने के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

2.6.9 बजटीय विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष को बजट आकलन तथा आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों का ब्यौरा वित्त विभाग को क्रमशः 25 अक्टूबर तथा एक दिसम्बर तक प्रस्तुत करना होता है। तथापि यह देखा गया है कि सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियन्ता ने 2011-12 के दौरान बजट आकलन तथा आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों का ब्यौरा क्रमशः 30 जनवरी 2012 तथा 18 फरवरी 2012 को प्रस्तुत किया जिसके कारण क्रमशः 96 दिनों और 78 दिनों का विलम्ब हुआ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 2011-12 के दौरान विभाग द्वारा बजटीय प्राक्कलनों तथा आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों के प्रस्तुतीकरण के लिए निर्धारित समयसारणी का अनुकरण नहीं किया गया।

2.6.10 वित्त विभाग को दायित्व विवरणियां प्रस्तुत न करना

वर्ष 2011-12 के दौरान सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियन्ता द्वारा हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार व्यय पर प्रभावी नियंत्रण तथा सही बजट प्राक्कलन तैयार करने के लिए दायित्व विवरणियां वित्त विभाग को नहीं भेजी गईं।

मुख्य अभियन्ता द्वारा बजट नियमावली के अनुसार अप्रकट/अनुन्मुक्त देयताओं पर नजर रखने हेतु अपेक्षित दायित्व पंजिका अनुरक्षित नहीं की गई थी।

2.7 निष्कर्ष

वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदानों/विनियोजन के अंतर्गत कुल ₹19.56 करोड़ की पंजीकृत बचतें ₹752.51 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित ₹772.07 करोड़ की बचत का शुद्ध परिणाम था। इस प्रकार ₹752.51 करोड़ के आधिक्य व्यय का राज्य विधानमण्डल से नियमन करवाना अपेक्षित है।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में विगत पांच वर्षों के दौरान दो अनुदानों अर्थात् लोक निर्माण तथा पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य के अंतर्गत निरन्तर किए गए अधिक व्यय को इंगित किया गया था। यह अनियमितता अभी भी निरन्तर थी क्योंकि 2011-12 के दौरान बजटीय प्रावधानों से आधिक्य में अनुदान क्रम 10- लोक निर्माण- सड़क, पुल एवं भवन पर ₹221.99 करोड़ खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त अनुदान क्रम 13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं निकास में भी पिछले पांच वर्षों से निरन्तर भारी आधिक्य दर्ज किया गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन अनुदानों (03-न्याय प्रशासन, 15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना तथा 29-वित्त) के अन्तर्गत लगातार बचतें हुईं।

वर्ष 2011-12 के दौरान सात मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹50 लाख अथवा इससे अधिक) प्राप्त कुल ₹41.16 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय को पूरा करने के लिए मूल प्रावधान बिल्कुल पर्याप्त था। नौ मामलों में अभ्यर्पित राशि (प्रत्येक मामले में ₹50 लाख अथवा इससे अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय के तीव्र प्रवाह, जो विभागों में बजटीय नियंत्रण का अभाव अथवा अपर्याप्तता को इंगित करता है, के अतिरिक्त अपर्याप्त प्रावधान तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजनों के दृष्टांत थे। निक्षेप लेखों और व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में निधियों का अवरोधन निधियों के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ाता है और इसे रोकने की आवश्यकता है। बचतों का या तो अभ्यर्पण न करने अथवा वित्त वर्ष के बिल्कुल अंत में अभ्यर्पण करने से दूसरे आवश्यकता वाले क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों हेतु निधियों का उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

2.8 सिफारिशें

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- सभी विभागों को व्यय की प्रवृत्ति एवं निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वास्तविक बजट आकलन प्रस्तुत करने चाहिए ताकि बड़ी बचतों/आधिक्यों से बचा जा सके।
- सभी विभागों को आबंटनों के प्रति व्यय पर गहनता के साथ निगरानी रखनी चाहिए और अनुदानों से अधिक होने वाले व्यय को कड़ाई के साथ रोकना चाहिए।
- सभी विभागों को बचतों का पहले से ही निर्धारण एवं उसके अन्य विभागों द्वारा अपेक्षित निधियों के प्रभावी उपयोग हेतु अनुबद्ध तिथि तक अभ्यर्पण करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- सार आकस्मिक बिलों पर लिखे गए अग्रिमों का समायोजन विद्यमान नियमानुसार अनुबद्ध अवधि के भीतर करने हेतु विभागों में एक अनुश्रवण प्रणाली हो।

अध्याय-3

वित्तीय विवरण



अध्याय-3

वित्तीय विवरण

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना सहित ठोस आंतरिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार के कुशल तथा प्रभावी शासन को महत्वपूर्ण सहयोग देता है। इस प्रकार ऐसी अनुपालनाओं की स्थिति पर विवरण की सामयिकता तथा गुणवत्ता के साथ-साथ वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों की अनुपालना सफल शासन के गुणों में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर विवरण यदि प्रभावी व परिचालनात्मक है तो राज्य सरकार को अनुकूल योजना तथा निर्णय लेने सहित इसकी मूल प्रबन्धकता उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा स्थिति को उपलब्ध करवाता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्य हेतु दिए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें इनकी संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर अन्यथा जब तक निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश को प्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि मार्च 2012 तक ₹1,757.07 करोड़ के अनुदानों व ऋणों के सम्बन्ध में देय 25,837 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹924.60 करोड़ की कुल राशि के 9,625 उपयोगिता प्रमाणपत्र (37 प्रतिशत) मार्च 2012 तक लम्बित थे जिनमें से ₹1.37 करोड़ का एक उपयोगिता प्रमाणपत्र नौ वर्षों से अधिक की अवधि से लम्बित था। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभाग-वार ब्यौरा **परिशिष्ट-3.1** में दिया गया है तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अवधि-वार विलम्ब नीचे **तालिका-3.1** में सारांशित किया गया है:

तालिका-3.1

31 मार्च 2012 तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अवधि-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विलम्बावधि (संख्या वर्षों में)	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	0 - 1	16,290	849.40	6,528	477.12
2.	1 - 3	7,683	787.73	2,407	439.13
3.	3 - 5	1,393	74.33	689	6.98
4.	5 - 7	282	26.79	--	--
5.	7 - 9	37	11.18	--	--
6.	9 व इससे ऊपर	152	7.64	1	1.37
	योग	25,837	1,757.07	9,625	924.60

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्यतया शिक्षा विभाग (5,221 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹1.77 करोड़), ग्रामीण विकास (1,776 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹423.45 करोड़), उद्योग (785 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹21.61 करोड़), कला एवं संस्कृति (862 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹5.09 करोड़), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (703 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹98.45 करोड़), शहरी विकास (94 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹146.01 करोड़), क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं (6 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹2.81 करोड़), पर्यटन (8 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹2.12 करोड़), सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं (9 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹2.64 करोड़), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (24 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹30.87 करोड़) तथा पशुपालन (27 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹3.60 करोड़) से सम्बन्धित थे।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदानों को, जिस उद्देश्य के लिए दिया गया, प्रयुक्त कर लिया था।

इस प्रकार प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाणपत्रों को शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु विभाग द्वारा प्रयास किये जाने चाहिए।

3.2 दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जून 2012 तक राज्य सरकार ने ₹78.26 लाख के सरकारी धन से अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन, गबन आदि के 49 मामलों को सूचित किया जिन पर अंतिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट-3.2** तथा इन मामलों का स्वरूप **परिशिष्ट-3.3** में दिया गया है। लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा तथा इन परिशिष्टों से उजागर हुए प्रत्येक श्रेणी में चोरी एवं दुर्विनियोजन/हानि के लम्बित मामलों की संख्या को **तालिका-3.2** में सारांशित किया गया है।

तालिका-3.2
दुर्विनियोजन, हानियों, गबनों आदि की रूपरेखा

लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा			लम्बित मामलों का स्वरूप		
श्रेणी वर्ष	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख)	मामलों का स्वरूप/ विशिष्टियां	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख)
0 - 5	6	7.63	चोरी	11	12.11
5 - 10	14	20.67			
10 - 15	9	40.49	दुर्विनियोजन/सामग्री की हानि	38	66.15
15 - 20	2	3.62			
20 - 25	5	1.28	योग	49	78.26
25 व इससे ऊपर	13	4.57	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानियों के मामले	2	0.62
योग	49	78.26			

विश्लेषण आगे इंगित करता है कि बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण तालिका-3.3 में सूचीबद्ध श्रेणियों में किया जा सकता था।

तालिका-3.3
दुर्विनियोजन, हानियों, गबनों आदि के बकाया मामलों के कारण

विलम्बित/बकाया लम्बित मामलों के कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख)
i)	विभागीय एवं अपराधिक जांच के लिए प्रतीक्षित	15	17.86
ii)	वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने हेतु आदेशों के लिए प्रतीक्षित	24	28.72
iii)	न्यायालय में लम्बित	4	26.61
iv)	वसूली की गई/बट्टे खाते डाले गए लेकिन लोक लेखा समिति से अंतिम निपटान के लिए प्रतीक्षित	6	5.07
योग		49	78.26

दुर्विनियोजनों तथा हानियों से सम्बन्धित मामलों का शीघ्रता से समायोजन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाए जाने तथा व्यवस्थित पद्धतियों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

3.3 मुख्य उचन्त शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

‘उचन्त शीर्षों’ से ज्ञात लेखाओं के निश्चित मध्यस्थ/समायोज्य शीर्षों को प्राप्तियों और अदायगियों के लेन-देनों, जिनको उनकी प्रकृति अथवा दूसरे कारणों से सूचना की कमी के कारण लेखे के अन्तिम शीर्ष में बुक नहीं किया जा सकता है, प्रदर्शित करने हेतु सरकारी लेखे में संचालित किया जाता है। इन लेखा शीर्षों को माइनस डेबिट अथवा माइनस क्रेडिट द्वारा अन्तिम रूप से समायोजित किया जाता है जब उनके अन्तर्गत राशि को उनके सम्बद्ध अन्तिम लेखा शीर्षों को बुक की जाती है।

गत तीन वर्षों की मुख्य उचन्त शीर्षों के अंतर्गत उचन्त शेषों की स्थिति **परिशिष्ट-3.4** में दी गई है। वर्ष 2010-11 की तुलना में 101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त के अंतर्गत ₹3.51 करोड़ (डेबिट) तथा 102-उचन्त लेखा (सिविल) के अंतर्गत ₹20.21 करोड़ (डेबिट) की शुद्ध वृद्धि है। विगत वर्षों की तुलना में लघु शीर्ष 109-रिज़र्व बैंक उचन्त-मुख्यालय के अंतर्गत ₹0.65 करोड़ (क्रेडिट) की तथा 110-रिज़र्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹6.86 करोड़ (क्रेडिट) शुद्ध शेष की वृद्धि हुई।

यदि इन राशियों का निपटान नहीं होता है, उचन्त शीर्षों के अंतर्गत शेषों का संचय होगा तथा सरकार की प्राप्तियों और व्यय की सही स्थिति प्रदर्शित नहीं होगी। इस प्रकार उचन्त शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का निपटान प्रबलता से किया जाना अपेक्षित होगा।

3.4 बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का संचालन

सरकारी क्रियाकलाप के विस्तार तथा विविधता में बहुमुखी वृद्धि हुई है जिससे उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष की संख्या से भारी मामलों में आगे निकल गये हैं। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 उस व्यय को समायोजित करता है जो उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सका।

वर्ष 2011-12 के दौरान ₹3,610.57 करोड़ की समग्र राजस्व प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों का 25 प्रतिशत) ₹ पांच करोड़ से अधिक की प्राप्ति सहित, को सात मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया (परिशिष्ट-3.5) जो कि सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों का 58 से 100 प्रतिशत के मध्य विस्तारित हैं।

इसी प्रकार, मुख्य शीर्ष "2075-विविध सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत ₹13.86 करोड़ का समग्र व्यय तथा इस ₹ पांच करोड़ से अधिक व्यय (सरकार के कार्यों का प्रतिरूपण) को सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कि कुल व्यय (₹14.14 करोड़) का 50 प्रतिशत से अधिक था।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय/प्राप्तियों के अंतर्गत अधिक राशि का वर्गीकरण वित्तीय विवरण के उचित तथा सही चित्रण को प्रभावित करता है।

3.5 निष्कर्ष

यह देखा गया है कि विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋण एवं अनुदान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रस्तुत करने में विलम्ब से स्पष्ट है कि सरकार के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना असंतोषजनक थी। ₹924.60 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त एवं प्रस्तुति के लिए देय कुल 9,625 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सरकार द्वारा निधियों की उपयोगिता पर निगरानी रखने हेतु महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को नहीं भेजा गया।

₹78.26 लाख की राशि से अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि के 49 बकाया मामलों में से ₹17.86 लाख की राशि से अंतर्ग्रस्त 15 मामलों में लंबित अंतिम कार्रवाई, विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक जांच शुरू नहीं की गई जो कि सरकार की ओर से उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए पहल न करने को दर्शाता है। ऐसे मामलों की उत्पत्ति को रोकने के लिए सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्तियों (₹3,610.57 करोड़) एवं व्यय (₹13.86 करोड़) की पर्याप्त राशि को बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। वित्तीय विवरण में उत्कृष्ट पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अधिक राशि की प्राप्ति अथवा किए गए व्यय को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं अन्य प्राप्ति के अंतर्गत जोड़कर दिखाने के स्थान पर लेखों में पृथक रूप से दर्शाना चाहिए।


3.6 सिफारिशें

सरकार को सुनिश्चित करने पर विचार करना चाहिए:

- अनुदानग्राही संस्थाओं को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समय पर प्रस्तुतीकरण;
- हानि और दुर्विनियोजन के सभी मामलों में शीघ्र विभागीय जांच करना एवं ऐसे मामलों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना;
- मुख्य स्कीमों के प्राप्तियों एवं व्यय को लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत जोड़ने के स्थान पर वित्तीय विवरण की शुद्धता।

शिमला

दिनांक: 12 JAN 2013



(सतीश लूम्बा)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित


नई दिल्ली

दिनांक: 10 JAN 2013



(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



परिशिष्ट-1

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्र	55673/वर्ग किमी
2.	जनसंख्या	
	क 2001	0.61 करोड़
	ख 2011	0.69 करोड़
3	(क) जनसंख्या की सघनता (2001) (अखिल भारतीय सघनता=325 व्यक्ति/वर्ग किमी)* (ख) जनसंख्या की सघनता (2011) (अखिल भारतीय औसत=382 व्यक्ति/वर्ग किमी)*	109 व्यक्ति/वर्ग किमी 123 व्यक्ति/वर्ग किमी
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत= 27.5%)*	10%
5	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%)* (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 74%)*	76.50% 83.78%
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12	₹63084 करोड़
7	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2002-03 से 2011-12)	14.74%

ख वित्तीय आंकड़े

	संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2002-03 से 2011-12)	
क	राजस्व प्राप्तियां	14.80%
ख	कर राजस्व	16.53%
ग	कर-भिन्न राजस्व	27.03%
घ	कुल व्यय	10.39%
ड.	पूंजीगत व्यय	7.73%
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	12.30%
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	11.11%
ज	वेतन एवं मजदूरी	10.59%
झ	पेंशन	16.32%

* दिल्ली, गोआ तथा पुदुचेरी के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी राज्यों पर आधारित।

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग व एनएसएसओ आंकड़े, 61वां राउण्ड), जनसंख्या सघनता (भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त का कार्यालय; गृह मामलों का मंत्रालय), साक्षरता (भारत के महापंजीयक का कार्यालय; गृह मामलों का मंत्रालय) तथा हिमाचल प्रदेश का आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

परिशिष्ट-1.1

भाग-क

सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि; (ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों की चुकौती में प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समेकित निधि" नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रियों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रियों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट-1.1

भाग-ख : वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2011-12 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की निम्नांकित ढंग से रूपरेखा की गई है:

	रूपरेखा
खण्ड I	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि) कार्य व स्वरूप द्वारा लेखा टिप्पणियां परिशिष्ट I: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
खण्ड 2	
भाग I	
विवरणी 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य दायित्वों की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई गारण्टियों की विवरणी
विवरणी 10	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
भाग II	
विवरणी 11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 12	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	लघु शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 14	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	उधारों एवं अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	स्रोतों तथा राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय हेतु निधियों की प्रयुक्ति की विस्तृत विवरणी
विवरणी 18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	चिन्हित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी
भाग III: परिशिष्ट	
II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
III	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
IV	सहायता अनुदान (स्कीम वार व संस्था वार)
V	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं
VI	योजनागत स्कीम व्यय (केन्द्रीय व राज्य योजनागत स्कीमों)
VII	कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण
VIII	शेषों का सारांश
IX	सिंचाई स्कीमों के वित्तीय परिणाम
X	अपूर्ण कार्य
XIII	वेतन व गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय

परिशिष्ट-1.2

भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2007-12 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों में प्रवृत्तियों का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनकी व्यावहारिता पर अभ्युक्तियों की गई हैं। राज्य के वित्त की इसकी पुनर्संरचना योजना में तेरहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय पूर्णयोगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपणों को भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय पूर्णयोगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक निर्धारण करने के लिए उपयोग किया गया है। यह पूर्वानुमान करते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का प्रतिमान इत्यादि का आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय पूर्णयोगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2004-05 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

गत पांच वर्षों हेतु राज्य सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़)	33963	41483	46969(पी)	54695(क्यू)	63084(ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.2	22.1	13.2	16.4	15.3

स्रोत: आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

¹ सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य तथा उत्पादन के समस्त अन्य कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।

राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष के राजकोषीय दायित्वों+चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्वों की राशि)2]* 100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक* ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(अथ शेष + ऋणों तथा अग्रिमों के अंतशेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियां घटाएं मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.2

भाग-ख

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में दूरदर्शिता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिकतर पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा निर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को खत्म करना तथा उसके पश्चात् राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत अथवा उससे कम करना तथा उसके पश्चात् सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत स्तर तक अथवा उससे कम पर बनाए रखना;
- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 47 प्रतिशत तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के चालीस प्रतिशत से नीचे दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टियों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक, वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 1.4, 1.5.3, 1.7.4 तथा 1.8.2; पृष्ठ-7, 14 व 28)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	9,142	9,308	10,346	12,711	14,543 ⁵
(i) कर राजस्व	1,958 (21)	2,242 (24)	2,574(25)	3,643(29)	4,108 (28)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,092 (56)	1,246 (56)	1,487(58)	2,101(58)	2,477 (60)
राज्य आबकारी	389 (20)	432 (19)	500(19)	562(15)	707 (17)
वाहन कर	114 (6)	136 (6)	134(5)	163(4)	176 (4)
स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	87 (4)	98 (4)	113(4)	133(4)	155 (4)
विद्युत कर एवं शुल्क	82 (4)	79 (4)	39(2)	302(8)	185 (5)
भू-राजस्व	2 (-)	20 (1)	15(1)	5(0.1)	18 (11)
माल व यात्री कर	55 (3)	62 (3)	89(3)	93(3)	94 (2)
अन्य कर	137 (7)	169 (7)	197(8)	284(8)	296 (7)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,823 (20)	1,756(19)	1,784(17)	1,695(13)	1,915 (13)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	794 (9)	838 (9)	862 (8)	1,715(13)	1999 (14)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4,567(50)	4,472(48)	5,126(50)	5,658(45)	6,521 (45)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	--	646	--
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	26	21	34	73	25
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	9,168	9,329	10,380	13,430	14,568
5. लोक ऋण प्राप्तियां	1,849	2,249	2,553	2,411	1,984
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,798 (97)	2,237 (99)	2,484 (97)	2,372 (98)	1,904 (96)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	51 (3)	12 (1)	69(3)	39	80 (4)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	11,017	11,578	12,933	15,841	16,552
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	--	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियां	6,223	6,760	6,821	8,507	9,237
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	17,240	18,338	19,754	24,348	25,789
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	8,292	9,438	11,151	13,946	13,898
योजनागत	1,202 (14)	877 (9)	1,238(11)	1,652(12)	1,701 (12)
आयोजनेत्तर	7,090 (86)	8,561 (91)	9,913 (89)	12,294(88)	12,197(88)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	3,429 (41)	3,918 (42)	4,377(39)	5,279(38)	5,690 (41)
सामाजिक सेवाएं	2,876 (35)	3,332 (35)	3,902(35)	4,979(35)	5,147 (37)
आर्थिक सेवाएं	1,984 (24)	2,184 (23)	2,868 (26)	3,682(26)	3,049 (22)
सहायता अनुदान व अंशदान	3 (-)	4 (-)	4 (-)	6(-)	12 (-)
11. पूंजीगत व्यय	1,414	2,079	1,943	1,789	1,810
योजनागत	1,313 (93)	1,992 (96)	1,895(98)	1,774(99)	1,764 (97)
आयोजनेत्तर	101 (7)	87 (4)	48(2)	15(1)	46 (3)
सामान्य सेवाएं	59 (4)	64 (3)	63(3)	73(4)	73 (4)
सामाजिक सेवाएं	586 (42)	833 (40)	610(31)	611(34)	372 (21)
आर्थिक सेवाएं	769 (54)	1,182 (57)	1,270(65)	1,105(62)	1,365 (75)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	14	90	70	227	493
13. जोड़ (10+11+12)	9,720	11,607	13,164	1,5962	16,201

⁵ बुक समायोजन के रूप में ₹32.43 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
14. लोक ऋण की चुकौतियां	937	885	867	870	1,128
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	839	829	811	808	1,034
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	42	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	56	56	56	62	94
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	10,657	12,492	14,031	16,832	17,329
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	5,737	5,690	6,421	7,162	8,526
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	16,394	18,182	20,452	23,994	25,855
भाग ग. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(+) 850	(-) 130	(-) 805	(-)1235	(+) 645*
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 552	(-) 2,278	(-) 2,784	(-)2,532	(-) 1,633
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(+) 1,151	(-) 384	(-) 828	(-)582	(+) 497
भाग घ. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,703	1,894	1,956	1,950	2,130
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	467	582	718	849	981
25. प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिवस)	--	--	--	--	--
प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)	--	--	--	--	--
प्राप्त किए गए अधिविकर्ष (दिवस)	--	--	--	--	--
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	--	--	--	--	--
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁶⁶	33,963 (12.2)	41,483 (22.1)	46,969 (13.2)	54,695 (16.4)	63,084 (15.3)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	19,419	21,819	23,713	26,415	28,228
29. बकाया गारण्टियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	2,632	2,291	1,949	3,910	3,316
30. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	6,450	6,076	4,361	6,232	6,208
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	20	17	29	11	13
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	121	96	108	86	930
भाग ड. राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.05	0.05	0.07	0.07
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.29	0.28	0.28	0.29	0.26
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.06	1.25	1.27	1.26	1.11
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.85	0.81	0.85	0.87	0.86
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.36	0.36	0.34	0.35	0.34
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.28	0.29	0.31	0.30	0.27
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.15	0.18	0.15	0.11	0.11
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.14	0.17	0.14	0.11	0.11

* बुक समायोजन के रूप में ₹32.43 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
III राजकोषीय असंतुलों का प्रबन्धन (प्रतिशत में)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.50	(-) 0.31	(-) 1.71	(-) 2.26	(+) 1.02
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 1.63	(-) 5.49	(-) 5.93	(-) 4.63	(-) 2.59
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.39	(-) 0.93	(-) 1.76	(-) 1.07	(+) 0.79
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	NA	(-) 5.71	(-) 28.92	(-) 48.78	NA
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	(-) 0.025	(-) 0.049	(-) 0.059	(-) 0.058	(-) 0.024
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबन्धन					
राजकोषीय दायित्वों/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.57	0.53	0.50	0.48	0.45
राजकोषीय दायित्वों/राजस्व प्राप्ति	2.12	2.34	2.29	2.07	1.94
प्रमात्रा विस्तार के प्रति प्राथमिक घाटा	1.741	(-) 0.153	(-) 0.823	(-) 0.284	(+) 0.250
ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	1.02	0.92	0.94	0.22	0.23
V अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	0.52	89.58	73.49	64.11	85.65
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़)	(+) 113	(-) 1,423	(-) 2,642	(-) 2,607	(-) 1,529
वित्तीय परिसम्पत्तियां/दायित्व	0.60	0.68	0.67	0.66	0.70
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
राजस्व व्यय (₹ करोड़)	8,292	9,438	11,151	13,946	13,898
वृद्धि दर (प्रतिशत) राजस्व व्यय	8.48	13.82	18.15	25.06	(-) 0.34
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़)	7,090	8,561	9,913	12,294	12,197
वृद्धि दर (प्रतिशत) आयोजनेतर राजस्व व्यय	12.20	20.75	15.79	24.01	(-) 0.79
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़)	1,202	877	1,238	1,652	1,701
वृद्धि दर (प्रतिशत) योजनागत राजस्व व्यय	(-) 9.28	(-) 27.04	41.16	33.44	2.97
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.88	20.64	21.11	22.48	19.33
राजस्व व्यय/कुल व्यय ² (प्रतिशत)	85.43	81.95	85.16	88.63	85.78
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	72.94	73.76	75.30	77.02	75.29
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	77.55	91.97	95.81	96.72	83.87
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	85.50	90.70	88.90	88.15	87.76
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	14.50	9.30	11.10	11.85	12.24
के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.70	0.63	1.38	1.53	(-) 0.02
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	0.51	7.59	1.63	1.09	(-) 0.02
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	0.70	0.67	1.15	1.04	(-) 0.43
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	(-) 0.91	(-) 0.51	0.44	0.75	(-) 0.12

कोष्ठकों के आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के जोड़ की प्रतिशतताओं (पूर्णांक) को दर्शाते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया है।

² कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1: पृष्ठ 1)

भाग-क

वर्ष 2011-12 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)						(₹ करोड़ में)				
प्राप्तियाँ					संवितरण					
2010-11		2011-12			2010-11	2011-12				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	गैर योजनागत	योजनागत	जोड़		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग-क राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियाँ		12710.61		14542.86 [#]	I-राजस्व व्यय	13946.05	12197.03	1700.94	13897.97	13897.97
(i) कर राजस्व	3642.38		4107.92		सामान्य सेवाएं		5654.74	35.26	5690.00	
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1695.31		1915.20		सामाजिक सेवाएं		4208.89	938.56	5147.45	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राश्यांश	1715.35		1998.37		शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति		2555.17	434.98	2990.15	
(iv) गैर योजनागत अनुदान	2633.09		2646.86		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		664.03	133.27	797.30	
(v) राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	2680.22		3342.38		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास		648.19	(-) 4.57*	643.62	
(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	344.26		532.13		सूचना एवं प्रसारण		21.29	0.13	21.42	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण		10.03	93.35	103.38	
					श्रम एवं श्रम कल्याण		39.05	5.16	44.21	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण		261.96	274.85	536.81	
					अन्य		9.17	1.39	10.56	
					आर्थिक सेवाएं		2321.43	727.12	3048.55	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप		666.62	435.23	1101.85	
					ग्रामीण विकास		229.20	128.33	357.53	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		254.90	6.42	261.32	
					ऊर्जा		145.81	5.07	150.88	
					उद्योग एवं खनिज		30.74	26.42	57.16	
					परिवहन		957.39	104.79	1062.18	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		2.15	4.13	6.28	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं		34.62	16.73	51.35	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान		11.97	--	11.97	
योग				14542.86	योग				13897.97	
II-प्रवर्ग-ख को लाया गया राजस्व घाटा		1235.44			II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष				644.89 [#]	
योग:		13946.05		14542.86	योग:	13946.05			14542.86	14542.86

* बुक समायोजन के रूप में ₹32.43 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

* शीर्ष 2215-01-799 के अंतर्गत इस वर्ष के स्टॉक के अतिरिक्त विगत वर्ष के अप्रयुक्त स्टॉक की प्रयुक्ति के कारण ऋणात्मक व्यय।

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2010-11		2011-12			2010-11	2011-12				
						गैर योजनागत	योजनागत	जोड़		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग- ख- पूंजीगत										
III- स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष	281.16			634.86	III- भारतीय रिज़र्व बैंक से अथ अधिविकर्ष					
IV- विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	645.85		--		IV- पूंजीगत परिव्यय	1788.99	46.36	1763.47	1809.83	1809.83
					सामान्य सेवाएं	73.33	2.00	71.30	73.30	
					सामाजिक सेवाएं	611.32	--	371.87	371.87	
					शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति		--	97.73	97.73	
					स्वाम्य एवं परिवार कल्याण		--	29.19	29.19	
					जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास		--	225.37	225.37	
					सूचना एवं प्रसारण		--	0.12	0.12	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण		--	13.22	13.22	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण		--	5.83	5.83	
					अन्य		--	0.41	0.41	
					आर्थिक सेवाएं	1104.34	44.36	1320.30	1364.66	1364.66
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप		10.76	60.86	71.62	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		--	323.50	323.50	
					ऊर्जा		--	206.50	206.50	
					उद्योग एवं खनिज		0.50	14.02	14.52	
					परिवहन		33.10	653.34	686.44	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं		--	62.08	62.08	
					योग	1788.98	46.36	1763.47	1809.83	
V- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ		72.59		24.86	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	226.56	14.45	478.42	492.98	492.98
विद्युत परियोजनाओं से	57.16		1.22		विद्युत परियोजनाएँ		--	473.56	473.56	
सरकारी कर्मचारियों से	12.44		10.55		सरकारी कर्मचारियों को		1.60	4.53	6.13	
अन्य से	2.99		13.09		अन्य को		12.96	0.33	13.29	
VI- कम किया गया राजस्व अधिशेष	--			644.89	VI- कम किया गया राजस्व घाटा	1235.44	--	--	--	

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्रतियां					संवितरण						
2010-11		2011-12			2010-11		2011-12				
						गैर योजनागत		योजनागत		जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
VII-लोक ऋण प्रतियां		2411.06		1984.05	VII-लोक ऋण की चुकौती	869.65					1127.72
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	2372.26		1903.87		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण		1034.35				
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन			--		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन		--				
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	38.80		80.18		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती		93.37				
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन			--		VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन		--				--
IX-आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि			--		IX-आकस्मिकता निधि से व्यय						--
X- लोक लेखा प्रतियां		8506.79		9236.66	X-लोक लेखा संवितरण	7161.95					8526.07
लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	2165.72		2099.97		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां			1464.44			
आरक्षित निधियां	433.20		285.00		आरक्षित निधियां			141.77			
निक्षेप एवं अग्रिम	1630.05		1780.24		निक्षेप एवं अग्रिम			1602.56			
उचन एवं विविध	413.57		361.71		उचन एवं विविध			480.39			
प्रेषण	3864.25		4709.74		प्रेषण			4836.91			
XI-भारतीय रिज़र्व बैंक से इतिशेष अधिविकर्ष	--		--	--	XI-अंत में रोकड़ शेष	634.86					568.72
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण			2.14			
					स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			0.19			
					रिज़र्व बैंक के पास निक्षेप			(-)382.28			
					रोकड़ शेष निवेश			948.67			
योग:		11917.45		12525.32	योग:	11917.45					12525.32

परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1 तथा 1.8.1; पृष्ठ 1 व 28)

भाग-ख

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2012 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति			
परिसम्पत्तियां	31.03.2011 को	31.03.2012 को	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	16800.99		18610.82
कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	2863.53	2448.06	
अन्य पूंजीगत परिव्यय	13937.46	16162.76	
ऋण एवं अग्रिम-	483.28		951.40
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	336.29	808.62	
अन्य विकास ऋण	99.52	98.72	
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	47.47	44.06	
आरक्षित निधि निवेश			---
रोकड़ -	634.86		568.72
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	2.25	2.14	
भारतीय रिज़र्व बैंक में निक्षेप	(-)274.11	(-) 382.28	
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16	
स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	
रोकड़ शेष निवेश	906.53	948.67	
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*	9337.43		8692.54
	27256.56		28823.48

* प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे से।

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

देयताएं	31.03.2011 को	31.03.2012 को	
आंतरिक ऋण	17693.88		18563.40
ब्याज वाले बाजार ऋण	9224.26	10146.61	
ब्याज रहित बाजार ऋण	0.03	0.07	
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	331.27	282.71	
नाबार्ड से ऋण	1131.60	1278.06	
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	31.03	23.11	
केन्द्र सरकार की एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	4935.51	5063.00	
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	30.32	23.30	
अन्य संस्थाओं से ऋण	2009.86	1746.54	
केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-	960.48		947.30
आयोजनेत्तर ऋण	11.82	9.55	
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	913.82	937.13	
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	0.12	--	
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	34.59	0.49	
अन्य ऋण	0.13	0.13	
आकस्मिकता निधि	5.00		5.00
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	6102.35		6737.89
निक्षेप	1580.14		1757.82
आरक्षित निधियां	77.35		220.58
उच्चत एवं विविध शेष	309.69		191.00
प्रेषण शेष	527.67		400.49
	27256.56		28823.48

परिशिष्ट-1.5

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 6)

2011-12 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (लेखापरीक्षित बिना आंकड़ें)		भारत सरकार द्वारा जारी	
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	2011-12	2010-11
		(₹ लाख में)	
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	3,11,38.16	6,36,25.00
	योग	3,11,38.16	6,36,25.00
सर्व शिक्षा अभियान	हि0प्र0 प्राथमिक शिक्षा संस्था	1,41,93.00	1,37,86.66
	योग	1,41,93.00	1,37,86.66
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी डीएचई	एनआईआईटी हमीरपुर	70,00.00	41,89.00
	योग	70,00.00	41,89.00
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	आरआईडीएफ	3,10,30.00	1,99,30.00
	योग	3,10,30.00	1,99,30.00
एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	67,78.38	1,07,81.33
	योग	67,78.38	1,07,81.33
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज	हि0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम	1,01,37.11	29,84.00
	योग	1,01,37.11	29,84.00
पर्यटक स्थलों का विकास	हि0प्र0 पर्यटन विकास बोर्ड	2,70.00	23,30.62
	योग	2,70.00	23,30.62
उत्पाद/अवसंरचना	हि0प्र0 पर्यटन विकास बोर्ड	--	23,30.62
	योग	--	23,30.62
ग्रामीण आवास आईएवाई	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	23,08.90	22,59.85
	योग	23,08.90	22,59.85
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	--	16,00.00
	योग	--	16,00.00
अस्पताल एवं औषधालय (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत)	हि0प्र0 में आयुष संस्थानों के विकासार्थ संस्था	8,74.98	21,54.13
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केन्द्रीय प्रायोजित	1,64,71.17	--
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केन्द्रीय क्षेत्र	60.81	--
	योग	1,74,06.96	21,54.13
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	4,69.57	7,53.00
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिमला	--	--
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	--	21,86.78
	योग	4,69.57	29,39.78
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	11,01.42	12,78.48
	योग	11,01.42	12,78.48

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	भारत सरकार द्वारा जारी	
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	10,23.95	6,37.63
	योग	10,23.95	6,37.63
ई-गवर्नेंस	एसआईटीईजी	90.10	4.35
	योग	90.10	4.35
एसटीडी नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	हि0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण संस्था	12,89.66	11,02.81
	योग	12,89.66	11,02.81
विस्तार सुधारों हेतु राज्य को सहायता	राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश	14,48.34	4,02.61
	योग	14,48.34	4,02.61
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	प्रधानाचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, शिमला	4,24.00	2,43.00
	योग	4,24.00	2,43.00
राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	राज्य वन विकास एजेंसी	33.05	3,45.00
	योग	33.05	3,45.00
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	1,46,02.83	--
	योग	1,46,02.83	--
पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान	हि0प्र0 क्रीड़ा परिषद्	4,89.77	10,12.85
	योग	4,89.77	10,12.85
कृषि आर्थिक नीति एवं विकास अध्ययन	हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला	3,57.00	4,06.54
	योग	3,57.00	4,06.54
विपणन बोर्ड का विकास	एचपीएसए विपणन बोर्ड शिमला	--	1,26.80
	योग	--	1,26.80
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना संस्था	--	7,37.86
	योग	--	7,37.86
नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं अभिकल्प	चौधरी सरवण कुमार हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय	17.58	9.65
	योग	17.58	9.65
	सकल योग:	141609.78	135218.57

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.6.2; पृष्ठ 18)

पंचायती राज संस्थानों को सुपुर्द कार्य

1.	कृषि, कृषि विस्तारण सहित
2.	भू-सुधार, भू-सुधारों को लागू करना, भू-संघटन एवं भू-संरक्षण
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबन्धन एवं जलागम विकास
4.	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मुर्गी पालन
5.	मत्स्य पालन
6.	सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी
7.	लघु वन्य उत्पादन
8.	लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित
9.	खादी, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग
10.	ग्रामीण आवास
11.	पेयजल
12.	ईंधन एवं चारा
13.	सड़कें, पुलिया, पुल, नौकायन जलपथ एवं संवहन के अन्य साधन
14.	गैर परम्परागत उर्जा स्रोत
15.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
16.	शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल सम्मिलित
17.	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा
18.	पुस्तकालय
19.	बाजार एवं मेले
20.	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय सम्मिलित
21.	परिवार कल्याण
22.	महिला एवं बाल विकास
23.	समाज कल्याण, विकलांग एवं चित्त बधिर कल्याण सहित
24.	समाज के कमजोर वर्गों प्रमुखतः अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
25.	लोक वितरण प्रणाली
26.	सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव

पंचायती राज संस्थानों को अब तक सुपुर्द नहीं किए गए कार्य

1.	ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण सम्मिलित
2.	व्यस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा
3.	सांस्कृतिक क्रियाकलाप

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.7.5; पृष्ठ 22)

शहरी स्थानीय निकायों को सुपुर्द कार्य

1.	शहरी योजना जिसमें नगरीय योजना भी सम्मिलित है।
2.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना
3.	सड़कें एवं पुल
4.	घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रबन्धन हेतु जलापूर्ति
5.	जनस्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन
6.	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय कारकों का अभिवर्द्धन
7.	समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा जिसमें विकलांग एवं चित्त बधिर भी शामिल हैं
8.	गंदी बस्तियों का सुधार एवं उत्थान
9.	शहरी गरीबी उन्मूलन
10.	शहरी रमणीयतायें एवं सुविधाएं जैसे उपवन, उद्यान एवं खेल के मैदानों का प्रावधान
11.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्य कारकों का अभिवर्द्धन
12.	शवाधियां एवं शवधी स्थल, दाह गृह, श्मशान स्थल एवं विद्युत शव दाह गृह
13.	मवेशी जलाशय, पशुओं के प्रति अत्याचार की रोकथाम
14.	जन्म तथा मरण के पंजीकरण सम्मिलित विस्तृत आंकड़े
15.	जन सुविधाएं जिसमें पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप एवं जन सुविधाएं सम्मिलित हैं।
16.	कसाई खानों एवं चर्म शालाओं का नियमन

शहरी स्थानीय निकायों को अब तक सुपुर्द नहीं किए गए कार्य

1	भू-उपयोग एवं भवन निर्माण का नियमन
2.	अग्निशमन सेवाएं

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 38)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां बचतें प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के तीन मामलों में 20 प्रतिशत से अधिक थीं

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचतें	प्रतिशतता
राजस्व					
1.	01	विधानसभा (राजस्व-दत्तमत)	14.66	1.69	
2.	03	न्याय प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	97.23	15.96	
3.	04	सामान्य प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	118.01	15.74	
4.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	418.67	65.55	
5.	06	आबकारी एवं कराधान (राजस्व-दत्तमत)	53.71	10.50	
6.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन (राजस्व-दत्तमत)	552.48	35.45	
7.	08	शिक्षा (राजस्व-दत्तमत)	2919.41	205.11	
8.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत)	740.87	21.82	
9.	11	कृषि (राजस्व-दत्तमत)	186.67	11.66	
10.	12	बागवानी (राजस्व-दत्तमत)	145.76	10.75	
11.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य (राजस्व-दत्तमत)	186.72	6.42	
12.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (राजस्व-दत्तमत)	46.44	9.43	
13.	16	वन एवं वन्य-प्राणी (राजस्व-दत्तमत)	363.89	48.36	
14.	17	चुनाव (राजस्व-दत्तमत)	18.54	1.11	
15.	18	उद्योग, धातु, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व-दत्तमत)	55.30	9.33	
16.	19	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण (राजस्व-दत्तमत)	359.68	11.70	
17.	20	ग्रामीण विकास (राजस्व-दत्तमत)	385.91	75.07	
18.	21	सहकारिता (राजस्व-दत्तमत)	27.63	7.34	27

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचतें	प्रतिशतता
19.	22	खाद्य एवं सामान्य आपूर्ति (राजस्व-दत्तमत)	124.34	5.63	
20.	23	विद्युत विकास (राजस्व-दत्तमत)	164.31	19.22	
21.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजस्व-दत्तमत)	20.67	1.66	
22.	26	पर्यटन एवं नागरिक विमानन (राजस्व-दत्तमत)	18.99	3.38	
23.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण (राजस्व-दत्तमत)	69.47	3.93	
24.	28	शहरी विकास, नगर तथा ग्रामीण योजना एवं आवास (राजस्व-दत्तमत)	123.38	1.55	
25.	29	वित्त (राजस्व-दत्तमत)	2257.27	6.35	
26.	30	विविध सामान्य सेवाएं (राजस्व-दत्तमत)	53.82	7.58	
27.	31	जनजातीय विकास (राजस्व-दत्तमत)	574.96	26.64	
28.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना (राजस्व-दत्तमत)	414.91	13.96	
29.	03	न्याय प्रशासन (राजस्व-प्रभारित)	23.55	2.32	
30.	29	वित्त (राजस्व-प्रभारित)	2150.58	20.88	
पूँजीगत					
31.	08	शिक्षा (पूँजीगत-दत्तमत)	23.84	1.44	
32.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन (पूँजीगत-दत्तमत)	486.14	51.22	
33.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (पूँजीगत-दत्तमत)	371.71	20.19	
34.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (पूँजीगत-दत्तमत)	1.25	1.25	100
35.	28	शहरी विकास, नगर तथा ग्रामीण योजना एवं आवास (पूँजीगत-दत्तमत)	16.00	1.61	
36.	29	वित्त (पूँजीगत-दत्तमत)	6.73	1.67	25
37.	31	जनजातीय विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	141.04	12.55	
38.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना (पूँजीगत-दत्तमत)	498.30	2.39	

परिशिष्ट -2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 39)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत						
1.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	1802.47	2024.46	221.99	--
2.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1134.34	1485.05	350.71	31
पूंजीगत-दत्तमत						
3.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	90.40	129.46	39.06	43
4.	23	विद्युत विकास	387.43	499.66	112.23	29
पूंजीगत-प्रभारित						
5.	29	वित्त	1099.25	1127.72	28.47	--
योग			4513.89	5266.35	752.46	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 41)

विगत वर्षों के प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	आधिक्य राशि	लोक लेखा समिति द्वारा विचाराधीन अवस्था
2008-09	11 अनुदान 3 विनियोजन	7, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 28, 30, 31 तथा 32 2,3 तथा 29	556.52	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/ हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेज दी गई। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
2009-10	19 अनुदान 1 विनियोजन	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29 तथा 32 10	887.80	स्वयंमेव उत्तर वित्त विभाग से अभी तक प्रतीक्षित है। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
2010-11	19 अनुदान 2 विनियोजन	1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 29, 30, 31, तथा 32 2 तथा 10	2237.64	07.07.2012 से चर्चा अपेक्षित है। स्वयंमेव उत्तर वित्त विभाग से अभी तक अपेक्षित है। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
			3681.96	

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 42)

2011-12 के दौरान प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितकरण की आवश्यकता

(₹ में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक (राजस्व तथा पूंजीगत)	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
1.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन (राजस्व-दत्तमत)	1802,47,40,000	2024,46,29,300	221,98,89,300
2.	13-सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता (राजस्व-दत्तमत)	1134,33,72,000	1485,04,64,616	350,70,92,616
3.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूंजीगत-दत्तमत)	16,54,00,000	16,56,00,000	2,00,000
4.	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (पूंजीगत-दत्तमत)	90,40,00,000	129,46,18,281	39,06,18,281
5.	21-सहकारिता (पूंजीगत-दत्तमत)	6,56,90,000	6,58,67,841	1,77,841
6.	23-विद्युत विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	387,42,61,000	499,65,92,000	112,23,31,000
7.	29-वित्त (पूंजीगत-प्रभारित)	1099,24,52,000	1127,72,01,231	28,47,49,231
	योग	4536,99,15,000	5289,49,73,269	752,50,58,269 अथवा 752.51 करोड़

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 42)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ हजार में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत					
1.	05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	4,14,50,88	3,53,11,17	61,39,71	4,15,69
2.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	5,49,42,92	5,17,03,02	32,39,90	3,04,80
3.	11-कृषि	1,80,59,22	1,75,01,18	5,58,04	6,07,98
4.	21-सहकारिता	27,09,15	20,28,60	6,80,55	53,55
5.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	66,32,60	65,54,58	78,02	3,14,65
6.	31-जनजातीय विकास	5,52,00,95	5,48,31,23	3,69,72	22,94,70
पूंजीगत-दत्तमत					
7.	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	9	6	3	1,25,00
	योग	17,89,95,81	16,79,29,84	1,10,65,97	41,16,37 अथवा ₹41.16 करोड़

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 42)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान तथा विनियोजन का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
पूँजीगत-दत्तमत							
1.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	75.40	15.00	90.40	129.46	39.06
2.	23	विद्युत विकास	150.00	237.43	387.43	499.66	112.23
पूँजीगत प्रभारित							
3.	29	वित्त	960.85	138.40	1099.25	1127.72	28.47
		योग	1186.25	390.83	1577.08	1756.84	179.76

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 42)

निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ लाख में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
1.	05	भू-राजस्व व जिला प्रशासन	2053-093-01	(-) 958.91	(-) 878.04
2.			2245-02-101-01	(-) 0.01	2540.73
3.			2245-02-107-01	(-) 0.01	767.50
4.			2245-02-111-01	3749.99	(-) 1464.00
5.			2245-02-113-01	999.99	(-) 875.00
6.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	2070-104-01	(-) 562.16	259.81
7.			2055-108-05	(-) 219.24	313.02
8.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-03-110-01	(-) 345.00	283.54
9.			2211-101-01	(-) 1195.24	304.91
10.			2210-05-105-01	1456.22	2996.97
11.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	3054-04-105-02	6810.00	(-) 371.48
12.			2059-80-053-03	(-) 452.00	(-) 596.89
13.			2059-80-053-05	(-) 849.70	(-) 852.49
14.			3054-03-103-06	(-) 1500.00	381.23
15.			3054-03-103-10	(-) 353.26	(-) 1160.54
16.			3054-03-103-12	101.80	(-) 227.56
17.			3054-03-103-13	(-) 852.70	(-) 617.24
18.			3054-03-103-14	(-) 2849.70	(-) 510.49
19.			3054-03-103-15	11.00	(-) 292.83
20.			3054-04-105-02	(-) 3955.35	928.72
21.			3054-04-105-07	(-) 727.74	(-) 13572.33
22.			3054-04-105-08	11.00	(-) 813.81
23.			3054-80-001-01	(-) 980.27	(-) 322.61

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+) / बचत (-)
24.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-001-01	9.95	422.33
25.			2215-01-001-02	118.54	1259.95
26.			2215-01-101-02	155.10	359.52
27.			2215-01-102-03	(-) 1586.27	1730.11
28.			2215-01-102-12	1512.32	957.26
29.			2700-01-799-01	486.36	1181.79
30.			2702-80-001-06	696.08	703.82
31.			2711-01-799-01	(-) 300.00	3564.62
32.			2702-80-001-02	480.66	(-) 575.17
33.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	2403-101-01	127.50	(-) 315.69
34.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	2406-01-102-18	(-) 439.95	318.27
35.			5054-04-800-06	417.75	4941.99
36.	16	वन एवं वन्य प्राणी	2406-01-001-02	(-) 4464.86	(-) 236.44
37.	20	ग्रामीण विकास	2515-102-01	(-) 2107.40	(-) 218.23
38.	29	वित्त	2071-01-101-02	(-) 6302.85	395.82
39.			2071-01-101-04	(-) 1112.54	(-) 1597.80
40.			2071-01-102-01	118.68	(-) 500.00
41.			2071-01-101-03	1762.33	11443.03
42.			2049-01-200-20	(-) 2.75	(-) 237.07
43.			2049-01-200-21	(-) 887.14	(-) 47112.86
44.	31	जनजातीय विकास	3054-04-796-01	5.27	(-) 406.20
45.			3054-04-796-02	9.75	(-) 565.53
46.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	4702-789-04	0.57	378.36
47.			4711-01-789-13	2000.00	(-) 2000.00
48.			4215-01-789-02	(-) 331.63	348.49
49.			4711-01-789-02	(-) 1999.91	2000.00
50.			5054-03-789-03	2250.00	322.30

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 42)

वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख)	अभ्यर्पण राशि (₹10 लाख तथा इससे ऊपर)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
दत्तमत्त					
1.	03	2014-00-105-04	555.00	494.21	89
2.	04	3425-60-200-01	700.00	382.95	55
3.	04	3435-03-103-01	50.00	35.50	71
4.	05	2401-00-111-04	54.96	29.12	53
5.	05	2506-00-102-02	1047.78	721.59	69
6.	05	2702-80-800-07	48.38	28.82	60
7.	05	3454-01-800-01	277.56	259.60	94
8.	07	2070-00-106-01	37.09	23.57	64
9.	07	2070-00-107-01	35.87	27.32	76
10.	07	2070-00-107-03	50.53	27.35	54
11.	08	4202-01-202-03	20.40	20.40	100
12.	08	4202-01-202-05	15.20	15.20	100
13.	09	2211-00-001-01	50.00	50.00	100
14.	13	4701-21-800-01	750.00	750.00	100
15.	13	4702-00-800-14	1020.00	520.00	51
16.	13	4711-01-800-08	1050.00	1050.00	100
17.	14	2403-00-107-01	30.19	15.81	52
18.	14	2405-00-101-03	32.85	28.44	87
19.	15	2202-01-101-03	211.69	110.38	52
20.	15	2210-06-101-13	185.58	102.49	55
21.	15	2402-00-102-08	59.73	45.63	76
22.	15	2406-01-102-18	439.95	439.95	100
23.	15	3451-00-101-07	60.61	32.57	54
24.	15	5002-01-120-01	500.00	500.00	100
25.	16	2406-02-110-10	350.00	195.58	56

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख)	अभ्यर्पण राशि (₹10 लाख तथा इससे ऊपर)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
दत्तमत					
26.	19	2235-02-103-01	80.11	48.37	60
27.	20	2505-01-702-06	8659.00	5786.33	67
28.	22	2236-02-101-06	30.00	23.44	78
29.	22	5475-00-102-01	125.00	125.00	100
30.	23	2801-80-101-02	1777.67	1777.67	100
31.	23	3425-60-004-01	11.83	11.83	100
32.	24	2058-00-103-83	15.00	15.00	100
33.	29	2071-01-101-02	8000.00	4342.26	54
34.	29	2071-01-104-01	350.00	204.63	58
35.	29	4059-01-051-28	77.00	77.00	100
36.	29	7610-00-202-03	30.00	15.17	51
37.	31	2202-02-796-01	267.89	167.85	63
38.	31	2408-01-796-01	148.36	75.02	51
39.	31	2851-00-796-01	47.93	47.93	100
40.	31	5054-03-796-02	1440.00	1274.69	89
41.	32	4235-02-789-01	400.00	277.50	69
42.	32	4711-00-789-03	350.00	350.00	100
43.	32	6225-01-789-02	60.00	34.00	57
प्रभारित					
44.	03	2014-00-102-03	299.00	221.45	74
45.	29	2049-01-101-11	259.21	259.21	100
46.	29	2049-01-101-29	705.84	705.84	100
47.	29	2049-01-101-30	293.49	293.49	100
48.	29	2049-01-101-31	525.01	525.01	100
49.	29	2049-01-200-22	1200.00	662.15	55
50.	29	6004-02-101-06	91.00	91.00	100
		योग	32876.71 अथवा ₹328.77 करोड़	23318.32 अथवा ₹233.18 करोड़	

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 43)

वर्ष के दौरान शत प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या व शीर्षक	स्कीम का नाम (लेखा शीर्ष)	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	08-शिक्षा	पिछड़ा क्षेत्र में मॉडल स्कूल भवन का निर्माण (4202-01-202-03)	20.40	100
कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
2.	08-शिक्षा	सामान्य क्षेत्र में शैक्षणिक पिछड़े खण्डों में लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण (4202-01-202-05)	15.20	100
कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
3.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज्य मुख्यालय (2211-001-01)	50.00	100
रोगी कल्याण समिति में रिक्त पदों को नहीं भरने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
4.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	नदौन क्षेत्र मध्यम सिंचाई परियोजना (4701-21-800-01)	750.00	100
कार्यों के निष्पादन में कमी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
5.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत बाटा नदी का नहरीकरण (4711-01-800-08)	1050.00	100
कार्यों का निष्पादन न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
6.	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	सामाजिक वानिकी कार्यक्रम (2406-01-102-18)	439.95	100
भवन के रखरखाव पर कम व्यय एवं कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
7.	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	रेलवे लाईनों का निर्माण (5002-01-120-01)	500.00	100
निर्माण कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
8.	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	भवन (5475-102-01)	125.00	100
प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
9.	23-विद्युत विकास	ब्याज उपदान (2801-80-101-02)	1777.67	100
उपदान मामलों एवं अन्य लेखे से देयताओं के निपटान की प्राप्ति नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
10.	23- विद्युत विकास	मुख्यालय स्थापना (3425-60-004-01)	11.83	100
लेखा शीर्ष के गैर कार्यात्मक होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
11.	24-मुद्रण एवं लेखन सामग्री	राजस्व विभाग (2058-00-103-38)	15.00	100
सामग्रियों की खरीददारी नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				

क्रमांक	अनुदान संख्या व शीर्षक	स्कीम का नाम (लेखा शीर्षक)	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
12.	29-वित्त	हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2010 पर 11.5% ब्याज (2049-01-101-11)	259.21	100
ब्याज की कम अदायगी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
13.	29-वित्त	हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2010 पर 10.52% ब्याज (2049-01-101-29)	705.84	100
ब्याज की कम अदायगी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
14.	29-वित्त	हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2010 पर 12% ब्याज (2049-01-101-30)	293.49	100
ब्याज की कम अदायगी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
15.	29-वित्त	हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2011 पर 10.50% ब्याज (2049-01-101-31)	525.01	100
ब्याज की कम अदायगी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
16.	29-वित्त	13वें वित्त आयोग के तत्वाधान से आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का भवन निर्माण (4059-01-051-28)	77.00	100
कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
17.	29-वित्त	बैंक टू बैंक आधार पर परियोजनाओं के प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अंतर्गत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋणों की पुनः अदायगी (आई डी ए) 2016 (6004-02-101-06)	91.00	100
ऋणों पर पुनः अदायगी नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
18.	31-जनजातीय विकास	औद्योगिक योजना पर व्यय (2851-796-01)	47.93	100
कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
19.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	बाटा नदी का नहरीकरण (4711-01-789-03)	350.00	100
कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
योग			7104.53 अथवा ₹71.05 करोड़	

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 43)

31 मार्च 2012 को ₹10 करोड़ से अधिक निधियों का अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1.	03	2014-न्याय प्रशासन	15.66	16
2.	05	2029-भू-राजस्व	35.02	29
3.	05	2053-जिला प्रशासन	10.46	11
4.	07	2055-पुलिस	29.29	7
5.	07	2070-अन्य प्रशासकीय सेवाएं	12.06	26
6.	08	2202-सामान्य शिक्षा	204.39	7
7.	09	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	39.42	7
8.	09	2211-परिवार कल्याण	19.36	21
9.	10	3054-सड़क एवं पुल	66.54	4
10.	13	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	10.49	23
11.	16	2406-वन एवं वन्य प्राणी	40.04	13
12.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	14.55	6
13.	23	2801-विद्युत	18.39	13
14.	29	2049-ब्याज अदायगियां	87.92	4
15.	29	2054-खजाना एवं लेखा संगठन	10.83	41
16.	29	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	90.60	4
17.	31	2202-सामान्य शिक्षा	16.24	12
18.	31	5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	12.75	31
		जोड़	734.01	

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.12; पृष्ठ 43)

वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण (₹50 लाख अथवा इससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन संख्या व नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	552.48	35.45	42.55	7.10
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	740.87	21.82	61.42	39.60
3.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	46.44	9.43	15.26	5.83
4.	29-वित्त	22.57	6.35	102.98	96.63
5.	31-जनजातीय विकास	574.96	26.64	31.22	4.58
राजस्व-प्रभारित					
6.	29- वित्त	2150.58	20.88	87.92	67.04
पूँजीगत-दत्तमत्त					
7.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	371.71	20.19	43.05	22.86
8.	31-जनजातीय विकास	141.04	12.55	12.88	0.33
9.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	498.30	2.39	9.11	6.72
योग		5098.95	155.70	406.39	250.69

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.14; पृष्ठ 43)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	स्कीम/सेवा का लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2012 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2012 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2012	मार्च 2012
1.	05-भू-राजस्व व जिला प्रशासन	2245-05-101-01	137.30	137.30	137.30	100	100
2.	08-शिक्षा	2202-01-101-12	20.00	20.00	20.00	100	100
3.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	2059-80-053-04	10.88	10.88	18.73	58	58
4.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-03-103-06	17.78	17.78	19.67	90	90
5.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-03-103-08	11.61	11.61	18.26	64	64
6.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-02	60.13	60.13	64.39	93	93
7.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-08	22.85	22.85	28.42	80	80
8.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	4216-01-106-01	11.70	11.70	17.46	67	67
9.	11-कृषि	2401-00-800-13	20.97	20.97	40.82	51	51
10.	13-सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता	2215-00-102-12	82.50	82.50	151.70	54	54
11.	13-सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता	2702-80-001-09	15.21	15.21	15.21	100	100
12.	13-सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता	4700-01-800-01	24.42	24.42	40.50	60	60
13.	13-सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता	4701-20-800-02	13.11	13.51	13.51	97	100
14.	13-सिंचाई, जलापूर्ति व स्वच्छता	4702-00-101-06	17.07	17.07	19.64	87	87
15.	20-ग्रामीण विकास	2515-00-101-09	24.45	24.45	24.45	100	100
16.	23-विद्युत विकास	4801-01-190-07	42.25	42.25	42.25	100	100
17.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	4202-02-104-01	19.50	19.50	19.50	100	100
18.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना एवं आवास	2217-03-193-02	16.78	16.78	16.78	100	100
19.	29-वित्त	2049-01-101-04 (प्रभारित)	25.56	25.56	25.56	100	100
20.	29-वित्त	2049-60-101-01 (प्रभारित)	20.81	32.00	32.00	65	100
21.	31-जनजातीय विकास	6801-00-796-10	24.68	24.68	24.68	100	100
22.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	2225-01-789-08	45.23	45.23	45.23	100	100
23.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	4702-00-789-06	14.96	15.00	15.00	100	100
24.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	4702-00-789-08	10.32	10.90	10.90	95	100

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 44)

(i) 2007-12 के लिए सार आकस्मिक तथा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सार आकस्मिक बिल		विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल		सार आकस्मिक बिलों की प्रतिशतता के रूप में विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल	बकाया सार आकस्मिक बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि
2007-08	308	4.92	300	1.73	97	8	3.19
2008-09	281	8.29	264	3.48	94	17	4.81
2009-10	233	7.71	210	2.86	90	23	4.85
2010-11	277	9.28	237	3.38	86	40	5.90
2011-12	268	5.24	238	1.23	89	30	4.01
योग	1367	35.44	1249	12.68		118	22.76

(ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभाग-वार स्थिति

(₹ में)

क्रमांक	विभाग	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि
1.	पशुपालन	26	4,81,63,955
2.	आयुर्वेद	41	14,35,79,500
3.	सहकारिता	2	7,500
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	35	3,55,50,517
5.	श्रम एवं रोजगार	6	16,500
6.	भाषा, कला एवं संस्कृति	3	28,578
7.	पंचायती राज	1	8,000
8.	अभियोजन	1	83,550
9.	जनजातीय विकास	1	10,000
10	युवा सेवाएं एवं क्रीड़ा	2	1,84,308
	योग	118	22,76,32,408 अथवा ₹22.76 करोड़

स्रोत: विभागों द्वारा आपूरित सूचना से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े।

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 45)

31 मार्च 2012 को प्रतिकूल/नकारात्मक शेष को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ में)

मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	खजाना/आहरण एवं संवितरण अधिकारी	अथ शेष	क्रेडिट	डेबिट	अन्त शेष
8443- स्थानीय निधि निक्षेप					
110-पुलिस निधि	डी आई जी (पी) प्रशिक्षण, डरोह	2,43,052	8,58,584	11,51,777	(-) 50,141
8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
102-नगरपालिका निधि	एन ए सी, चौपाल	(-) 16,438	--	--	(-) 16,438
8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
102- नगरपालिका निधि	एम सी, ऊना	1,22,613	--	1,94,389	(-) 71,776
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
102- नगरपालिका निधि	एन पी, चम्बा	30,078	--	37,879	(-) 7,801
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
109- पंचायत निकाय निधि	पी एस, नालागढ़	3,144	--	32,355	(-) 29,211
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
109- पंचायत निकाय निधि	पी एस, बैजनाथ	3,03,630	--	3,48,386	(-) 44,756
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
109- पंचायत निकाय निधि	पी एस, बंजार	(-) 22,536	--	3,464	(-) 26,000
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
109- पंचायत निकाय निधि	पी एस, पांवटा	72,206	--	85,000	(-) 12,794
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
109- पंचायत निकाय निधि	पी एस, हमीरपुर	1,44,246	--	1,47,774	(-) 3,528
8449-अन्य निक्षेप					
120-विविध निक्षेप	प्राचार्य, पं० अमरनाथ स्मारक महाविद्यालय, जोगिन्द्रनगर	15,850	9,07,699	12,50,000	(-) 3,26,451
योग		8,95,845	17,66,283	32,51,024	(-) 5,88,896 अथवा ₹(-)5.89लाख

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 51)

31 मार्च 2012 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
1	2011-संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधानसभा	2010-11	1	8.23	--	--
			1	8.23	--	--
2	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2010-11	7	77.18	--	--
			7	77.18	--	--
3	2055- पुलिस	2008-09	1	25.00	1	25.00
		2010-11	1	25.00	1	25.00
			2	50.00	2	50.00
4	2070 - अन्य प्रशासकीय सेवाएं	2009-10	11	221.77	--	--
		2010-11	16	240.27	--	--
			27	462.04	--	--
5	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2006-07	9	128.25	4	2.75
		2007-08	18	211.54	9	18.42
		2008-09	17	181.92	6	0.79
		2009-10	13	168.10	4	5.29
		2010-11	9	206.11	3	4.00
			66	895.92	26	31.25
6	2202- सामान्य शिक्षा	2009-10	3185	4574.42	78	210.73
		2010-11	13780	19016.84	5143	17448.17
			16965	23591.26	5221	17658.90
7	2204- क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं	2006-07	9	66.38	--	--
		2007-08	10	52.84	--	--
		2008-09	17	254.48	3	1.05
		2009-10	31	490.43	1	2.33
		2010-11	25	777.16	2	277.57
			92	1641.29	6	280.95
8	2205- कला एवं संस्कृति	2005-06	1	16.50	-	--
		2006-07	160	36.74	157	18.57
		2007-08	229	46.55	229	46.55
		2008-09	344	46.56	343	41.76
		2009-10	31	234.44	29	190.80
		2010-11	110	280.39	104	211.21
			875	661.18	862	508.89
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य						
9	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2008-09	123	484.98	--	--
		2009-10	504	2973.22	1	412.80
		2010-11	626	3310.91	1	21.60
			1253	6769.11	2	434.40
10	2211-परिवार स्वास्थ्य	2009-10	19	1152.58	19	1152.58
		2010-11	3	1500.00	3	1500.00
			22	2652.58	22	2652.58
योग (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य)			1275	9421.69	24	3086.98

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
शहरी विकास						
11	2217- शहरी विकास	2007-08	3	400.52	--	--
		2008-09	24	2945.77	21	2872.57
		2009-10	28	6676.00	24	6189.00
		2010-11	53	8051.15	41	3739.15
			108	18073.44	86	12800.72
12	3054- सड़क एवं पुल	2008-09	2	600.00	2	600.00
		2009-10	2	600.00	2	600.00
		2010-11	4	600.00	4	600.00
			8	1800.00	8	1800.00
योग (शहरी विकास)			116	19873.44	94	14600.72
13	2220- सूचना एवं प्रकाशन	2010-11	1	13.38	1	13.38
			1	13.38	1	13.38
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता						
14	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2006-07	11	607.17	10	599.17
		2007-08	29	974.96	21	719.33
		2008-09	34	1157.93	33	1121.93
		2009-10	34	1670.99	32	1586.99
		2010-11	36	2637.32	34	2497.32
			144	7048.37	130	6524.74
15	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2006-07	40	72.49	18	50.52
		2007-08	52	858.80	50	603.66
		2008-09	100	702.53	98	510.95
		2009-10	204	1089.94	141	707.45
		2010-11	277	1471.22	265	1447.83
			673	4194.98	572	3320.41
16	2250- अन्य सामाजिक सामुदायिक सेवाएं	2009-10	--	--	--	--
		2010-11	1	0.27	1	0.27
			1	0.27	1	0.27
योग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)			818	11243.62	703	9845.42
17	2230- श्रम एवं रोजगार	2009-10	--	--	--	--
		2010-11	1	5.00	-	-
			1	5.00	-	-
सचिवालय व सामाजिक सेवाएं						
18	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2009-10	1	3.66	1	3.66
		2010-11	4	28.13	1	7.65
			5	31.79	2	11.31
19	2251 - सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2007-08	2	94.26	--	--
		2008-09	8	275.43	--	--
		2009-10	14	395.81	4	170.57
		2010-11	6	109.03	3	82.01
			30	874.53	7	252.58
योग (सचिवालय व सामाजिक सेवाएं)			35	906.32	9	263.89
20	2401- फसल कृषि	2010-11	10	103.00	1	6.50
			10	103.00	1	6.50

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
21	2403- पशुपालन	2007-08	1	50.00	1	50.00
		2008-09	6	116.53	1	7.25
		2009-10	7	105.00	7	105.00
		2010-11	35	2525.22	18	197.74
			49	2796.75	27	359.99
22	2404-दुग्ध विकास	2010-11	8	1144.60	--	--
			8	1144.60	--	--
23	2405- मत्स्य	2010-11	5	13.55	--	--
			5	13.55	--	--
24	2408- खाद्य भण्डारण एवं गोदाम	2010-11	18	33.15	5	19.88
			18	33.15	5	19.88
25	2415- कृषि अनुसंधान व शिक्षा	2008-09	5	283.25	--	--
		2009-10	20	4096.12	--	--
		2010-11	39	11307.01	--	--
			64	15686.38	--	--
26	2425- सहकारिता	2009-10	62	13.98	--	--
		2010-11	66	107.04	33	24.56
			128	121.02	33	24.56
ग्रामीण विकास						
27	2216- आवास	2006-07	13	71.51	--	--
		2007-08	49	552.62	6	79.56
		2008-09	76	1202.43	18	398.59
		2009-10	125	2667.52	93	515.60
		2010-11	121	2767.87	65	1176.24
	384	7261.95	182	2169.99		
28	2501- विशेष कार्यक्रम	2004-05	2	27.02	--	--
		2005-06	9	61.04	--	--
		2006-07	17	305.69	--	--
		2007-08	58	539.49	6	159.12
		2008-09	108	840.52	18	141.53
		2009-10	161	1262.85	29	406.20
		2010-11	147	1982.81	46	710.52
			502	5019.42	99	1417.37
29	2505- ग्रामीण रोजगार	2004-05	2	55.99	--	--
		2006-07	6	217.35	--	--
		2007-08	5	104.83	--	--
		2008-09	2	816.89	2	816.89
		2009-10	10	3401.53	2	224.04
		2010-11	30	6133.55	--	--
	55	10730.14	4	1040.93		
30	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2001-02	151	627.40	--	--
		2002-03	37	1118.52	--	--
		2003-04	73	1020.50	--	--
		2004-05	205	1575.35	--	--
		2005-06	298	1665.33	--	--
		2006-07	302	4111.65	--	--
		2007-08	314	5911.03	--	--
		2008-09	500	11750.00	408	11637.91
		2009-10	713	12638.01	478	10133.60
		2010-11	663	16726.05	605	15945.28
	3256	57143.84	1491	37716.79		
योग (ग्रामीण विकास)			4197	80155.35	1776	42345.08
31	2801- विद्युत	2010-11	4	90.00	--	--
			4	90.00	--	--
32	2810- ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत	2010-11	2	126.00	--	--
			2	126.00	--	--

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
33	2851- ग्राम एवं लघु उद्योग	2005-06	4	0.21	1	0.03
		2006-07	514	73.54	499	27.99
		2007-08	93	87.56	65	17.38
		2008-09	90	86.01	--	--
		2009-10	117	1042.41	110	1039.44
		2010-11	119	1079.77	110	1076.57
			937	2369.50	785	2161.41
34	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2010-11	6	174.57	1	13.07
			6	174.57	1	13.07
35	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2009-10	1	5.20	1	5.20
		2010-11	6	23.70	--	--
			7	28.90	1	5.20
36	3452- पर्यटन	1998-99	1	137.00	1	137.00
		2008-09	1	45.00	--	--
		2009-10	2	2.00	--	--
		2010-11	7	74.51	7	74.51
			11	258.51	8	211.51
37	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति व समनुदेशन	2008-09	16	396.58	1	49.59
		2009-10	18	429.35	7	273.52
		2010-11	28	574.67	20	469.09
			62	1400.60	28	792.20
38	2406- वन एवं वन्य प्राणी (वन लेखा)	2007-08	1	4.70	-	-
		2008-09	4	127.28	1	1.20
		2009-10	24	603.36	2	57.01
		2010-11	11	1570.03	5	97.80
			40	2305.37	8	156.01
39	2415- कृषि शोध एवं शिक्षा (वन लेखा)	2009-10	4	25.00	-	-
		2010-11	4	25.00	4	25.00
			8	50.00	4	25.00
सकल योग			25837	175707.80	9625	92460.79

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 52)

दुर्विनियोजन, गबन आदि के मामलों का विभागवार तथा अवधिवार ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्षों तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्षों से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क
1	शिक्षा	--	--	3	2.90	--	--	--	--	--	--	1	0.59	4	3.49
2	ग्रामीण विकास	1	4.68	1	शून्य	--	--	--	--	--	--	--	--	2	4.68
3	कृषि/बागवानी	2	1.35	2	9.46	--	--	--	--	--	--	--	--	4	10.81
4	भू-राजस्व	--	--	--	--	--	--	1	2.57	--	--	--	--	1	2.57
5	पुलिस	1	0.08	2	1.51	--	--	--	--	--	--	--	--	3	1.59
6	राजस्व	--	--	1	0.31	--	--	--	--	--	--	1	0.02	2	0.33
7	गृह रक्षा	--	--	--	--	2	25.37	--	--	--	--	1	0.05	3	25.42
8	पशुपालन	--	--	1	0.17	--	--	--	--	--	--	2	0.93	3	1.10
9	निदेशक योजना	--	--	1	2.97	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2.97
10.	स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.95
11	वन	1	0.63	1	2.38	--	--	--	--	--	--	2	0.40	4	3.41
12	लोक निर्माण	--	--	--	--	6	7.43	1	1.05	2	0.77	7	2.78	16	12.03
13	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	--	--	1	0.89	2	7.71	--	--	1	0.25	1	0.06	5	8.91
	योग:	5	6.74	14	21.54	10	40.51	2	3.62	3	1.02	15	4.83	49	78.26

ग: मामलों की संख्या

क: राशि (₹ लाख में)

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 52)

चोरी, सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार ब्यौरा

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
शिक्षा	3	2.90	1	0.59	4	3.49
ग्रामीण विकास	1	4.68	1	0.00	2	4.68
कृषि/बागवानी	1	0.06	3	10.75	4	10.81
भू-राजस्व	--	--	1	2.57	1	2.57
पुलिस	--	--	3	1.59	3	1.59
राजस्व	1	0.31	1	0.02	2	0.33
गृह रक्षा	--	--	3	25.42	3	25.42
पशुपालन	1	0.17	2	0.93	3	1.10
निदेशक योजना	1	2.97	--	--	1	2.97
स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	1	0.95
वन	--	--	4	3.41	4	3.41
लोक निर्माण	2	0.77	14	11.26	16	12.03
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	1	0.25	4	8.66	5	8.91
योग:	11	12.11	38	66.15	49	78.26

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3; पृष्ठ 53)

गत तीन वर्षों की मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत उचन्त शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2009-10		2010-11		2011-12	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन व लेखा कार्यालय-उचन्त	80.64	17.34	25.24	20.24	24.12	15.61
शुद्ध	63.30 डेबिट		5.00 डेबिट		8.51 डेबिट	
102-उचन्त लेखा (सिविल)	8.44	0.42	115.37	99.53	114.34	78.29
शुद्ध	8.02 डेबिट		15.84 डेबिट		36.05 डेबिट	
107-नकद समायोजन उचन्त लेखा	4.38	1.12	3.26	2.42	0.04	0.02
शुद्ध	3.26 डेबिट		0.84 डेबिट		0.02 डेबिट	
109-रिज़र्व बैंक उचन्त-मुख्यालय	(-)12.96	(-) 19.76	(-)1.32	(-)0.10	(-) 0.68	1.19
शुद्ध	6.80 डेबिट		1.22 क्रेडिट		1.87 क्रेडिट	
110-रिज़र्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	4.17	0.10	4.19	0.20	11.78	0.93
शुद्ध	4.07 डेबिट		3.99 डेबिट		10.85 डेबिट	
112-स्रोत पर काटा गया कर उचन्त	91.39	108.50	239.60	269.19	203.84	220.58
शुद्ध	17.11 क्रेडिट		29.59 क्रेडिट		16.74 क्रेडिट	
129-सामग्री क्रय समायोजन उचन्त लेखा	47.66	278.13	58.09	358.47	152.66	372.84
शुद्ध	230.47 क्रेडिट		300.38 क्रेडिट		220.18 क्रेडिट	

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ 54)

लघु शीर्ष (₹5.00 करोड़ से अधिक) 800- 'अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक		मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशतता
1.	0040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2227.21	2476.78	89.92
2.	0045	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	174.63	294.97	59.20
3.	0070	अन्य प्रशासकीय सेवाएं	15.13	26.23	57.68
4.	0075	विविध सामान्य सेवाएं	30.88	40.01	77.18
5.	0801	विद्युत	1145.69	1145.69	100.00
6.	0852	उद्योग	6.89	6.89	100.00
7.	1054	सड़कें एवं पुल	10.14	10.25	98.93
		योग	3610.57	4000.82	

परिशिष्ट-4
शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	राज्य सकल घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य तथा उत्पादन के समस्त अन्य कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्पलावकता अनुपात	उत्पलावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता को प्रत्यास्थता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्पलावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किये गये बाजार ऋण एवं विशिष्ट प्रतिभूतियां प्रमुख रूप से शामिल हैं।
5.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ों को विकास एवं विकास रहित व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूंजीगत परिव्यय, ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
6.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे में चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
7.	ऋण स्थिरीकरण	स्थिरता हेतु आवश्यक शर्त स्पष्ट करती हैं कि यदि आर्थिक वृद्धि की दर ब्याज दर अथवा लोक उधार की लागत से अधिक होती है तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर रहने की सम्भावना है बशर्ते कि प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा सामान्य रूप से ऋणात्मक है। यदि दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार) दिया गया हो तो ऋण धारणीयता स्थिति स्पष्ट करती है कि यदि प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार शून्य है, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा विस्तार सहित प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी तथा यदि यह धनात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में अन्ततः गिरावट होगी।
8.	ऋण रहित प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को आवृत्त करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्ति की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्ति वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
9.	उधार निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्ति के प्रति ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को इंगित करता है जिसके लिए ऋण प्राप्ति का निवल उधार निधियों की उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग किया जाता है।
10.	ऋण रहित प्राप्ति	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को आवृत्त करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्ति की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्ति वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
11.	गारंटियां	गारंटियां कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।
12.	उधार निधियां	कुल ऋण प्राप्ति के प्रति ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को इंगित करता है जिसके लिए ऋण प्राप्ति का निवल उधार निधियों की उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग किया जाता है।

